

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मई 2018—वैशाख 14, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2018

क्र. एफ-ए-5-17-2017-एक.—(1) उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री अनुराग श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 5 से 13 मार्च 2018 तक के नौ दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश एवं अवकाश के पूर्व दिनांक 02, 03 एवं 04 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करते हैं एवं अवकाश

के साथ यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-ईएसटीटी(ए), दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एल.टी.सी. एवं दस दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं.

(2) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एकमुश्त किया जावे. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम तीन सौ दिन के नगदीकरण में से घटाया नहीं जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1(ए)150-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री संजय माने, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 7 से 18 मई 2018 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19-20 मई के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री संजय माने, भापुसे, का चालू कार्य श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय माने, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय माने, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय माने, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय माने, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)256-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 28 अप्रैल से 5 मई 2018 तक, आठ दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) परिवार सहित वैष्णो देवी (जम्मू कश्मीर) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री अनिल कुमार	—	स्वयं
2.	श्रीमती सुनीता	—	पत्नी
3.	अमन स्नेहिल	—	पुत्र
4.	अक्षत सिद्धांत	—	पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2018

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)- 1787-2018.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्र. 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 6, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 48, 51, 56, 57, 59, 61, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 75 और 81 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनु.- क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"6.	श्री आसिफ अहमद अब्बासी, व्यवहार न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, चंदेरी.	चंदेरी	अशोकनगर	चंदेरी	चंदेरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	श्रीमती कमला गौतम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मुलताई.	मुलताई	बैतूल	मुलताई	मुलताई
11	श्री सैयद दानिश अली, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भिण्ड.	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
12	श्री विवेकानंद त्रिवेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, लहार.	लहार	भिण्ड	लहार	लहार
14	श्रीमती श्वेता तिवारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैरसिया.	बैरसिया	भोपाल	बैरसिया	बैरसिया
15	श्री मानवेन्द्र पवार, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, बुरहानपुर.	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर
18	श्री रूप सिंह कनेल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
19	श्री प्रदीप कुमार सोनी (जूनि.), व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, पांडुर्ना.	पांडुर्ना	छिन्दवाड़ा	पांडुर्ना	पांडुर्ना
26	श्री विवेक कुमार चंदेल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, धार.	धार	धार	धार	धार
27	श्री प्रियंक दुबे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, के अतिरिक्त न्यायाधीश, मनावर.	मनावर	धार	मनावर	मनावर
29	श्री सुशील कुमार जोशी, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, खण्डवा.	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा
31	श्री भगवान दास राठौर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, चाचौड़ा.	चाचौड़ा	गुना	चाचौड़ा	चाचौड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	श्री पवन कुमार पटेल, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, ग्वालियर.	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर
33	श्री राजीव राव गौतम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, डबरा.	डबरा	ग्वालियर	डबरा	डबरा
34	श्री अमित नगाइच, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, हरदा.	हरदा	हरदा	हरदा	हरदा
35	श्री अभिनव कुमार जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद
37	श्री अतुलराज भलावी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इन्दौर.	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर
38	श्री मनीष ठाकुर, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर
43	श्रीमती शोभना गौतम, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मण्डला.	मण्डला	मण्डला	मण्डला	मण्डला
48	श्री कैलाश नारायण अहिरवार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, नरसिंहपुर.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
51	श्री दिनेश देवड़ा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मनासा.	मनासा	नीमच	मनासा	मनासा
56	श्री अजय रामावत, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रतलाम.	रतलाम	रतलाम	रतलाम	रतलाम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57	श्री अनिल चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जावरा.	जावरा	रतलाम	जावरा	जावरा
59	श्री सतीश वासुनिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सिरमौर.	सिरमौर	रीवा	सिरमौर	सिरमौर
61	श्रीमती निधि सक्सेना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, खुरई.	खुरई	सागर	खुरई	खुरई
65	श्री अजीत कुमार तिकी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बुधनी.	बुधनी	सीहोर	बुधनी	बुधनी
66	कु. कल्पना मरावी, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, सिवनी.	सिवनी	सिवनी	सिवनी	सिवनी
68	श्री जितेन्द्र नारायण सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1 के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, शहडोल.	शहडोल	शहडोल	शहडोल	शहडोल
69	सुश्री वंदना सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, जयसिंहनगर.	जयसिंहनगर	शहडोल	जयसिंहनगर	जयसिंहनगर
72	श्री रविन्द्र गुप्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, श्योपुर.	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर
73	श्री अभिषेक सक्सेना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी.	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
75	श्री विकास कुमार शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी.	सीधी	सीधी	सीधी	सीधी
81	श्री महादेव प्रसाद नामदेव, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, महिदपुर.	महिदपुर	उज्जैन	महिदपुर	महिदपुर

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-1787-2018.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I) 13, dated 10th May, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 6, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 48, 51, 56, 57, 59, 61, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 75 and 81 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"6	Shri Asif Ahmed Abbasi, Additional Judge to Civil Judge Class-1, Chanderi.	Chanderi	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi
10	Smt. Kamla Gautam, 1st Civil Judge Class-II, Multai.	Multai	Betul	Multai	Multai
11	Shri Syed Danish Ali, IVth Civil Judge Class-II, Bhind.	Bhind	Bhind	Bhind	Bhind
12	Shri Vivekanand Trivedi, 1st Civil Judge Class-I, Lahar.	Lahar	Bhind	Lahar	Lahar
14	Smt. Shweta Tiwari, 1st Civil Judge Class-I, Bairasiya.	Bairasiya	Bhopal	Bairasiya	Bairasiya
15	Shri Manvendra Pawar, IIIrd Civil Judge Class-I, Burhanpur.	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur
18	Shri Rup Singh Kanel, IIIrd Civil Judge Class-I, Chhindwara.	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara
19	Shri Pradeep Kumar Soni (Jr.) Civil Judge Class-II, Pandhurna.	Pandhurna	Chhindwara	Pandhurna	Pandhurna
26	Shri Vivek Kumar Chandel, IInd Civil Judge Class-I, Dhar.	Dhar	Dhar	Dhar	Dhar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Shri Priyank Dubey, Additional Judge to Civil Judge Class-II, Manawar.	Manawar	Dhar	Manawar	Manawar
29	Shri Sushil Kumar Joshi, Vth Civil Judge Class-I, Khandwa.	Khandwa	Khandwa	Khandwa	Khandwa
31	Shri Bhagwandas Rathor, Civil Judge Class-I, Chachoda.	Chachoda	Guna	Chachoda	Chachoda
32	Shri Pawan Kumar Patel, Vth Civil Judge Class-I, Gwalior.	Gwalior	Gwalior	Gwalior	Gwalior
33	Shri Rajeev Rao Gautam, IInd, Civil Judge Class-I, Dabra.	Dabra	Gwalior	Dabra	Dabra
34	Shri Amit Nagayach, 1st Civil Judge Class II, Harda.	Harda	Harda	Harda	Harda
35	Shri Abhinav Kumar Jain, IInd Additional Judge to Ist Civil Judge Class-I, Hoshangabad.	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad
37	Shri Atulraj Bhalavi, IIIrd Civil Judge I, Indore.	Indore	Indore	Indore	Indore
38	Shri Manish Thakur, VIth Civil Judge Class I, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur
43	Smt. Shobhana Gautam, IIIrd Civil Judge Class II, Mandla.	Mandla	Mandla	Mandla	Mandla
48	Shri Kailash Narayan Ahirwar, IInd Civil Judge Class I, Narsinghpur.	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur
51	Shri Dinesh Dewda, IInd Civil Judge Class I, Manasa.	Manasa	Neemuch	Manasa	Manasa
56	Shri Ajay Ramavat, IVth Civil Judge Class I, Ratlam.	Ratlam	Ratlam	Ratlam	Ratlam

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57	Shri Anil Chaudhary IInd Civil Judge Class I, Jaora.	Jaora	Ratlam	Jaora	Jaora
59	Shri Satish Vasuniya, IInd Civil Judge Class II, Sirmaur.	Sirmaur	Rewa	Sirmaur	Sirmaur
61	Smt. Nidhi Saxena, Additional Judge to Ist Civil Judge Class-I, Khurai.	Khurai	Sagar	Khurai	Khurai
65	Shri Ajit Kumar Tirki, Civil Judge Class I, Budhni.	Budhni	Sehore	Budhni	Budhni
66	Ku. Kalpana Maravi, Vth Civil Judge Class I, Seoni.	Seoni	Seoni	Seoni	Seoni
68	Shri Jitendra Narayan Singh, IIIrd Additional Judge to Ist Civil Judge Class-I, Shahdol.	Shahdol	Shahdol	Shahdol	Shahdol
69	Sushri Vandana Soni, Ist Civil Judge Class II, Jaisinghnagar.	Jaisinghnagar	Shahdol	Jaisinghnagar	Jaisinghnagar
72	Shri Ravindra Gupta, IInd Civil Judge Class II, Sheopur.	Sheopur	Sheopur	Sheopur	Sheopur
73	Shri Abhishek Saxena, Additional Judge to Ist Civil Judge Class-I, Shivpuri.	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri
75	Shri Vikash Kumar Sharma, Ist Additional Judge to Ist Civil Judge Class-I, Sidhi.	Sidhi	Sidhi	Sidhi	Sidhi
81	Shri Mahadev Prasad Namdeo, Civil Judge Class-I, Mahidpur.	Mahidpur	Ujjain	Mahidpur	Mahidpur

फा. क्र.1-2-90-इक्कीस-ब(एक)-1564-2018.—अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 30 जनवरी, 1990 को जहां तक कि उसका संबंध नीचे विनिर्दिष्ट जिलों में अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना से है, आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा,

नीचे विनिर्दिष्ट जिलों में से प्रत्येक के लिए उस तारीख से, जिसको कि उच्च न्यायालय द्वारा पदस्थ किए जाने वाले न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए अनन्य विशेष न्यायालय गठित करता है, अर्थात्:—

1. छिन्दवाड़ा
2. ग्वालियर
3. जबलपुर
4. नरसिंहपुर
5. रतलाम
6. शिवपुरी

उपरोक्त छः जिलों के विशेष न्यायालयों में, उपरोक्त पैरा-1 के अधीन अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की तारीख को लम्बित समस्त मामले, पैरा-1 के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालयों को अंतरित हो जाएंगे.

F. No. 1-2-90-XXI-B-(1)-1564-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act, 1989 (No. 33 of 1989) and in Partly supersession of this Department's Notification No. 1-2-90-XXI-B-(1), dated 30th January, 1990 so far as it relates to the establishment of the Exclusive Special Court in the following districts, the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby establish for each of the following districts an Exclusive Special Court from the date on which the Judge to be posted by High Court to the concerned Exclusive Special Court assumes the charge of his office in the said Court, to try the offences under the said Act, namely:—

1. Chhindwara
2. Gwalior
3. Jabalpur
4. Narsinghpur
5. Ratlam
6. Shivpuri

2. All cases pending in the Special Court of the above Six districts on the date of establishment of Exclusive Special Court under part-1, shall stand transferred to the Exclusive Special Court established under para-1.

फा. क्र.1-2-90-इक्कीस-ब(एक)-1564-2018.—अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-ब(एक), 5083/2016, दिनांक 13 जनवरी, 2017 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे सारणी दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित अपर सेशन न्यायालयों को कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक (1)	जिला (2)	सेशन न्यायालय (3)
"1	अलीराजपुर	अपर सेशन न्यायालय, अलीराजपुर

(1)	(2)	(3)
2	अनूपपुर	अपर सेशन न्यायालय, अनूपपुर
3	अशोकनगर	अपर सेशन न्यायालय, अशोकनगर
4	बुरहानपुर	अपर सेशन न्यायालय, बुरहानपुर
5	डिंडोरी	अपर सेशन न्यायालय, डिंडोरी
6	सिंगरौली	अपर सेशन न्यायालय, सिंगरौली
7	उमरिया	अपर सेशन न्यायालय, उमरिया.”

F. No. 1-2-90-XXI-B-(1)-1564-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act, 1989 (No. 33 of 1989) and in supersession of this Department's Notification No. 1-2-90-XXI-B-(1) 5083-2016, dated 13th January, 2017 State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby specifies the Court of additional sessions mentioned in column (3), as Special courts for districts mentioned in column (2), of the table given below, to try the offences under the said Act, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Districts (2)	Sessions Court (3)
“1	Alirazpur	Additional Sessions Court, Alirazpur
2	Anuppur	Additional Sessions Court, Anuppur
3	Ashoknagar	Additional Sessions Court, Ashoknagar
4	Burhanpur	Additional Sessions Court, Burhanpur
5	Dindori	Additional Sessions Court, Dindori
6	Singrauli	Additional Sessions Court, Singrauli
7	Umaria	Additional Sessions Court, Umaria.”

फा. क्र.1-2-90-इक्कीस-ब(एक)-1564-2018.—अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे सारणी दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित अतिरिक्त सेशन न्यायालयों को कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों के लिए उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक (1)	जिला (2)	सेशन न्यायालय (3)
“1	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, छतरपुर
2	छिन्दवाड़ा	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, छिन्दवाड़ा
3	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, ग्वालियर

(1)	(2)	(3)
4	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, जबलपुर
5	मुरैना	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, मुरैना
6	नरसिंहपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, नरसिंहपुर
7	रतलाम	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, रतलाम
8	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, सागर
9	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, शिवपुरी
10	विदिशा	अतिरिक्त सेशन न्यायालय, विदिशा''.

F. No. 1-2-90-XXI-B-(1)-1564-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act, 1989 (No. 33 of 1989) the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby specifies the Court of Additional Sessions mentioned in column (3), as one additional special courts for districts mentioned in column (2), of the table given below, to try the offences under the said Act, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Districts (2)	Sessions Court (3)
“1	Chhatarpur	Additional Sessions Court, Chhatarpur
2	Chhindwara	Additional Sessions Court, Chhindwara
3	Gwalior	Additional Sessions Court, Gwalior
4	Jabalpur	Additional Sessions Court, Jabalpur
5	Morena	Additional Sessions Court, Morena
6	Narsinghpur	Additional Sessions Court, Narsinghpur
7	Ratlam	Additional Sessions Court, Ratlam
8	Sagar	Additional Sessions Court, Sagar
9	Shivpuri	Additional Sessions Court, Shivpuri
10	Vidisha	Additional Sessions Court, Vidisha.”

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक)-1731-2018.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 1, 3, 4, 7, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 28, 30, 34, 40, 42-क, 44, 46, 46-1, 46-3, 47-1 तथा 51 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
“1.	श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा, सोलहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.	इन्दौर	इन्दौर

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री राकेश कुमार जैन, ग्यारहवें, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.	ग्वालियर	ग्वालियर
4	श्री दिलीप गुप्ता, छठवें, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा.	रीवा	रीवा
7	श्री अब्दुल कादिर मंसूरी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर
14	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, होशंगाबाद.	होशंगाबाद	होशंगाबाद
15	श्री अफसर जावेद खान, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीहोर.	सीहोर	सीहोर
17	श्री पवन कुमार बंदिल, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.	भिण्ड	भिण्ड
21	श्री सुधीर मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन.	रायसेन	रायसेन
23	श्री अजय श्रीवास्तव, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा.	विदिशा	विदिशा
27	श्री अखिलेश्वर जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड).	मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड)	मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड)
28	श्री राजाराम भारतीय, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बालाघाट.	बालाघाट	बालाघाट
30	श्री नवनीत कुमार गोधा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
34	श्री सुनील मालवीय, द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, के प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.	झाबुआ	झाबुआ
40	श्री शिरीष कैलाश शुक्ल, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी.	सिवनी	सिवनी
42-क	श्रीमती कविता दीप खरे, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली.	सिंगरौली (बैठन)	सिंगरौली (बैठन)
44	श्री सभापति यादव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शहडोल.	शहडोल	शहडोल
46	श्री दिनेश चन्द्र थापलियाल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बड़वानी.	बड़वानी	बड़वानी

(1)	(2)	(3)	(4)
46-1	श्री जसवंत सिंह, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच.	नीमच	नीमच
46-3	श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावद.	जावद (नीमच)	जावद (नीमच)
47-1	श्री सुशील कुमार, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी.	कटनी	कटनी
51	श्री राकेश कुमार सिंह (जूनि.) द्वितीय, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.	अलीराजपुर	अलीराजपुर "

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No.1-6-89-XXI-B(1) 1731-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B (1), dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated the 17th April 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial numbers 1, 3, 4, 7, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 28, 30, 34, 40, 42-A, 44, 46, 46-1, 46-3, 47-1 and 51 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
"1	Shri Krishna Murti Mishra XVIth Additional Sessions Judge, Indore.	Indore	Indore
3	Shri Rakesh Kumar Jain, XIth Additional Sessions Judge, Gwalior.	Gwalior	Gwalior
4	Shri Dileep Gupta, VIth Additional Sessions Judge, Rewa.	Rewa	Rewa
7	Shri Abdul Kadir Mansoori, 1st Additional Sessions Judge, Mandasaur.	Mandasaur	Mandasaur
14	Shri Manoj Kumar Shrivastava, Special Judge, Scheduled Castes, Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Hoshangabad.	Hoshangabad	Hoshangabad
15	Shri Afsar Javed Khan, Special Judge, Scheduled Castes, Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sehore.	Sehore	Sehore

(1)	(2)	(3)	(4)
17	Shri Pawan Kumar Bandil, III rd Additional Sessions Judge, Bhind.	Bhind	Bhind
21	Shri Sudhir Mishra, Ist Additional Sessions Judge, Raisen.	Raisen	Raisen
23	Shri Ajay Shrivastava, IV th Additional Sessions Judge, Vidisha.	Vidisha	Vidisha
27	Shri Akhilesh Joshi, Special Judge, Scheduled Castes, Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, (West Nimar) Mandleshwar.	Mandleshwar (West Nimar)	Mandleshwar (West Nimar)
28	Shri Rajaram Bhartiya, Special Judge, Scheduled Castes, Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Balaghat.	Balaghat	Balaghat
30	Shri Navneet Kumar Godha, Special Judge, Scheduled Castes, Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Chhindwara.	Chhindwara	Chhindwara
34	Shri Sunil Malviya, IInd Additional Judge, to 1st Additional Sessions Judge, Jhabua.	Jhabua	Jhabua
40	Shri Shirish Kailash Shukla, IInd Additional Sessions Judge, Seoni.	Seoni	Seoni
42-A	Smt. Kavita Deep Khare, Ist Additional Sessions Judge, (Waidhan) Singraul.	Singrauli (Waidhan)	Singrauli (Waidhan)
44	Shri Sabhapati Yadav, Special Judge, Scheduled Castes, Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Shahdol.	Shahdol	Shahdol
46	Shri Dinesh Chandra Thapaliyal, Special Judge, Scheduled Castes, Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Barwani.	Barwani	Barwani
46-1	Shri Jaswant Singh, III rd Additional Sessions Judge, Neemuch.	Neemuch	Neemuch
46-3	Shri Neetiraj Singh Sisodiya, Additional Sessions Judge, Jawad (Neemuch).	Jawad (Neemuch)	Jawad (Neemuch)
47-1	Shri Sushil Kumar, IInd Additional Sessions Judge, Katni.	Katni	Katni
51	Shri Rakesh Kumar Singh (Jr.), IInd Additional Sessions Alirajpur.	Alirajpur	Alirajpur

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 17-(ई)-83-2003-इक्कीस-ब-(एक)-1769-2018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-2003-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 6, 8, 21, 23, 26-ए, 27, 41, 42, 53, 60, 61, 63, 65, 77, 79, 80-ए, 81-ए, 83, 89, 91, 98, 102, 107 एवं 112 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
06	बालाघाट	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.	सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
08	बड़वानी	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी.	सिविल जिला बड़वानी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 09 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
21	छिन्दवाड़ा	पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.	सिविल जिला छिन्दवाड़ा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 22 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) बिजावर का विद्युत् क्षेत्र.
23	दमोह	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.	सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 23-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
26-ए	देवास	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली.	बागली का विद्युत् क्षेत्र
27	देवास	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.	सोनकच्छ का विद्युत् क्षेत्र
41	हरदा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा.	सिविल जिला हरदा का विद्युत् क्षेत्र
42	होशंगाबाद	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद.	सिविल जिला होशंगाबाद का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 43, 44 एवं 44-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
53	झाबुआ	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	सिविल जिला झाबुआ, पेटलावद. एवं थांदला का समस्त विद्युत् क्षेत्र.
60	मुरैना	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना.	सिविल जिला मुरैना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 61, 62 एवं 63 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)
61	मुरैना	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह	अम्बाह का विद्युत् क्षेत्र
63	मुरैना	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा.	जौरा का विद्युत् क्षेत्र
65	नरसिंहपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गाडरवारा.	गाडरवारा एवं तेन्दुखेड़ा का विद्युत् क्षेत्र
77	रीवा	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा.	सिविल जिला रीवा के दक्षिण संभाग का संपूर्ण विद्युत् क्षेत्र.
79	रीवा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मउगंज.	मउगंज का विद्युत् क्षेत्र
80-ए	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बण्डा.	बण्डा का विद्युत् क्षेत्र
81-ए	सागर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बीना.	बीना का विद्युत् क्षेत्र
83	सतना	पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.	सिविल जिला सतना का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 84, 84-ए, 85 एवं 85-ए में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
89	सिवनी	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी.	सिविल जिला सिवनी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 90 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
91	शहडोल	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.	सिविल जिला शहडोल का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 92 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
98	शिवपुरी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी.	सिविल जिला शिवपुरी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 99 एवं 100 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
102	सिंगरौली	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली.	सिविल जिला सिवनी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 102-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
107	विदिशा	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा.	सिविल जिला विदिशा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 108 एवं 109 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
112	मण्डलेश्वर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वाह.	सनावद तथा बड़वाह का विद्युत् क्षेत्र."

F. No. 17(E) 83-2003-XXI-B(one)-1769-18.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 6, 8, 21, 23, 26-A, 27, 41, 42, 53, 60, 61, 63, 65, 77, 80-A, 81-A, 83, 89, 91, 98, 102, 107 and 112 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Balaghat	I st Additional Sessions Judge, Balaghat.	All Electricity area of Civil District Balaghat (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 7).
8.	Barwani	II nd Additional Sessions Judge, Barwani.	All Electricity area of Civil District Barwani (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 9).
21.	Chhindwara	V th Additional Sessions Judge, Chhindwara.	Electricity area of Chhindwara (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 22).
23.	Damoh	1st Additional Sessions Judge, Damoh.	All Electricity area of Civil District Damoh (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 23-A).
26-A.	Dewas	II nd Additional Sessions Judge, Bagli.	Electricity area of Bagli
27.	Dewas	II nd Additional Sessions Judge, Sonkatch.	Electricity area of Sonkatch
41.	Harda	II nd Additional Sessions Judge, Harda.	Electricity area of Civil District Harda
42.	Hoshangabad	III rd Additional Sessions Judge, Hoshangabad.	All Electricity Area of Civil District Hoshangabad (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 43, 44 & 44-A).
53.	Jhabua	II nd Additional Judge to 1st Additional Sessions Judge Jhabua.	All Electricity area of Civil District Jhabua, Petlavad & Thandla.
60.	Morena	IV th Additional Sessions Judge, Morena.	All Electricity Area of Civil District Morena (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 61, 62 & 63).
61.	Morena	II nd Additional Sessions Judge, Ambah.	Electricity area of Ambah

(1)	(2)	(3)	(4)
63.	Morena	1 st Additional Sessions Judge, Jora.	Electricity area of Jora
65.	Narsinghpur	1 st Additional Sessions Judge, Gadawara	Electricity area of Gadawara & Tendukhada.
77.	Rewa	IV th Additional Sessions Judge, Rewa.	All South Division Electricity area of Civil District Rewa.
79.	Rewa	II nd Additional Sessions Judge, Mauganj.	Electricity area of Mauganj.
80-A	Sagar	Additional Sessions Judge, Banda.	Electricity area of Banda
81-A	Sagar	II nd Additional Sessions Judge, Bina.	Electricity area of Bina
83.	Satna	V th Additional Sessions Judge, Satna.	All Electricity Area of Civil District Satna (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 84, 84-A, 85 & 85-A).
89.	Seoni	II nd Additional Sessions Judge, Seoni.	All Electricity Area of Civil District Seoni (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 90).
91.	Shahdol	II nd Additional Sessions Judge, Shahdol.	All Electricity Area of Civil District Shahdol (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 92).
98.	Shivpuri	III rd Additional Sessions Judge, Shivpuri.	All Electricity Area of Civil District Shivpuri (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 99 & 100).
102.	Singrauli	I st Additional Sessions Judge, Waidhan.	All Electricity Area of Civil District Singrauli (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 102-A).
107.	Vidisha	III rd Additional Sessions Judge, Vidisha.	All Electricity Area of Civil District Vidisha (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 108 & 109).
112.	West Nimad Mandleshwar	Additional Sessions Judge, Barwah.	Electricity Area of Sanawad & Barwah

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक)-1769, 1783-018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1, 6, 8, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 23-ए, 26-ए, 27, 28, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 53, 60, 61, 63, 65, 67, 67-ए, 69, 73, 75, 77, 78, 79, 80-ए, 81-ए, 82, 83, 85, 85-ए, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 105, 107, 108, 110 एवं 112 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात्:—

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
01	अलीराजपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर	श्री राकेश कुमार सिंह (जूनि.) द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.
06	बालाघाट	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	श्री वाचस्पति मिश्र, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.
08	बड़वानी	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी	श्री समीर कुलश्रेष्ठ, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी.
11	बैतूल	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुलताई	श्री कृष्ण दास महार, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुलताई.
12	भिण्ड	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड	श्री मुन्नालाल राठौर, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.
16	भोपाल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक-2, भोपाल.	श्री पंकज गौर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक-2, भोपाल.
19	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव	श्री अंतर सिंह अलावा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव.
20	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर	श्री धर्मे श भट्ट, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर.
21	छिन्दवाड़ा	पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा	श्री विनोद कुमार शर्मा, पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.
22	छिन्दवाड़ा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा	श्रीमती दिव्यांगना जोशी पांडे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा.
23	दमोह	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	श्री संदीप श्रीवास्तव, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.
23-ए	दमोह	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हटा	श्री अरविंद कुमार जैन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हटा.

(1)	(2)	(3)	(4)
26-ए	देवास	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली	श्री गौतम भट्ट, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली.
27	देवास	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ	श्री अशोक कुमार भारद्वाज, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.
28	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद	कु. नीता गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद.
31	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर	श्री अकबर शेख, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर.
40	ग्वालियर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा	श्री लखन लाल गर्ग, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा.
41	हरदा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा	श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा.
42	होशंगाबाद	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद	श्री सुरेश कुमार चौबे (जूनियर) तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद.
43	होशंगाबाद	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर	श्री रामप्रकाश मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर.
44	होशंगाबाद	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिपरिया	श्री आदेश कुमार जैन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिपरिया.
46	इन्दौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 6, इन्दौर.	श्री महेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-6, इन्दौर.
51	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 9, जबलपुर.	श्री अखिलेश शुक्ला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-9, जबलपुर.
53	झाबुआ	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	श्री सुनील मालवीय, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
60	मुरैना	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना	श्री सिद्धार्थ तिवारी, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना.
61	मुरैना	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह	डॉ. धर्मेन्द्र कुमार टाडा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह.

(1)	(2)	(3)	(4)
63	मुरैना	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा	श्री अनिल कुमार सिंह, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा.
65	नरसिंहपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गाडरवारा	श्री उमेश चन्द्र मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गाडरवारा.
67	नीमच	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनासा	श्री अखिलेश कुमार धाकड़, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनासा.
67-ए	नीमच	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावद	श्री नीतिराज सिंह सिंसोदिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावद.
69	पन्ना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पवई	श्री राजेश कुमार रावतकर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पवई.
73	राजगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा	कु. निवेदिता मुदगल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा.
75	रतलाम	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम	श्री तरूण सिंह, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम.
77	रीवा	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा	श्री राघवेन्द्र भारद्वाज, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा.
78	रीवा	षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा	श्री दिलीप गुप्ता, षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा.
79	रीवा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मउगंज	श्री चन्द्रमोहन उपाध्याय, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मउगंज.
80	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 10, सागर.	श्री महेन्द्र कुमार जैन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-10, सागर.
80-ए	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बण्डा	श्री उमाशंकर अग्रवाल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बण्डा.
81-ए	सागर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बीना	श्रीमती ज्योति मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बीना.
82	सागर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली	डॉ. सुधांशु सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली.
83	सतना	पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	श्री राकेश कुमार गोयल, पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
85	सतना	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर	श्री मनोज कुमार लड़िया, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर.

(1)	(2)	(3)	(4)
85-ए	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन.
88	सीहोर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नसरूल्लागंज	श्री अवधेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नसरूल्लागंज.
89	सिवनी	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी	श्री शिरीष कैलाश शुक्ल, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी.-
90	सिवनी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लखनादौन	श्री मोहित दीवान, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लखनादौन.
91	शहडोल	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल	श्री अनुज कुमार मिश्र, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.
92	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी	श्री जयदीप सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी.
94	शाजापुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शुजालपुर	श्री अमित रंजन समाधिया, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शुजालपुर.
96	शाजापुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सुसनेर	श्रीमती मैरी माग्रेट फ्रांसिस डेविड, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सुसनेर.
98	शिवपुरी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी	श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी.
100	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर	श्री संजय गोयल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.
102	सिंगरौली	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैढ़न	श्रीमती कविता दीप खरे, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैढ़न.
102-ए.	सिंगरौली	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवसर	श्री जयशंकर श्रीवास्तव, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवसर.
105	उज्जैन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खाचरौद	श्री आलोक कुमार सक्सेना, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खाचरौद.
107	विदिशा	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा	श्री प्रशांत कुमार, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा.
108	विदिशा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बासौदा	श्री आदित्य रावत, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बासौदा.
110	मण्डलेश्वर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर	श्रीमती आरती शर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.
112	मण्डलेश्वर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वाह	श्री कमल जोशी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वाह.

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-1769, 1783-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, for serial numbers 1, 6, 8, 11, 12, 16, 19, 26, 21, 22, 23, 23-A, 26-A, 27, 28, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 53, 60, 61, 63, 65, 67, 67-A, 69, 73, 75, 77, 78, 79, 80-A, 81-A, 82, 83, 85, 85-A, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 105, 107, 108, 110 and 112 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
“1	Alirajpur	IInd Additional Sessions Judge, Alirajpur.	Shri Rakesh Kumar Singh (Jr.), Additional Sessions Judge, Alirajpur.
6	Balaght	Ist Additional Sessions Judge, Balaght	Shri Vachaspati Mishra, Ist Additional Sessions Judge, Balaght.
8	Badwani	IInd Additional Sessions Judge, Badwani.	Shri Sameer Kulshreshta IInd Additional Sessions Judge, Badwani.
11	Betul	IIInd Additional Sessions Judge, Multai.	Shri Krishna Das Mahar, IIIrd Additional Sessions Judge, Multai.
12	Bhind	IInd Additional Sessions Judge, Bhind.	Shri Munna Lal Rathore, IInd Additional Sessions Judge, Bhind.
16	Bhopal	Additional Sessions Judge, Special Court No. 2, Bhopal.	Shri Pankaj Gour, Additional Sessions Judge, Special Court No. 2, Bhopal.
19	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Nowgaon.	Shri Antar Singh Alawa, Additional Sessions Judge, Nowgaon.
20	Chhatarpur	Ist Additional Sessions Judge, Bijawar.	Shri Dharmesh Bhatt, Ist Additional Sessions Judge, Bijawar.
21	Chhindwara	Vth Additional Sessions Judge, Chhindwara.	Shri Vinod Kumar Sharma, Vth Additional Sessions Judge, Chhindwara
22	Chhindwara	Additional Sessions Judge, Amarwara.	Smt. Divyangana Joshi Pandey, Additional Sessions Judge, Amarwara.
23	Damoh	IVth Additional Sessions Judge, Damoh.	Shri Sandeep Shrivastava, IVth Additional Sessions Judge, Damoh.
23-A	Damoh	Additional Sessions Judge, Hatta.	Shri Arivand Kumar Jain, Additional Sessions Judge, Hatta.
26-A	Dewas	IInd Additional Sessions Judge, Bagli.	Shri Gautam Bhatt, IInd Additional Sessions Judge, Bagli.

(1)	(2)	(3)	(4)
27	Dewas	IInd Additional Sessions Judge, Sonkatch.	Shri Ashok Bhardwaj, IInd Additional Sessions Judge, Sonkatch.
28	Dewas	Additional Sessions Judge, Kannod.	Ku. Neeta Gupta, Additional Sessions Judge, Kannod.
31	Dhar	Additional Sessions Judge, Manawar.	Shri Akbar Sheikh, Additional Sessions Judge, Manawar.
40	Gwalior	IInd Additional Sessions Judge, Dabra.	Shri Lakhan Lal Garg, IInd Additional Sessions Judge, Dabra.
41	Harda	IInd Additional Sessions Judge, Harda.	Shri Arun Shrivastava, IInd Additional Sessions Judge, Harda.
42	Hoshangabad	IIInd Additional Sessions Judge, Hoshangabad.	Shri Suresh Kumar Chaubey (Jr.) IIInd Additional Sessions Judge, Hoshangabad.
43	Hoshangabad	Ist Additional Sessions Judge, Sohagpur.	Shri Ram Prakash Mishra, Ist Additional Sessions Judge, Sohagpur.
44	Hoshangabad	Additional Sessions Judge, Pipariya.	Shri Adesh Kumar Jain, Additional Sessions Judge, Pipariya.
46	Indore	Additional Sessions Judge, Special Court No. 6, Indore.	Shri Mahesh Kumar Sharma, Additional Sessions Judge, Special Court No. 6, Indore.
51	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Special Court No. 9, Jabalpur.	Shri Akhilesh Shukla, Additional Sessions Judge, Special Court No. 9, Jabalpur.
53	Jhabua	IInd Additional Judge to Ist Additional Sessions Judge, Jhabua.	Shri Sunil Malviya, IInd Additional Judge to Ist Additional Sessions Judge, Jhabua.
60	Morena	IVth Additional Sessions Judge, Morena.	Shri Siddharth Tiwari, IVth Additional Sessions Judge, Morena.
61	Morena	Additional Sessions Judge, Ambah.	Shri Dr. Dharmendra Kumar Tada, Additional Sessions Judge, Ambah.
63	Morena	Ist Additional Sessions Judge, Jora.	Shri Anil Kumar Singh, Ist Additional Sessions Judge, Jora.
65	Narsinghpur	Ist Additional Sessions Judge, Gadarwara.	Shri Umesh Chandra Mishra, Ist Additional Sessions Judge, Gadarwara.
67	Neemuch	Additional Sessions Judge, Manasa.	Shri Akhilesh Kumar Dhakad, Additional Sessions Judge, Manasa.
67-A	Neemuch	Additional Sessions Judge, Jawad.	Shri Neetraj Singh Sisodiya, Additional Sessions Judge, Jawad.
69	Panna	Additional Sessions Judge, Pawai.	Shri Rajesh Kumar Rawatkar, Additional Sessions Judge, Pawai.

(1)	(2)	(3)	(4)
73	Rajgarh	Ist Additional Sessions Judge, Biaora.	Ku. Nivedita Mudgal, Ist Additional Sessions Judge, Biaora.
75	Ratlam	IVth Additional Sessions Judge, Ratlam.	Shri Tarun Singh, IVth Additional Sessions Judge, Ratlam.
77	Rewa	IVth Additional Sessions Judge, Rewa.	Shri Raghendra Bhardwaj, IVth Additional Sessions Judge, Rewa.
78	Rewa	Vth Additional Sessions Judge, Rewa.	Shri Dileep Gupta, Vth Additional Sessions Judge, Rewa.
79	Rewa	IInd Additional Sessions Judge, Mauganj.	Shri Chandra Mohan Upadhyay, IInd Additional Sessions Judge, Mauganj.
80	Sagar	Additional Sessions Judge, Special Court No. 10, Sagar.	Shri Mahendra Kumar Jain, Additional Sessions Judge, Special Court No. 10, Sagar.
80-A	Sagar	Additional Sessions Judge, Banda.	Shri Umashankar Agrawal, Additional Sessions Judge, Banda.
81-A	Sagar	IInd Additional Sessions Judge, Bina.	Smt. Juoti Mishra, IInd Additional Sessions Judge, Bina.
82	Sagar	Ist Additional Sessions Judge, Rehli.	Dr. Sudhanshu Saxena, Ist Additional Sessions Judge, Rehli.
83	Satna	Vth Additional Sessions Judge, Satna.	Shri Rakesh Kumar Goyal, Vth Additional Sessions Judge, Satna.
85	Satna	Ist Additional Sessions Judge, Maihar.	Shri Manoj Kumar Ladhia, Ist Additional Sessions Judge, Maihar.
85-A	Satna	Additional Sessions Judge, Amarpatan.	Shri Mahendra Kumar Tripathi, Additional Sessions Judge, Amarpatan.
88	Sehore	IInd Additional Sessions Judge, Nasrullaganj.	Shri Awadhesh Kumar Singh, IInd Additional Sessions Judge, Nasrullaganj.
89	Seoni	IInd Additional Sessions Judge, Seoni.	Shri Shirish Kailash Shukla, IInd Additional Sessions Judge, Seoni.
90	Seoni	Additional Sessions Judge, Lakhnadon.	Shri Mohit Diwan, Additional Sessions Judge, Lakhnadon.
91	Shahdol	IInd Additional Sessions Judge, Shahdol.	Shri Anuj Kumar Mittal, IInd Additional Sessions Judge, Shahdol.
92	Shahdol	Additional Sessions Judge, Beohari.	Shri Jaideep Singh, Additional Sessions Judge, Beohari.
94	Shajapur	IInd Additional Sessions Judge, Shajapur.	Shri Amit Ranjan Samadhiya, IInd Additional Sessions Judge, Shajapur.

(1)	(2)	(3)	(4)
96	Shajapur	Additional Sessions Judge, Susner.	Smt. Mary Margret Francis David, Additional Sessions Judge, Susner.
98	Shivpuri	IIIrd Additional Sessions Judge, Shivpuri.	Shri Bramha Shankar Dikshit, IIIrd, Additional Sessions Judge, Shivpuri.
100	Shivpuri	Additional Sessions Judge, Pichhor.	Shri Sanjay Goyal, Additional Sessions Judge, Pichhor.
102	Singrauli	Ist Additional Sessions Judge, Waidhan.	Smt. Kavita Deep Khare, Ist Additional Sessions Judge, Waidhan.
105	Ujjain	Additional Sessions Judge, Khachrod.	Shri Alok Kumar Saxena, Additional Sessions Judge, Khachrod
107	Vidisha	IIIrd Additional Sessions Judge, Vidisha.	Shri Prashant Kumar, IIIrd, Additional Sessions Judge, Vidisha.
108	Vidisha	IInd Additional Sessions Judge, Basoda.	Shri Aditya Rawat, IInd Additional Sessions Judge, Basoda.
110	Mandleshwar	Ist Additional Sessions Judge, Mandleshwar.	Smt. Arti Sharma, Ist Additional Sessions Judge, Mandleshwar.
112	Mandleshwar	Ist Additional Sessions Judge, Barwaha.	Shri Kamal Joshi, Ist Additional Sessions Judge, Barwaha.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल, 2018

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-1995-2018.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)2424-2015, दिनांक 27 अगस्त 2015 को आंशिक रूप से अतिरिक्त करते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीशों को उसके कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुख्यालय के लिए उसके कॉलम (4) में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 उपधारा (1) खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में तथा दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन अन्वेषण किये गये समस्त अन्य अपराधों के संबंध में, मामलों के विचारण के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

सारणी

अनु. क्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
12	अष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	भोपाल	भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद एवं हरदा
13	पन्द्रहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	भोपाल	भोपाल, राजगढ़ एवं विदिशा
16	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	ग्वालियर	ग्वालियर, टीकमगढ़ एवं श्योपुर
17	नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	ग्वाबियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, दतिया एवं अशोकनगर”.

F.N. 1-5-96-XXI-B(One)-1995-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No.49 of 1988), and partially in supersession of this departments notification F.No. 1-5-96-XXI-B(One)2424-2015, dated 27th August 2015, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judges specified in column (2) of the Table below to be the Special Judge with the head Quarter specified in the corresponding entry in column (3) thereof for the areas comprising in column (4) thereof to try the cases relating to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) Section 3 of the said Act and all other offences investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judge (2)	Headquarter (3)	Jurisdiction of special court (4)
12	VIII Additional Sessions Judge	Bhopal	Bhopal, Betul, Hoshangabad and Harda
13	XV Additional Sessions Judge	Bhopal	Bhopal, Rajgarh and Vidisha
16	IV Additional Sessions Judge	Gwalior	Gwalior, Tikamgarh and Sheopur
17	IX Additional Sessions Judge	Gwalior	Gwalior, Bhind, Morena, Guna, Shivpuri, Datia and Ashoknagar.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2018

फा. क्र. 1726, 1566-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु श्री सत्यम अग्रवाल अधिवक्ता, जबलपुर को एक अतिरिक्त स्वीकृत किये गये पद पर मासिक पारिश्रमिक राशि 55,000/- (पचपन हजार) पर धारा 24(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश जारी करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषासिक व्यय पा सकेंगे. फीस का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1727, 2927-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला बालाघाट के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री दुर्गा प्रसाद बिसेन, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी.-359-91, दिनांक 8 मार्च 1991) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री दुर्गा प्रसाद बिसेन अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 20 मई 1963 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री दुर्गा प्रसाद बिसेन, अधिवक्ता, बालाघाट को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 (सी) एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2018

क्र. 488-678-2018-चौवन-1.—राज्य शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना वर्ष 2017-18 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन की स्वीकृति प्रदान करता है :—

- (1) वर्तमान में स्वीकृत प्रशिक्षण योजना की कंडिका 3.1(2) को विलोपित किया जाकर उसके स्थान

- पर "प्रशिक्षण संस्थान अथवा विशेषज्ञ संस्थान में से किसी एक संस्थान का पंजीयन सोसाईटी/ट्रस्ट/भागीदार फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में 05 वर्ष पूर्व का होना आवश्यक है." स्थापित किया जावे.
- (2) वर्तमान में स्वीकृत प्रशिक्षण योजना की कंडिका 3.1(3) को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के क्षेत्र में उच्च सफलता दर प्रदर्शित करने वाले एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये शासकीय विभागों में कोचिंग के क्षेत्र में अनुभवधारी प्रशिक्षण संस्थाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी." स्थापित किया जावे.
- (3) वर्तमान में स्वीकृत प्रशिक्षण योजना की कंडिका 3.1 (4) में 3.1 (4ए) सम्मिलित किया जाकर "प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु आर्थिक रूप से सक्षम प्रशिक्षण संस्था तथा उत्कृष्ट विशेषज्ञ संस्थान के मध्य अनुबंध के आधार पर किया जा सकता है सक्षम होने की दशा में प्रशिक्षण संस्थान/उत्कृष्ट विशेषज्ञ संस्थान स्वयं भी पात्र होंगे."
- (4) वर्तमान में स्वीकृत प्रशिक्षण योजना की कंडिका 3.1 (5) में दर्ज 3000 स्ववायर फीट क्षेत्रफल को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "5000 स्ववायर फीट क्षेत्रफल" को किया जाए.
- (5) वर्तमान में स्वीकृत प्रशिक्षण योजना की कंडिका 3.1 (9) अन्तर्गत "प्रशिक्षण संस्थानों का विगत 03 वर्ष का औसत टर्न ओवर 50.00 लाख या अधिक होने पर प्राथमिकता दी जाएगी" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "प्रशिक्षण संस्था का विगत 05 वर्षों का औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष रुपये 50.00 लाख होना अनिवार्य होगा." स्थापित किया जावे.
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश एस शेट्टे, सचिव.
- भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2018
- क्र. एफ-4-4-2014-चौवन-2.—श्री कमर इकबाल खान, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कटनी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त होने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा श्री कमर इकबाल खान, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पीठासीन अधिकारी, म. प्र. राज्य वक्फ अधिकरण के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है.
2. प्रतिनियुक्ति की शर्तें पृथक् से जारी की जावेगी.
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2018

क्र. एफ-11-05-2018-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण अधीन सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं	स्मारक की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	सर्किट हाउस के नीचे पन्ना.	सर्किट हाउस के पास मकबरा क्रमांक-1, पन्ना.	ख. नं. 3175	0.045 हे.	शासन	नहीं	70×70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	सर्किट हाउस के नीचे पन्ना.	सर्किट हाउस के पास मकबरा क्रमांक-2, पन्ना.	ख. नं. 3175	0.026 हे.	शासन	नहीं	70×40

क्र. एफ-11-06-2018-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्सीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण अधीन सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं	स्मारक की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	छत्रसाल पार्क के अन्दर	छत्रसाल पार्क स्थित मकबरा क्रमांक-01.	ख. नं. 3234/9	0.071 हे.	शासन	नहीं	100×77
म. प्र.	पन्ना	पन्ना	छत्रसाल पार्क के अन्दर पन्ना.	छत्रसाल पार्क स्थित मकबरा क्रमांक-02.	ख. नं. 3234/9	0.050 हे.	शासन	नहीं	77×71

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमेरेखा ढोले, अवर सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2018

क्र. 860-1546-2017-तीन-जेल.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश जेल मैनुअल के नियम 815(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय जेल जबलपुर, उप जेल सिहोरा, केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर एवं उप जेल डबरा, जिला ग्वालियर हेतु कॉलम (2) में अंकित अशासकीय व्यक्तियों को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है :—

जेल का नाम	अनुशंसित नाम	पता
(1)	(2)	(3)
केन्द्रीय जेल, जबलपुर	1. श्री गणेश मिश्रा पिता श्री रामगोपाल मिश्रा	म. नं. 250, पूजा नर्सिंग होम के पीछे, जाबालि कालोनी, महात्मा गांधी वार्ड, जबलपुर.

(1)	(2)	(3)
	2. श्री बबलू खत्री पिता स्व. श्री अमरचंद्र खत्री	77, माडल टाउन रोड, बिलहरी, जबलपुर
	3. श्री संतोष जायसवाल पिता स्व. श्री जी. पी. जायसवाल.	1013/1, बेलबाग थाने के सामने, नमन शोरूम, जबलपुर
	4. श्री राजेश बडगैया पिता श्री बी. डी. बडगैया	2524-पुरवा, गढ़ा, जबलपुर
	5. श्रीमती विमला साहू पति श्री घनश्याम प्रसाद साहू.	33/12, आकाश बिहार आई. टी. आई. के पीछे, अग्रसेन वार्ड, जबलपुर.
	6. श्रीमति सारिका राय पति दशरथ राय	39 आकाश विहार, महाकाली मंदिर के पास, विजयनगर, जबलपुर.
उप जेल सिहोरा	1. श्री अनुपम सराफ पिता स्व. श्री राधेश्याम सराफ.	पेट्रोल पंप, कॉलोनाईजर, वार्ड नं. 6 झण्डा बाजार सिहोरा, जिला जबलपुर.
केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर	1. श्री रमाकान्त चौबे पिता श्री हरिचरण चौबे	शंकराचार्य वार्ड, धनारे कालोनी, नरसिंहपुर
	2. श्री शिशिर चरण दुबे पिता श्री सुरेश चरण दुबे.	राजीव वार्ड, कंदेली, नरसिंहपुर
	3. श्रीमती गीता बेदी पति श्री महेश नन्दन बेदी शुक्ला.	बजरंग वार्ड, अजय आइल मिल के पास, कंदेली नरसिंहपुर.
उप जेल डबरा, जिला ग्वालियर	1. श्री विजय श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री रामभरोसे श्रीवास्तव.	गुरूद्वारा रोड, जवाहरगंज, डबरा, जिला ग्वालियर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय नथानियल, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2018

क्र. एफ 03-02-2018-तीन-जेल.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 3 के खण्ड (1) तथा मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् जिला जेल, अनूपपुर को इस आदेश के जारी होने की तारीख से जिला जेल, अनूपपुर के रूप में घोषित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. सी. सेमवाल, अपर मुख्य सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला—रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 16 अप्रैल 2018

क्र. 834-17 भू-अभि.-रा.नि. 4-2018.—मैं, भावना वालिम्बे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायसेन, एतद्द्वारा, बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, रायसेन जिले की जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में, तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करती हूँ. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष की कालावधि के लिये होगा.

जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, जिला रायसेन

क्र.	अधिनियम की धाराएं	संख्या	पद	नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	धारा 13(2) (ए) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी.	1	अध्यक्ष	जिला दण्डाधिकारी, रायसेन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	धारा 13(2) (बी) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी हो.	3	सदस्य	1. श्री राजा अमरजीत सिंह 2. श्री रामलाल मेहरा 3. श्रीमति राधाबाई बरकरे
3	धारा 13(2) (सी) के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी हो.	2	सदस्य	1. श्री राधेलाल रघुवंशी 2. श्रीमति ममता दुबे
4	धारा 13(2) (डी) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभीकरण के सदस्य.	3	सदस्य	1. पुलिस अधीक्षक, जिला रायसेन 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन. 3. सहा. आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कार्य विभाग, रायसेन.
5	धारा 13(2) (ई) के अन्तर्गत बैंक अधिकारी.	1	सदस्य	1. लीड बैंक अधिकारी, जिला रायसेन.

क्र. 834-17 भू-अभि.-रा.नि. 4-2018.—में, भावना वालिम्बे, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, रायसेन, एतद्वारा, बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, अनुभाग रायसेन की स्तरीय बंधक श्रमिक सर्तकता समिति में, तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करती हूँ. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष की कालावधि के लिये होगा.

अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सर्तकता समिति, अनुभाग रायसेन

क्र. (1)	अधिनियम की धाराएं (2)	संख्या (3)	पद (4)	नाम (5)
1	धारा 13(3) (ए) के अन्तर्गत अनुभाग दण्डाधिकारी.	1	अध्यक्ष	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायसेन
2	धारा 13(3) (बी) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य जो अनुभाग के निवासी हो.	3	सदस्य	1. श्री प्रकाश मालवीय, निवासी वार्ड नं. 09, रायसेन. 2. श्री शैतानसिंह पवार, निवासी चोपड़ा मोहल्ला, रायसेन. 3. श्री कालूराम खतरी, रामलीला मैदान, वार्ड नं. 10, रायसेन.
3	धारा 13(3) (सी) के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुभाग के निवासी हो.	2	सदस्य	1. श्री राजीव लोचन चौबे, निवासी रायसेन. 2. श्रीमति वर्षा लोधी, निवासी वार्ड नं. 4, रायसेन.
4	धारा 13(3) (डी) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभीकरण के सदस्य.	3	सदस्य	1. विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, रायसेन. 2. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सांची. 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सांची.
5	धारा 13(3) (ई) के अन्तर्गत बैंक अधिकारी.	1	सदस्य	प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक, रायसेन
6	धारा 13(3) (एफ) अनुसार अनुभाग में धारा 10 के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी.	1	सदस्य	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), रायसेन.

क्र. 834-17 भू-अभि.-रा.नि. 4-2018.—मैं, भावना वालिम्बे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायसेन, एतद्द्वारा, बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, अनुभाग गैरतगंज की अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में, तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करती हूँ. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष की कालावधि के लिये होगा:—

अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, अनुभाग गैरतगंज

क्र. (1)	अधिनियम की धाराएं (2)	संख्या (3)	पद (4)	नाम (5)
1	धारा 13(3) (ए) के अन्तर्गत अनुभाग दण्डाधिकारी.	1	अध्यक्ष	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गैरतगंज
2	धारा 13(3) (बी) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य जो अनुभाग के निवासी हो.	3	सदस्य	1. श्री हरज्ञान गौड़, निवासी ग्राम रसीदपुर. 2. श्री मुंशीलाल गौड़, निवासी ग्राम सिंहपुर. 3. श्री संजय कुमार धोबी, निवासी ग्राम गढ़ी.
3	धारा 13(3) (सी) के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुभाग के निवासी हों.	2	सदस्य	1. श्री भागचंद चौरसिया, निवासी ग्राम गढ़ी. 2. श्री नवीन जैन, निवासी गैरतगंज
4	धारा 13(3) (डी) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभिाकरण के सदस्य.	3	सदस्य	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गैरतगंज. 2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, गैरतगंज. 3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, गैरतगंज.
5	धारा 13(3) (ई) के अन्तर्गत बैंक अधिकारी.	1	सदस्य	प्रबंधक, सेन्ट्रल मध्यप्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गढ़ी.
6	धारा 13(3) (एफ) अनुसार अनुभाग में धारा 10 के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी.	1	सदस्य	थाना प्रभारी, गैरतगंज

क्र. 834-17 भू-अभि.-रा.नि. 4-2018.—मैं, भावना वालिम्बे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायसेन, एतद्द्वारा, बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, अनुभाग बेगमगंज की अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में, तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करती हूँ. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष की कालावधि के लिये होगा:—

अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, अनुभाग बेगमगंज

क्र. (1)	अधिनियम की धाराएं (2)	संख्या (3)	पद (4)	नाम (5)
1	धारा 13(3) (ए) के अन्तर्गत अनुभाग दण्डाधिकारी.	1	अध्यक्ष	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बेगमगंज
2	धारा 13(3) (बी) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य जो अनुभाग के निवासी हो.	3	सदस्य	1. श्री पन्नालाल ठाकुर, वार्ड क्र. 09, जनपद पंचायत, बेगमगंज. 2. श्री हल्केराम, जनपद सदस्य, वार्ड क्र. 13, जनपद पंचायत, बेगमगंज. 3. श्री गुलाब रजक, पार्षद वार्ड क्र. 11, नगरपालिका परिषद्, बेगमगंज.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	धारा 13(3) (सी) के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुभाग के निवासी हों.	2	सदस्य	1. श्री मंशाराम पंथी 2. श्री महेन्द्र अहिरवार
4	धारा 13(3) (डी) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभीकरण के सदस्य.	3	सदस्य	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बेगमगंज. 2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बेगमगंज. 3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बेगमगंज.
5	धारा 13(3) (ई) के अन्तर्गत बैंक अधिकारी.	1	सदस्य	प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, बेगमगंज.
6	धारा 13(3) (एफ) अनुसार अनुभाग में धारा 10 के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी.	1	सदस्य	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), बेगमगंज.

क्र. 834-17 भू-अभि.-रा.नि. 4-2018.—मैं, भावना वालिम्बे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायसेन, एतद्वारा, बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, अनुभाग सिलवानी की अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में, तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करती हूँ. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष की कालावधि के लिये होगा:—

अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, अनुभाग सिलवानी

क्र. (1)	अधिनियम की धाराएं (2)	संख्या (3)	पद (4)	नाम (5)
1	धारा 13(3) (ए) के अन्तर्गत अनुभाग दण्डाधिकारी.	1	अध्यक्ष	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिलवानी
2	धारा 13(3) (बी) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य जो अनुभाग के निवासी हों.	3	सदस्य	1. श्री मुन्ना/गनेश आदि., दिलहारी 2. श्री विजय सिंह मेहरा, निवासी सिमारिया. 3. श्री महेश/हरप्रसाद, निवासी गैलवानी.
3	धारा 13(3) (सी) के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुभाग के निवासी हो.	2	सदस्य	1. श्री सैयद कासिम, निवासी खैरी 2. श्री एस. के. जैन, निवासी सिलवानी.
4	धारा 13(3) (डी) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभीकरण के सदस्य.	3	सदस्य	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिलवानी. 2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सिलवानी. 3. महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिलवानी.
5	धारा 13(3) (ई) के अन्तर्गत बैंक अधिकारी.	1	सदस्य	प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, सिलवानी.
6	धारा 13(3) (एफ) अनुसार अनुभाग में धारा 10 के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी.	1	सदस्य	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सिलवानी.

क्र. 834-17 भू-अभि.-रा.नि. 4-2018.—मैं, भावना वालिम्बे, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, रायसेन, एतद्वारा, बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, अनुभाग बरेली की अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में, तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करती हूँ. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष की कालावधि के लिये होगा:—

अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, अनुभाग बरेली

क्र. (1)	अधिनियम की धाराएं (2)	संख्या (3)	पद (4)	नाम (5)
1	धारा 13(3) (ए) के अन्तर्गत अनुभाग दण्डाधिकारी.	1	अध्यक्ष	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बरेली
2	धारा 13(3) (बी) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य जो अनुभाग के निवासी हो.	3	सदस्य	1. श्री राजेन्द्र सिंह आदिवासी, ग्राम बरखन्दा, तहसील उदयपुरा. 2. श्री प्रभाकर मेहरा, पूर्व जिला अध्यक्ष, ज. प., निवासी उदयपुरा. 3. श्री हरिशंकर मेहरा, भोडिया, तहसील बरेली.
3	धारा 13(3) (सी) के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुभाग के निवासी हो.	2	सदस्य	1. श्री राजा भैया चौधरी, नाहर कालोनी, बरेली. 2. श्री चंपालाल कुशवाहा, निवासी भारकच्छकला.
4	धारा 13(3) (डी) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभिकरण के सदस्य.	3	सदस्य	1. प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,, बरेली. 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बाडी. 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, उदयपुरा.
5	धारा 13(3) (ई) के अन्तर्गत बैंक अधिकारी.	1	सदस्य	मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बरेली.
6	धारा 13(3) (एफ) अनुसार अनुभाग में धारा 10 के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी.	1	सदस्य	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), बरेली.

क्र. 834-17 भू-अभि.-रा.नि. 4-2018.—मैं, भावना वालिम्बे, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, रायसेन, एतद्वारा, बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, अनुभाग गोहरगंज की अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में, तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करती हूँ. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष की कालावधि के लिये होगा:—

अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, अनुभाग गोहरगंज

क्र. (1)	अधिनियम की धाराएं (2)	संख्या (3)	पद (4)	नाम (5)
1	धारा 13(3) (ए) के अन्तर्गत अनुभाग दण्डाधिकारी.	1	अध्यक्ष	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गोहरगंज
2	धारा 13(3) (बी) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य जो अनुभाग के निवासी हो.	3	सदस्य	1. श्री सरदार सिंह बरकरे, निवासी पिपलियागोली. 2. श्री जतनसिंह पटेल, निवासी मगरधा. 3. श्री सर्वोदय नंद अहिरवार, निवासी हरई.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	धारा 13(3) (सी) के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुभाग के निवासी हो.	2	सदस्य	1. श्री माखन सिंह नागर, निवासी नानाखेडी. 2. श्री लोकेन्द्र राजपूत, निवासी सांतरा.
4	धारा 13(3) (डी) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय अभीकरण के सदस्य.	3	सदस्य	1. श्रम पदाधिकारी, मण्डीदीप 2. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग. 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद, औबेदुल्लागंज.
5	धारा 13(3) (ई) के अन्तर्गत बैंक अधिकारी.	1	सदस्य	प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, गौहरगंज.
6	धारा 13(3) (एफ) अनुसार अनुभाग में धारा 10 के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी.	1	सदस्य	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), औबेदुल्लागंज.

भावना वालिम्बे, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, विंध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2018

“ग्रीष्म कालीन अवकाश बावत्”

क्र. सह.अधि.-स्था.-18-699.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम 24 के प्रावधानों के अनुसार मान. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 21 मई 2018 से 15 जून 2018 तक में से पन्द्रह दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.

2. तदनुसार इस अधिकरण के मान. अध्यक्ष दिनांक 28 मई 2018 से 11 जून 2018 तक ग्रीष्म कालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालय कार्य यथावत् जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

Notes :

1. * Tuesday 6th March 2018 will be a Holiday for Bench Indore only on account of Rang Panchmi and in lieu, thereof *Saturday 21st April, 2018 will be court working day for Bench Indore.

2. Makar Sankranti dated 14-1-2018, Gudi Padwa dated 18-3-2018, Ramnavmi dated 25-3-2018, Budh Purnima dated 29-4-2018, Raksha Bandhan dated 26-8-2018, falls on Sunday & Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi dated 14-4-2018, Id-UI-Fitar dated 16-6-2018 fall on closed Saturday, therefore these holiday are not declared separately.

3. Staurdays falling on 13th & 20th January, 10th & 17th February, 10th & 17th March, 14th & 21st April, 12th & 19th May, 9th & 16th June, 14th & 21st July, 11th & 18th August, 8th & 15th September, 13th & 20th October, 10th & 17th November, 8th & 15th Decemberr will be closed Saturday of High Court.

4. Summer Vacation of High Court shall be from 21st May 2018 to 15th June, 2018 and Winter Vacation from 24th December 2018 to 31st December, 2018.

5. The Holidays in respect of Id-UI-Fitar, Id-ul-Zuha, Moharrum and Id-milad un-Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon.

By order of the High Court,
(MOHD. FAHIM ANWAR, Registrar General.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 4881-भू-अर्जन-2018.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 अप्रैल 2018

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-10-8/2012/18-2 भोपाल दिनांक 13 सितम्बर 2012 तथा प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 1041/या0प्र0/7-5/UIDSSMT/2017 भोपाल दिनांक 31 जनवरी 2017 के अन्तर्गत प्राप्त है।

3 अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पाण्डुर्णा नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या होने के कारण क्षेत्रवासियों के पेयजल व्यवस्था सुलभ कराने की दृष्टि से यह योजना मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अन्तर्गत कामठीकला जलाशय का निर्माण किया जाकर पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से क्रियान्वित की जायेगी। प्रस्तावित निजी भूमि का अर्जन औद्योगिक क्षेत्र/संस्थाओं के लिए नहीं किया जा रहा है, यह योजना शहरी लघु पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म0प्र0 के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4 इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-मरकावाडा प0ह0न0-34, ब0न0-301, रा0नि0म0- नांदनवाडी	रकबा-16.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	नगर पालिका परिषद पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के पेयजल हेतु कामठीकला जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने बाबत

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पाण्डुर्णा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण सहायक यंत्री नगर पालिका परिषद पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4882-भू-अर्जन-2018.

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-10-8/2012/18-2 भोपाल दिनांक 13 सितम्बर 2012 तथा प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 1041/या0प्र0/7-5/UIDSSMT/2017 भोपाल दिनांक 31 जनवरी 2017 के अन्तर्गत प्राप्त है।

3 अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पाण्डुर्णा नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या होने के कारण क्षेत्रवासियों के पेयजल व्यवस्था सुलभ कराने की दृष्टि से यह योजना मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अन्तर्गत कामठीकला जलाशय का निर्माण किया जाकर पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से क्रियान्वित की जायेगी। प्रस्तावित निजी भूमि का अर्जन औद्योगिक क्षेत्र/संस्थाओं के लिए नहीं किया जा रहा है, यह योजना शहरी लघु पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म0प्र0 के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्राक्कलन इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। "भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-मांगुरली प0ह0न0-37, ब0न0-308, रा0नि0म0- नांदनवाडी	रकबा-72.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	नगर पालिका परिषद पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के पेयजल हेतु कामठीकला जलाशय के बाध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने बाबत

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पाण्डुर्णा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण सहायक यंत्री नगर पालिका परिषद पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4883-भू-अर्जन-2018.

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-10-8/2012/18-2 भोपाल दिनांक 13 सितम्बर 2012 तथा प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 1041/या0प्र0/7-5/UIDSSMT/2017 भोपाल दिनांक 31 जनवरी 2017 के अन्तर्गत प्राप्त है।

3 अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पाण्डुर्णा नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या होने के कारण क्षेत्रवासियों के पेयजल व्यवस्था सुलभ कराने की दृष्टि से यह योजना मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अन्तर्गत कामठीकला जलाशय का निर्माण किया जाकर पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से क्रियान्वित की जायेगी। प्रस्तावित निजी भूमि का अर्जन औद्योगिक क्षेत्र/संस्थाओं के लिए नहीं किया जा रहा है, यह योजना शहरी लघु पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म0प्र0 के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-उमरीखुर्द, प0ह0न0-38, ब0न0-308, रा0नि0म0- नांदनवाडी.	रकबा-16.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	नगर पालिका परिषद पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के पेयजल हेतु कामठीकला जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने बाबत

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पाण्डुर्णा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण सहायक यंत्री नगर पालिका परिषद पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4884-भू-अर्जन-2018.

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-10-8/2012/18-2 भोपाल दिनांक 13 सितम्बर 2012 तथा प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 1041/या0प्र0/7-5/UIDSSMT/2017 भोपाल दिनांक 31 जनवरी 2017 के अन्तर्गत प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पाण्डुर्णा नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या होने के कारण क्षेत्रवासियों के पेयजल व्यवस्था सुलभ कराने की दृष्टि से यह योजना मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अन्तर्गत कामठीकला जलाशय का निर्माण किया जाकर पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से क्रियान्वित की जायेगी। प्रस्तावित निजी भूमि का अर्जन औद्योगिक क्षेत्र/संस्थाओं के लिए नहीं किया जा रहा है, यह योजना शहरी लघु पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 की उपधारा-1 के सम्बंध में म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 म0प्र0 के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-कामठीकला, 4 प0ह0न0-36, ब0न0-300, रा0नि0म0- नांदनवाडी	रकबा-70.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	नगर पालिका परिषद पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के पेयजल हेतु कामठीकला जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने बाबत

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पाण्डुर्णा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण सहायक यंत्री नगर पालिका परिषद पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

रा.प्र. क्र. 05 अ-82-2017-2018-भू-अर्जन.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 फरवरी 2018

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत अम्बाखापा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में अम्बाखापा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-सावंगी, प0ह0न0-26 ब0न0-332 रा0नि0म0-सौंसर	विनायक पिता शंकरराव पाटील ब्राम्हण निवासी ग्राम भूमि स्वामी	336/7	0.064	अम्बाखापा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	0.064 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 2057-भू-अर्जन-2018.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 फरवरी 2018

अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/1875 भोपाल, दिनांक 14.09.2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-डांगवानी पिपरिया, प0ह0न-39, ब.न.-223, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा 1	रकबा-01.118 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1,चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसभाग क्रमांक 01, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 2058-भू-अर्जन-2018.

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/1875 भोपाल, दिनांक 14.09.2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-भूला, प0ह0न-41, ब.न.-436, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा 1,	रकबा-0.944 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग कमांक-1, चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसभाग कमांक 01, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 2059-भू-अर्जन-2018.

अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263 भोपाल, दिनांक 25.09.2013 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-देवरीकला, प0ह0न-04, ब.न.-133, रा0नि0म0-चौरई,	रकबा-06.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं M0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (M0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग कमांक-1,चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसभाग कमांक 02, सिंगना के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे.के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.

बुरहानपुर, दिनांक 20 मार्च 2018

प्रारंभिक सूचना

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क. 01 में बोरबन सिंचाई तालाब योजना अंतर्गत ग्राम चौखण्डा, बालाघाट तहसील खकनार जिला बुरहानपुर की प्रस्तावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - चौखण्डा, बालापाठ

तहसील - खकनार, जिला बुरहानपुर

क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मै)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	बोरबन सिंचाई तालाब योजना हेतु	54.099	42.263	96.362

अनुसूची (2)

बोरबन सिंचाई तालाब योजना अंतर्गत ग्राम चौखण्डा, बालापाठ, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर की प्रस्तावित भूमि का विवरण

क्र.सं.	भूमि धारक का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम - चौखण्डा								
1	नर्मदा पुत्री भैर्यालाल, योगेश पिता मंगल, छज्जूलाल, रूपचंद, लालसिंग पिता गंगाराम, भागारती पिता गंगाराम, सेवन्ति पुत्री महादीग	73	5.640		5.640	1.460		1.460
2	कालियापिता देवसा बिस्सो पुत्री देवसाझुनाबाई बेवा दलप सुरेश कुमार ओमप्रकाश पिता दलप सरजू शान्ता पुष्पा पुत्रीदलप जाति गोंड पता निवासी धनी	166/1		1.690	1.690		0.290	0.290
3	गला पिता गंभीरा उर्फ गमरिया पता निवासी मोरकट्टा	166/2	0.470		0.470	0.160		0.160
4	कालिया पिता देवसा बिस्सो पुत्री देवसाझुनाबाई बेवा दलप सुरेश कुमार ओमप्रकाश पिता दलप सरजू शान्ता पुष्पापुत्री दलप	167		5.970	5.970		5.440	5.440
5	गला पिता गंभीरा उर्फ गमरिया पता निवासी मोरकट्टा	168/3		0.830	0.830		0.072	0.072
6	नमाय बेवा दादू, अमरलाल ना.बा., हिरासिंग ना.बा. पुत्र रामसिंग,	185/1		2.000	2.230	2.000	0.030	2.030
7	हिरालाल पिता तुमला	185/2		0.600	0.600	0.300		0.300
8	सुन्दरबाई, फुलकईबाई पिता दादू	185/3		1.020	1.020	0.400	0.020	0.420
9	सोमकलीबाई पिता दादू	185/4		0.510	0.510	0.200		0.200
10	ध्यानसिंग पिता सुभानसिंग	185/5		0.180	0.180	0.090		0.090
11	बेटियाबाई वि. रामलाल अनिता ललीता मनीता पुत्री रामलाल रूपचंदपिता रामलाल हिरालाल पिता तुमला	186	3.860		3.860	3.130		3.130
12	गुजीबाई बेवा बिसराम, मंगलू पिता मागू, फुल्लो, ताराबाई, मीराबाई पार्वतीबाई पुत्री बिसराम, भीमसिंग, रामसिंग पिता बिसराम	187	4.290		4.290	3.610		3.610
13	फगनु, फगनसिंग पिता बाबू, झांगोबाई पुत्री बाबू	188		0.430	0.430		0.430	0.430

स.क्र.	भूमि धारक का नाम एवं पिता का नाम.	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	छन्नू पिता पाचू, भूरी दल्लू पिता पाइ हिरयू वि. मांगूचंद, चंदरीया पिता मांगू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी साबुलाल पिता मांगू झुनिया पिता मांगू, रामोताबाई बेवा कल्लू बिहारीलाल रामेश्वर रामलाल सोमलाल पिता कल्लू, बिसोबाई कलावतीबाई रूखमीबाई पुत्री कल्लू	190		2.590	2.590		2.590	2.590
15	रामभाऊ, रामलाल पिता सानू	191		0.650	0.650		0.650	0.650
16	प्रेमलाल पिता चुन्यासुन्दरबाई पुत्री चुन्या अंबुबाई बेवा चुन्या	192		0.460	0.460		0.460	0.460
17	भैयालाल पिता पटेल, समोती पुत्री पटेल गंगाय बेवा सिताराम छगन नंदकिशोर पिता सिताराम. सागरबाई भागरतीबाई पुत्री सिताराम	193		0.560	0.560		0.560	0.560
18	छन्नू पिता पाचू, भूरी दल्लू पिता पाइ हिरयू वि. मांगूचंद, चंदरीया पिता मांगू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी साबुलाल पिता मांगू झुनिया पिता मांगू, रामोताबाई बेवा कल्लू बिहारीलाल रामेश्वर रामलाल सोमलाल पिता कल्लू, बिसोबाई कलावतीबाई रूखमीबाई पुत्री कल्लू	194		3.610	3.610		3.610	3.610
19	बाबूलाल रामलाल श्यामलाल सोमलाल नंदलाल पिता पुन्या, रामकली पुत्री पुन्या रूखकोबाई	195		7.310	7.310		2.210	2.210
20	गोरीशंकर, रामचन्द्र, रमेश पिता रामलाल] गुलदी पुत्री रामलाल	196/1		0.900	0.900		0.900	0.900
21	रमेश पिता रामलाल	196/2	1.730		1.730	0.630		0.630
22	गोरीशंकर, रामचन्द्र, रमेश पिता रामलाल गुलदी पुत्री रामलाल	198/1		0.870	0.870		0.870	0.870
23	रमेश पिता रामलाल	198/2		1.730	1.730		0.760	0.760
24	श्रीराम पिता जैराम	198/5	0.810		0.810	0.810		0.810
25	जयराम पिता सानू पता नि. उतावली	199/1		1.130	1.130		0.030	0.030
26	हरीराम पिता जयराम	199/2		2.400	2.400		1.400	1.400
27	श्रीराम पिता जैराम	199/3		3.620	3.620		2.620	2.620
28	भैयालाल पिता पटेल, समोती पुत्री पटेल गंगाय बेवा सिताराम छगन नंदकिशोर पिता सिताराम. सागरबाई भागरतीबाई पुत्री सिताराम	200		1.020	1.020		1.020	1.020
29	प्रेमलाल पिता चुन्यासुन्दरबाई पुत्री चुन्या अंबुबाई बेवा चुन्या	201	1.000		1.000	1.000		1.000
30	रामभाऊ, रामलाल पिता सानू	202	1.000	0.070	1.070	1.000	0.070	1.070
31	मनसू, रामरतन, शिवलाल पिता गुलाब कमलाबाई, भागरथी, लीलाबाई, गंगाबाई पुत्री गुलाब पता नि. ग्राम भूमि स्वामी सीताबाई, बेवा गुलाब	203	2.700	0.080	2.780	2.700	0.080	2.780
32	लीला पुत्री बाबूला. बा. वलीराजकुमार, हिरालाल मोतीलाल , शांता, रानू पिता बाबू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी ना. बा. वली सरस्वतीभुरई पुत्री चेषी सरस्वतीबेवा बाबू	204		2.970	2.970		2.970	2.970
33	बूका, रामू, बूढा पिता पुन्या	205		2.710	2.710		2.710	2.710
34	शालीकरामपिता कंडे गंगाबाई पिता कंडे	206		3.000	3.000		3.000	3.000
35	मनसू, रामरतन, शिवलालपिता गुलाब कमलाबाई , भागरथी, लीलाबाई, गंगाबाई पुत्री गुलाब पता नि. ग्राम भूमि स्वामी सीताबाई बेवा गुलाब	207	0.600		0.600	0.600		0.600
36	रामभाऊ, रामलाल पिता सानू	208		0.120	0.120		0.120	0.120
37	सकुनबाई, प्रमिला, ललीता पुत्री मोतीराम नंदकिशोर सुरेश पिता बाबू. मुन्नी पुत्री बाबू बेनूबाई बेवा बाबू सुंदरबाई बेवा विश्राम लक्ष्मीबाई पुत्री विश्राम	209	3.800	0.070	3.870	3.800	0.070	3.870
38	फगनु, फगनसिंग पिता बाबू, झांगोबाई पुत्री बाबू	210	4.700	0.030	4.730	4.700	0.030	4.730

क्र.सं.	भूमि धारक का नाम एवं पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	शकर पिता राधाकिशन जानकीबाई सोनीबाई सुकीबाई पुत्री राधाकिशन चंद्रकला पुत्री रमेश पिता राम ना. वलीराम हरी विहारी श्रीरामरामसिंग दयाराम परशराम पिता श्रीचंद सुमिया खनाय रुखमनी सावित्री रमोती पुत्री श्रीचंद शामलाल कन्हैयालाल पिता बाटू उर्फ बालू, गंगाबाई पुत्री राम अ. सं. राम पार्वती पुत्री श्रीचंद जसवंती पुत्री बाटू ऊर्फबालू चम्पुबाई बालू विधवा बाटूऊर्फ बालू पता निवासी पिपरीबोरबन भूमि स्वामी लीलाबाई विधवा कालूराम अनिता पुत्री कालूराम . रमेश पिता कालूराम रेवन्ती पुत्री कालूराम	211/1		2.890	2.890		2.890	2.890
40	रामकली पति तुमला	211/2			2.020	2.020		2.020
41	सीताराम पिता भांगू पता नि. सादरबाड़ी तह. धारणी	211/3	2.200	0.050	2.250	2.200	0.050	2.250
42	शकर पिता राधाकिशन जानकीबाई सोनीबाई सुकीबाई पुत्री राधाकिशन चंद्रकला पुत्री रमेश पिता राम ना. वलीराम हरी विहारी श्रीरामरामसिंग दयाराम परशराम पिता श्रीचंद सुमिया खनाय रुखमनी सावित्री रमोती पुत्री श्रीचंद शामलाल कन्हैयालाल पिता बाटू उर्फ बालू, गंगाबाई पुत्री राम अ. सं. राम पार्वती पुत्री श्रीचंद जसवंती पुत्री बाटू ऊर्फबालू चम्पुबाई बालू विधवा बाटूऊर्फ बालू पता निवासी पिपरीबोरबन भूमि स्वामी लीलाबाई विधवा कालूराम अनिता पुत्री कालूराम . रमेश पिता कालूराम रेवन्ती पुत्री कालूराम	211/4		3.400	3.400	3.400		3.400
43	चुन्नीलाल पिता सानू पता नि. पिपरी बोखन	211/5	1.000	0.010	1.010	1.000	0.010	1.010
44	अमरलाल पिता सानू पता नि. पिपरी वरचन	211/6	1.000	0.010	1.010	1.000	0.010	1.010
45	फुलवंतीबाई पति किशन	211/8	0.800	0.010	0.810	0.800	0.010	0.810
46	किसन पिता सोमू	211/7	0.400		0.400	0.400		0.400
47	शकर पिता राधाकिशन जानकीबाई सोनीबाई सुकीबाई पुत्री राधाकिशन चंद्रकला पुत्री रमेश पिता राम ना. वलीराम हरी विहारी श्रीरामरामसिंग दयाराम परशराम पिता श्रीचंद सुमिया खनायरुखमनी सावित्री रमोती पुत्री श्रीचंद शामलाल कन्हैयालाल पिता बाटू उर्फ बालू, गंगाबाई पुत्री राम अ. सं. राम पार्वती पुत्री श्रीचंद जसवंती पुत्री बाटू ऊर्फबालू चम्पुबाई बालू विधवा बाटूऊर्फ बालू पता निवासी पिपरीबोरबनभूमि स्वामी लीलाबाई विधवा कालूराम अनिता पुत्री कालूराम . रमेश पिता कालूराम रेवन्ती पुत्री कालूराम	212/1	1.800	0.050	1.850	1.800	0.050	1.850
48	किसनपिता सोमू	212/2	0.400		0.400	0.400		0.400
49	ओंकार पिता डोकरा	213/1	2.800	0.010	2.810	2.800	0.010	2.810
50	मानसू पिता आकाराम पता निवासी सादरबाड़ी	213/2	4.430		4.430	4.430		4.430
51	नंदकुमार पिता चुन्नीलाल पता निवासी झिलपी	213/3	0.810		0.810	0.810		0.810
52	ग्यानसिंग , महेंद्रसिंग पिता सुभानसिंग	214/1	1.190		1.190	1.190		1.190
53	सोमा पिता मंगल	214/2	1.200		1.200	1.200		1.200
54	समोती पुत्री सानू	214/3	0.960		0.960	0.960		0.960
55	नंदकुमार पिता चुन्नीलाल पता निवासी झिलपी	214/4		0.800	0.800		0.800	0.800
56	गणेश पिता नारायण पता निवासी झिलपी तह. धारणी जिला अमरावती	214/5	0.800	0.010	0.810	0.800	0.010	0.810
57	गणेश पिता नारायणपता निवासी झिलपी तह. धारणी जिला अमरावती	214/6	0.800	0.010	0.810	0.800	0.010	0.810

क्र.सं.	भूमि धारक का नाम एवं पिता का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
58	बिसराम, नारायण पिता बाद शिवकुमार पिता बाद, अ.अ.स. बिसराम गोनायबाई गोपीबाई पुत्री बाद नि.ग्राम. कन्दैयालाल नाचुराम बिसराम टाटराम शोभाराम पिता भुरिया खोचे पुत्री जैराम साबूलाल पिता कालू पता नि. पातरपुर	215		3.340	3.340		3.340	3.340
59	बिसराम, नारायण पिता बाद शिवकुमार पिता बाद, अ.अ.स. बिसराम गोनायबाई गोपीबाई पुत्री बाद नि.ग्राम. कन्दैयालाल नाचुराम बिसराम टाटराम शोभाराम पिता भुरिया खोचे पुत्री जैराम साबूलाल पिता कालू पता नि. पातरपुर	216		1.210	1.210		1.210	1.210
	कुल योग		53.210	60.910	114.370	52.600	41.412	94.012

ग्राम - बालापाठ								
क्र.सं.	भूमि धारक का नाम एवं पिता का नाम	खसरा कमांक	सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	ममताबाई बेवा शिवनारायण, गोकुलप्रसाद अ., भागवतप्रसाद अ. पिता शिवनारायण, भाग्यश्री अ. पुत्री शिवनारायण, अ.स. ममताबाई	232/1	3.580			0.156		0.156
2	मदन गोपाल पिता बलीराम	232/2		3.510			0.249	0.249
3	सुभद्राबाई पुत्री बलीराम	236/1		1.200			0.078	0.078
4	मदन गोपाल पिता बलीराम	236/3		0.300			0.052	0.052
5	रामू, हिरा पिता झोलराजकुमार, बूठा पिता झोले बेदी, मानी, स्पी, पि. झोलरूपाय वि. झोले पता नि. ग्राम भूमि स्वामी जानकी, झुमकी, बिनाय पिता झोले पता नि. खापरखंडा	196		0.600			0.068	0.068
6	रामसिंग पिता मोतीराम पता नि. पिपरी बोरवन	237	1.680			0.104		0.104
7	जगननाथ पिता हरी पता नि. ग्राम पिपरीबोरवन	238	1.460			0.083		0.083
8	जि तेन्द्र पिता बांटेर	239	1.870			0.114		0.114
9	हिरालाल पिता सानू	228/1	2.800			0.068		0.068
10	बेटीबाई पति हिराजी	228/2	1.950			0.052		0.052
11	भुरई बेवा मोती बिसराम भाऊलाल चम्पालाल किशोर राम लखन सियाराम पिता मोती. समोती सोनी पार्वती जशौदी समन पुत्री मोती रूपाय पुत्री दाद	227	5.100			0.130		0.130
12	तुकाराम बाबुलाल पिता बाट रिमू पुत्री बाट हिरालाल पिता सखाराम रामकलीबाई राधाबाई पुत्री सखाराम	225/1	0.800			0.162		0.162
13	जीजीबाई भुरईबाई पुत्री पुन्या जाति	225/2	0.800			0.028		0.028
14	चम्पालाल प्रेमलाल पिता कोना रुमकाबाई मुन्चीबाई पुत्री कोना	225/3	0.800			0.028		0.028
15	नन्दु पिता जिराती शान्ताबाई सरस्यतीबाई पुत्री जिराती रावो विधवा जिराती कमलाबाई विधवा रामु राजेश सन्जु पिता राम ताराबाई सागरबाई पुत्री राम	225/4	2.400			0.027		0.027
16	हिराजी पिता सानू	224	2.050			0.075		0.075
17	राजाराम पिता नाना पता नि. ग्राम भूमि स्वामी गुलाब पिता मोत्या	223		1.910			0.088	0.088
18	चमाडीबाई पति कमलसिंह	222		1.410			0.088	0.088
19	बलीराम पिता भोलुजी	216/1	2.880			0.110		0.110
20	तुकडीया पिता गनपत	216/3		0.400			0.088	0.088
21	सुनील पिता दगडूलाल पता निवासी देडतलाई	208/1	2.310			0.090		0.090

क्र.सं.	भूमि धारक का नाम एवं पिता का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
22	सुनील पिता दगडूलाल पता निवासी देडतलाई	211		0.830			0.108	0.108
23	नारायण पिता बोब्या पता निवासी पिपरी बोरवन	201/3	1.000			0.050		0.050
24	मोजीलाल पिता बोब्या पता निवासी पिपरी बोरवन	201/2	1.430			0.058		0.058
25	चम्पूबाई बेवा बोब्या. शान्ताबाई शान्तीबाई जमनू बलईबाई पुत्री बोब्या पता निवासी पिपरी बोरवन	201/1		0.800			0.032	0.032
26	राजू पिता रामकिसन पता नि. पिपरीबोरवन	198/1	1.230			0.148		0.148
27	गौरीशंकरपिता रामलाल	198/4	0.050			0.016		0.016
	कुल योग		34.190	10.960	0.000	1.499	0.851	2.350
	महायोग		87.400	71.870	114.370	54.099	42.263	96.362

नोट - अर्जित की जाने वाली भूमि के रकबे में वृद्धि या कमी हो सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 38 अ-82-17-18-4568.

बैतूल, दिनांक 11 अप्रैल 2018

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	देवडोंगरी	1.300	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल	पारसडोह मध्यम उद्वह सिंचाई परियोजना

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	पंजाबराव व0 चिन्ध्या, फुलवा, कांता, द्वारकी पिता चिन्ध्या, संगीता जीजे दिलीप निवासी जोहलन जाति मेहरा सा0 देह	156/2	1.781	1.300

- 1- चूंकि पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना से विस्थापित परिवारों की बसाहट हेतु हितबद्ध व्यक्ति की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 41 अ-82-वर्ष-2016-17-मौजा टीकाबर्री-4749.

बैतूल, दिनांक 19 अप्रैल 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल हे. में	रकबा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	
बैतूल (म0प्र0)	आमला	टीकाबर्री	3.723		सेलिटिया जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	37/3	2.428	0.080	भोपत वल्द फुन्दनरसली बेवा भूता धनाराम मनाराम वल्द भूता अर्जनी कांती वल्द भूता भूते फुलकी पिता फुन्दन जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
	23	0.129	0.023	
2	67/2	1.023	0.042	भोपत वल्द फुन्दन सीताराम, मंसाराम, अभिराम वल्द भोपत इमलावती कमलावती पिता भोपात जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
3	37/8	1.066	0.100	मुशी वल्द बाको जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
4	37/9	0.509	0.253	मुशी वल्द बाको जाति गौली पता सा.देह भूमि स्वामी
5	37/2	2.132	0.154	प्रेमलाल वल्द कोवा सा.देह भूमि स्वामी भूमि
6	37/4	1.405	0.178	श्यामवती बेवा सुनेरी खेमचंद वल्द सुनेरी मिट्टन मेमवती, अपरवती पिता सुनेरी जाति गौली सा.देह भूमि

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
7	41	1.445	0.203	समिया, सुगरती, सुलवती, रंगी पूर्णा पिता सुखराम जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
8	40/3	0.392	0.071	किशोरी वल्द सम्भू सा.देह भूमि स्वामी
	45/1	0.795	0.099	
	79	0.425	0.048	
9	40/2	0.723	0.051	रामदास वल्द लिमचु, आकाश, अनेकलाल वल्द सुंदरलाल, सुनील, भुश ना.बा.व सुन्दरलाल अनिता ना. बा.पिता सुन्दरलाल वली भाई अनेक लाल जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
	45/2	0.795	0.102	
10	48/1	1.756	0.114	भंगीलाल जिवतु, रामलाल वल्द सखाराम रुसिया, मूसिया, रुनिया वल्द सखाराम सा.देह भूमि स्वामी
11	48/2	1.420	0.141	सादे वल्द गोरे जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
12	48/5	0.260	0.058	गुन्ताबाई जोजे किशोरी सा.देह भूमि स्वामी
	48/4	0.382	0.078	
13	59/1	1.061	0.050	लाला वल्द रतन झनकी बेवा रतन पता सा.देह भूमि स्वामी
14	60/1	0.382	0.028	संतोरी बेवा सोमजी, चैती बेवा सोमजी जमदु, शिवराज, रमेश वल्द सोमजी, सावरता ना.बा. पिता सोमजी वली मां संतोरी गीता, ना.बा.पिता सोमजी वलीमां चैती जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी
15	60/4	0.381	0.028	सुमत्री, सुमरती कम्भो बुद्धो पिता दामा जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी
16	60/5	0.385	0.046	रामजी वल्द फगन जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
17	60/6	0.405	0.091	फुसला पिता अजब जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
18	83/6	0.211	0.005	सुनील पिता गुलाब पन्द्राम जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
19	63/2	0.822	0.090	चिममन वल्द साडे सा.देह भूमि स्वामी
20	64/2	1.888	0.328	नान्ही बेवा महेबु सुखवती मनीता दुर्गा सेवक पिता महेबु जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
21	66	1.028	0.149	धर्मन्द्र पिता जुग्गू जाति तेली सा.देह भूमि स्वामी
22	57/6	0.725	0.085	कमोदाबाई बेवा बिसनलाल पूर्णबाई जौ. बालमुकुन्द जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
23	64/1	1.888	0.052	सायबु वल्द फागा सा.देह भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
24	32	2.845	0.097	चंदुलाल, नंदन वल्द इमरत अभिशेख प्रवीण योगेश ना बा. वल्द जदगीश सा.देह भूमि स्वामी वली मां जयश्री जयश्री बेवा जगदीश, रामरती पिता इमरत सा.देह भूमि स्वामी
25	17/1	2.242	0.242	लखनलाल वल्द शंकर जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
26	17/4	0.729	0.029	परसराम, कन्हैया वल्द विनतीलाल जाति गौली सा. कारोपानी भूमि स्वामी
27	17/5	0.405	0.047	लालमन वल्द लीला जाति महेरा सा.देह भूमि स्वामी
28	67/5	1.023	0.049	देवाजी वल्द किशनलाल जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
29	67/4	1.023	0.053	महाडु वल्द सायबी जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
30	67/1	1.023	0.039	जगन्तीबाई जौ. रामप्रसाद जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
31	67/3	1.023	0.048	रामप्रसाद वल्द किशनलाल जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
32	83/2	0.405	0.078	नान्ही बेवा महेबु दुर्गा सेवंती सुकवती अनिता पिता महेबु सा.देह भूमि स्वामी
33	78	0.186	0.019	नंदन, गोवर्धन वल्द जूगु जाति तेली सा.देह भूमि स्वामी
34	72/2	0.320	0.098	कैलाश, श्रीराम, लक्ष्मण भारत रामरती, भग्गो, इन्द्रा कलावती फुलवती पिता रामी जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
35	72/1	0.425	0.005	सुगरती बेवा दिनेश, अनिल विरेन्द्र आशा, मुन्नी ना.बा. पिता दिनेश वली मां सुगरती सरवन, कमल वल्द धीरन धम्मो बेवा धीरन समली बेवा सोमू महेश, गोमी रतीराम गोपाल बब्लू वल्द सोमू जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
36	73	0.206	0.023	भंगी राशिलाल, जिवतु वल्द सखाराम रुसिया भुसिया, रुनिया पिता सखाराम शोभा सुन्दर रखिया कलिसिया मुग्ना रमती ललिता पिता रामू जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
37	24/1	0.052	0.016	मंगलू वल्द रतीराम सुमत्री जौ. रतीराम सा.देह भूमि स्वामी
38	24/2	0.053	0.015	मंगलू वल्द रतीराम सा.देह भूमि स्वामी
39	22	1.979	0.113	रघुनाथ वल्द शिवदीन जाति कलार पता सा.देह भूमिस्वामी कोशा बेवा शिवदीन पता सा.देह भूमि स्वामी
40	186	0.611	0.005	कोमल वल्द बिसराम जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
कुल योग		40.811	3.723	

(2)- चूंकि सेल्टिया जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 42 अ-82-वर्ष-2016-17-मौजा टापरवानी-4748.

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा हे0 में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	आमला	टापरवानी	0.719	सेल्टिया जलाशय

अनुसूची-1
(प्रभावित धारकों की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	4/4	0.319	0.040	राजू, करिया, रामु वल्द सुकमन, झिन्गी पिता सुकमन झनको बेवा सुकमन, खुन्ना बेवा जखुर, विष्णु सोकी ना.बा. पिता जखुर वली मां खुन्ना बस्तोरी कस्तोरी, मीना, रीना, सीमा पिता जखुर जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
2	4/3	0.319	0.041	रामदास वल्द सुककन, सरस्वती पिता सुककन संतोष ना.बा. पिता किशोरी वली मां जग्गो बेवा किशोरी जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
3	4/2	0.318	0.045	धोन्धा वल्द सोमा जाति गोंड पता निवासी
4	4/1	0.319	0.045	सुखचन्द वल्द सोमा जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
5	2/4	3.658	0.077	रमेश वल्द सुकाली अंगरा, रामवती पिता सुकाली जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
6	3	0.283	0.050	श्यामवती बेवा सुनेहरी, खेमचन्द वल्द सुनेहरी, मित्ठन, मेमवति अपर पिता सुनेहरी जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
7	2/1	1.219	0.099	झनक वल्द जंगली जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
8	2/3	1.220	0.060	झनक, झुम्मक वल्द जंगली जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी
9	2/2	1.219	0.057	झुम्मक वल्द जंगली जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
10	27/1	1.368	0.093	सीताराम वल्द कारु जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
11	27/2	0.328	0.037	टीकाराम वल्द कारु जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
	26/4	0.776	0.029	
12	27/3	0.841	0.046	ताराबाई बेवा भोला जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
कुल योग		12.187	0.719	

(2)- चूँकि सेल्टिया जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 43 अ-82-2016-17-कारोपानी-4750.

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	आमला	कारोपानी	19.734	सेल्टिया जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ0क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	88/2	0.586	0.586	लक्ष्मण, कैलाश, ओमकार वल्द मन्जु कस्तोरी, सरोपी, देवकी लक्ष्मी पिता मन्जु जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
	87	1.133	1.133	
	82	0.906	0.363	
	78	0.825	0.279	
2	88/1	0.607	0.607	फुलवती पति भुरे जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
3	86	0.938	0.938	झंडू वल्द लाले, सुनेती, चैती, भागरा पिता लाले, धनोती पिता बाजी, देवा, भुरा, नन्ना वल्द शिवचरण, लक्ष्मण, कैलाश, ओमकार वल्द मंजु कस्तुरी, सरोपी, देवकी, लक्ष्मी पिता मंजु, किशोरी, मिश्री व साबु सोमवती, रामती, लालवती, पारबती, आमवती, जामवती पिता साबू, सन्तोरा, बेवा बाबु खुश्याल वल्द बिहारी, समान भाग भूमि स्वामी मुन्नी पिता बिहारी, भागवन्ती बेवा बिहारी जाति गौली भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
4	85	1.862	1.862	भजनलाल वल्द हरेसिंग सा.देह भूमि स्वामी
5	84	0.619	0.619	गिरधे वल्द गण्डू, मल्लू वल्द बसूकैलो पिता बसू जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
	32	6.147	0.920	
	71	0.441	0.052	
	61	0.535	0.092	
6	70	4.484	2.531	बिन्जीलाल, भैयालाल वल्द सवाई, हिरालाल, होरीलाल वल्द उज्जन सा.देह भूमि स्वामी
7	69	2.003	2.003	समिया बेवा हरेसिंग भजनलाल वल्द हरेसिंग जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी
8	91	1.538	1.538	लेखीराम, घनश्याम वल्द टीकाराम जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
9	83	1.437	0.830	रंजीलाबाई पिता मल्लू जाति तेली सा.देह भूमि स्वामी
10	89	2.395	0.210	झंडू वल्द लाले, सुमेली, भागरा, चैती पिता लाले धनोती पिता बाजी, किशोरी, मिश्री पिता साबु श्यामवती रामती, लालवती, आमवती, पारबती, जामवती पिता साबु, सन्तोरा बेवा साबु देवा भुरा नन्हा वल्द शिवचरण लक्ष्मण कैलाश, ओमकार वल्द मंजु कस्तोरी, सरोपी, देवकी लक्ष्मी पिता मंजु खुश्याल वल्द बिहारी मुन्नी पिता भूमि स्वामी बिहारी भागवन्ती बेवा बिहारी जाति गौली पता सा.देह
	60	0.522	0.073	
11	80	1.263	0.559	प्रीति जौ. नंदकिशोर जाति कलार पता सा. टिकाबर्सी
12	79	0.433	0.057	दुलारी जौ सीताराम जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
13	49	4.650	1.303	साबु वल्द बाजी सा. देह भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
14	31	3.751	0.120	रामनाथ, रामचरण पिता कैलाश जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
15	25/2	2.112	0.267	डेमु वल्द सुखराम जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
	29/2	2.185	1.200	
16	20/4	0.525	0.011	अमरसिंग वल्द करनसा जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
17	20/5	0.225	0.054	रामदास वल्द करनसा जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी
18	72	2.007	0.003	अंगद वल्द बसू केली पिता बसू जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
19	59	0.433	0.039	नाथूराम वल्द भोला जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
20	58	0.429	0.052	श्यामवती बेवा सुनेरी, खेमचंद वल्द सुनेरी, मिटटन, मेमबती अपर पिता सुनेरी, लक्खू लखन बिनोरी, बुद्धू वल्द शिवदयाल, बिरजली, चैती पिता शिवदयाल, जाति गौली, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी कमला धनिया बेवा बंशीपूरन, माधुरी ना.बा. पिता बंशी वली मां धनिया, रामदास वल्द कन्हैया, अनिता, जयश्री पिता कन्हैया जाति गौली, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
21	50/15	0.243	0.021	नारायणसिंग वल्द भग्गू जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
	50/25	0.226	0.041	
	47/4	0.368	0.060	
	47/7	0.409	0.051	
22	50/14	0.243	0.030	बाबुलाल वल्द भग्गू जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
	50/13	0.243	0.033	
	50/26	0.226	0.055	
	47/8	0.409	0.085	

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
23	50/12	0.243	0.041	काशीराम वल्द भंगु जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
	50/11	0.210	0.009	
	50/20	0.093	0.093	
	50/24	0.359	0.046	
	50/27	0.225	0.038	
	47/9	0.150	0.012	
	47/3	0.368	0.018	
24	53	0.283	0.067	रुक्खा पति पांगा जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
25	52	0.061	0.046	ज्ञानदेव, ज्ञानसिंग, गणपत वल्द फागुलाल, ज्ञानवती पिता फागुलाल, ज्ञानवती पिता फागुलाल, रमलो बेवा फागुलाल घम्मो भग्गो, रम्मो पिता छोटे जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
26	50/22	0.359	0.049	कल्याणसिंह वल्द भंगु जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
	47/6	0.409	0.047	
	47/5	0.368	0.043	
27	47/1	0.607	0.017	गोंडन बेवा भंगु जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
28	44	1.902	0.278	सुरजलाल, गुरुदयाल, रेवारां वल्द मुन्नालाल लीला पिता मुन्नालाल जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
	63	0.283	0.033	
29	43	2.307	0.023	तुलसिया जी. कारु जाति गौली सा.देह भूमि स्वामी
	62	0.376	0.031	
30	64/1	0.150	0.018	झुरी वल्द कुन्जीलाल, सनोता बेवा कुन्जीलाल जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
31	64/2	0.149	0.020	संतलाल वल्द रूजीलाल शाता शन्तोर, रूखमणी, शान्ती पिता रूजीलाल मनोती बेवा रूजीलाल जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
32	65	0.453	0.056	हिरालाल वल्द उज्जन जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
33	66/1	0.526	0.072	भजनलाल वल्द हरेसिंग सम्मी बेवा हरेसिंग चुकले बिजली पिता हरेसिंग जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी
कुल योग		57.239	19.734	

(2)- चूंकि सेल्टिया जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शाशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन)
(महू) डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश राजस्व विभाग

क्र. 1583-भू-अर्जन-रीडर-2017-18.

महू, दिनांक 20 अप्रैल 2018

:: अधिसूचना ::

प्ररूप-"ख"

[नियम-5 का उपनियम-2 देखिए]

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के लिए नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक योजना के अन्तर्गत पीथमपुर जल प्रदाय परियोजना हेतु ग्राम पिगडम्बर, सोनवाय एवं हरसोला तहसील (महू) डॉ.अम्बेडकर नगर, जिला-इन्दौर (म.प्र.) तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इन्दौर (म.प्र.) द्वारा "मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत भूमि उपयोग के अधिकार (Right of Use) हेतु बिछाई जाना है।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना है, इस हेतु कृषकों की सहमति प्राप्त हो गई है।

अतएव "मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की उप धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) (महू) डॉ.अम्बेडकर नगर, जिला-इन्दौर (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	(महू) डॉ.अम्बेडकर नगर	पिगडम्बर	01	121/3	0.020
				116/4	0.080
				127/3/13	0.035
				126/1	0.030
				173/2/1/1	0.010
				120/3/1/2	0.030
				126/2	0.025
				121/1/1	0.020
				171/1	0.048
				172/3	0.020
				166/1/1	0.040
				180/1	0.025
				180/4	0.005
				181/2/2	0.010
182/1/1	0.040				
197/9	0.025				

				197/10	0.030
				197/8	0.024
				214/5	0.050
				215/2	0.020
				243/2	0.035
				248/1	0.030
				243/1	0.016
				247/1	0.008
				240/1/2	0.025
				236/1/1	0.010
				453/1	0.015
				452, 451/532 क, 451/532 ख, 451/3	0.020
				451/2	0.020
योग रकबा					0.766
इन्दौर	(महू) डॉ.अम्बेडकर नगर	सोनवाय	02	296/1	0.080
				300/1	0.010
				417/1	0.090
				299/1	0.025
				300/3	0.025
				302/1	0.125
				419	0.050
				420/1	0.020
				424/2/1	0.015
				424/4	0.030
योग रकबा					0.470
इन्दौर	(महू) डॉ.अम्बेडकर नगर	हरसोला	24	272	0.024
				273	0.154
				274	0.040
				280/2	0.050
				1426/2	0.043
योग रकबा					0.311

प्रतुल सिन्हा, भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जिला देपालपुर जिला इन्दौर

क्र. 166-मू-अर्जन-2017.

देपालपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2018

प्ररूप-ख
(नियम-5 का उपनियम 2)

क्रमांक..... अतएव, राज्य सरकार को लोकाहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि डी.एम.आई.सी. नर्मदा-क्षिप्रा लिंक योजना अन्तर्गत पीथमपुर जल प्रदाय परियोजना हेतु ग्राम धन्नड़ तेहसील देपालपुर जिला इन्दौर से ग्राम बेटमा तेहसील देपालपुर जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य में डी.एम.आई.सी.पीथमपुर जल प्रबंधन कम्पनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना प्रस्तावित है।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त पवित्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी एवं मु-अर्जन अधिकारी देपालपुर जिला इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनु. क.	जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	कृषक का नाम	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	इन्दौर	देपालपुर	चिराखान	यशवंत सालगराम	291/2 294/2	0.030
2				कैलाश कान्तीलाल संतोष मनोहर पुनमचन्द्र पिता श्रीराम	294/1	0.010
3				लक्ष्मीनारायण फूलचन्द्र पिता रामरतन भील शान्ताबाई बेवा रामरतन	288/1	0.020
4				शालीगराम पिता जगन्नाथ भील	288/2	0.020
5				कैलाश कालु सुभाष संतोष पिता छोगालाल कलाबाई छोटीबाई पिता छोगालाल	305	0.010
6				राजूबाई बेवा मांगीलाल कमल संतोष गुलाब बाई पिता मांगीलाल	298/3	0.010
7				अयोध्या बाई नाथू	302/1/2	0.005
8				सुभाष अशोक भुरालाल पिता मदनलाल	302/2	0.015
				08	योग रकबा अ	0.120
9	इन्दौर	देपालपुर	धन्नड़	किशोर पिता धावर बागरी	850/1/1	0.074
10				बलवंत पिता रामसिंह बागरी	850/1/2	0.066
11				मदन पिता सिद्धनाथ बागरी	850/3	0.030
12				भूलचन्द नानुराम पिता मकुंद पंकज पिता सुन्दरलाल उमाबाई बेवा सुन्दरलाल माखन पिता मोहनलाल कलाबाई बेवा मोहनलाल हेमलता पिकीबाई पिता मोहनलाल	1043/2	0.030
				04	योग रकबा ब	0.200
13	इन्दौर	देपालपुर	रणमलबिल्लोद	सुशिलाबाई पति पीरालाल गेहलोद रामकन्याबाई पति सीताराम सीलकी	148	0.020
14				बाबूसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत	149/1 149/2	0.022
				02	योग रकबा स	0.042

15	इन्दौर	देपालपुर	काली बिल्लोद	अविनाशसिंह आशिष अमित अंकित पिता केशरसिंह भील	221/1	0.037
16				सुमित्राबाई बेवा मोतिलाल अक्षयकुमार मुकेश कुमार अरुणकुमार अनिलकुमार सुलोचनाबाई दिगाबाई पिता मोतीलाल कानूनगो	221/2	0.035
17				बाबुसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपूत	221/3	0.025
18				लक्ष्मणसिंह पिता बाबुसिंह जाति राजपूत	221/8	0.005
19				शिवराजसिंह पिता भवरसिंह जाति राजपूत	223/3	0.009
20				फकीरचन्द्र पिता लक्ष्मण जाति भीले	227	0.019
				06	योग रकबा द	0.130
21	इन्दौर	देपालपुर	बेटमा	कमलेश पिता राजमल जैन	426/2 426/3/2	0.040
22				सनवर खों पिता सौराब खों	427/2/2 433/2/2	0.006 0.006
23				अनवर सनवर पिता सौराब	427/2मिन/2 433/2मिन/2	0.011 0.011
24				गीतादेवी पिता राधाकिशन महाजन	428/2	0.013
25				जितेन्द्र ज्योतिलाल मनोरमा गुडी अनीता पिता प्रेमचन्द मन्नाबाई बेवा प्रेमचन्द	434/4	0.015
26				विरेन्द्र कुमार पिता बसन्तीलाल महाजन	441/2	0.007
27				प्यारीबाई बेवा दयाराम काछी	455/2	0.015
28				जुझारसिंह पिता जगन्नाथ काछी	463/2	0.043
29				जगदीश राजेश पिता धेमचन्द भोई	476/2	0.030
30				चन्द्रकुवरबाई पिता पुरुषोत्तमसिंह राजपूत	474/2 475/2	0.045
31				दुर्गासिंह पिता पुरुषोत्तमसिंह राजपूत	485/2 487/2	0.022
32				पुष्पेन्द्रकुमारी पति योगेन्द्रसिंह राजपूत	591/3 592/2 593/2 600/1/2	0.118
33				लाडकुवर बाई पति विजयेन्द्रसिंह राजपूत	596	0.005
34				त्रिभुवनसिंह लोकपालसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता भुपेन्द्रसिंह राजपूत	594/2	0.005
35				त्रिभुवनसिंह पिता भुपेन्द्रसिंह	595/3/1	0.052
36				देवाशिष अभिषेक पिता विरेन्द्रसिंह कान्ता पति विरेन्द्रसिंह चौधरी	595/3/2	0.019
37				अजेन्द्र पति चित्तरजनसिंह	627/3/1 628/1	0.100
38				लोकेन्द्रसिंह पिता चित्तरजनसिंह	627/3/2 629/1/3 630/1/3	0.012 0.030 0.080
39				किशोरीकुमार पिता मदनलाल कानूनगा,	586/3/3पेकी	0.009
40				नरपतसिंह पिता भगवतसिंह राजपूत	586/3/3पेकी	0.015
41				संजय पिता लालुराम जाट	586/3/3पेकी	0.015
42				गजराज पिता रामसिंह केवट	586/3/3पेकी	0.003
43				अबीदाबी पति अब्दुलरसीद	586/3/3पेकी	0.003
				23	योग रकबा ई	0.730
43				महायोग - अ,ब,स,द,ई		1.222

अदिति गर्ग (आईएएस), अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 36 अ-82-17-18-मौजा पस्तलाई माल-4213.

बैतूल, दिनांक 4 अप्रैल 2018

! चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	आमला	पस्तलाई माल	23.654	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पस्तलाई (स्टोरेज) लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	लखन व. सावन्धा जाति भोयर	149/12	1.207	0.380
2	पुरनलाल जगदीश जयपाल पिता भादू अनिकेत ना.बा. पिता भादू वली माँ रामरती जाति चम्हार	149/1	9.010	4.340
3	शांता जौ. अंतु जाति भोयर	149/11	2.000	0.180
4	गंगा जौ. रामचन्द्र जाति भोयर	149/5	1.619	0.800
5	पूर्णावती जौ. बालमुकुन्द जाति गौली	143/3	3.131	1.520
6	बालमुकुन्द व. कालू जाति गौली	142/3	1.499	0.700
		142/2	1.497	0.650
7	किसन व. कालू जाति गौली	142/1	1.498	0.610
8	लक्ष्मण पूत्र टन्टी	144/1	0.364	0.364
		144/7	1.639	1.639
9	कंलाबाई पति कपूरचंद जाति पंवार	144/2	0.364	0.364
		144/6	1.716	1.716

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा है
1	2	3	4	5
10	कपूरचंद व टन्टी जाति पंवार	144/3	0.364	0.364
		144/5	1.744	1.564
11	फुलचंद पुत्र टन्टी	144/4	0.364	0.364
		144/8	1.761	1.761
12	आत्माराम मुन्नालाल खेमचन्द व. घुग्गू फुलमत व. घुग्गू कमल प्रसाद वल्द दयाराम ताराबाई पिता घुग्गू जाति मेहरा	144/9	0.182	0.182
		144/10	0.858	0.858
13	बाबूलाल छोटेलाल पुत्रगण दमडू	140	2.084	0.690
14	फुलवंती बेवा शिवचरण मधु सुंदरलाल अशोक चिन्ध्या दुर्गी पिता शिवचरण	70/1	1.750	0.200
15	बाबुलाल व केवजी	70/2	0.900	0.780
		70/7	0.850	0.430
16	जयवंती बेवा नाथुराम पिन्दुगंगा व नाथुराम	70/3	0.900	0.800
		70/6	0.850	0.080
17	भैयालाल पिता केवजी	70/4	0.900	0.850
		70/8	0.850	0.730
18	तुलस पिता केवजी बसंत आनंद पिता जंगल्या	70/5	0.738	0.738
योग			40.639	23.654

1- चूंकि पस्तलाई (स्टोरेज) लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 37 अ-82-वर्ष-2017-18-मौजा कचरबोह-4212.

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	आमला	कचरबोह	6.591	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पस्तलाई (स्टोरेज) लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	अन्तराम पिंटू व. छननू	217/1	1.893	0.700
2	इमरलाल हमीलाल देवीलाल व. खनू मुन्नीलाल ना.बा.व. खनू वली भाई इमरतलाल	217/2	2.109	0.950
3	छननू शम्भू	217/3	0.405	0.405
4	कैलाश पिता जोगीलाल	218/1	1.396	1.396

5	सुककु पिता श्यामलाल	218/2	1.000	1.000
6	मनक व. लोधू	216/14	0.430	0.060
		216/18	0.560	0.110
7	रामू पिता मंगल	216/1	0.364	0.100
8	गजानंद व. बालकिशन	167/1	1.000	0.200
9	भागरती जौ. ओमकार	167/2	0.433	0.200
10	गितेश सतीश गुलाब व. हनस हनस व. लोधू	216/3	0.780	0.070
		216/19	0.700	0.700
		216/17	0.530	0.130
11	रूपेश ना.बा.व. मनक वली पिता मनक मनक व. लोधू	216/16	0.500	0.300
		216/20	0.270	0.270
योग			12.370	6.591

1- चूकि पस्तलाई (स्टोरेज) लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 39 अ-82-वर्ष-2017-18-मौजा अम्भोरी-4214.

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	अम्भोरी	15.752	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	अम्भोरी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	जयवंतीबाई बेवा बाजिलाल जाति मेहरा	515/2	0.906	0.906
2	भैया वल्द नान्हया पूनी पिता नान्हया पता सा. देह	522	0.955	0.100
		521	0.951	0.405
3	नत्थ्या वल्द महेगू जाति मेहरा सा.देह भूमि स्वामी	523	1.296	0.090
4	बाजीलाल वल्द तुकाराम सा.देह भूमि स्वामी	525/1	0.898	0.060
		527/1	0.263	0.100

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
5	महादेव वल्द तुकाराम सा.देह भूमि स्वामी	525/2	0.282	0.120
6	चन्द्रकला बेवा भाउराव, पंकज पिता भाउराव लता गीता पिता भाउराव जाति माली सा.देह भूमि स्वामी	527/2	0.263	0.263
7	वासुदेव वल्द गेंदराव जाति माली सा.देह भूमि स्वामी	529/1	0.282	0.120
8	रैसूल बेवा पारन्या श्रीराम रमेश वल्द पारन्या सा.देह भूमि स्वामी	529/2	0.807	0.120
9	विन्धी बेवा ढोडिया दिपक भरत पिता दुलारी बेवा किशोरी दुर्गेश दिनेश, प्रमिला आशा उषा पिता किशोरी इन्द्र पुष्पा पिता ढोडिया जाति चमार सा.देह भूमि स्वामी	538/1	0.321	0.090
10	निर्मला बेवा दिलीप कुमार सपती दिव्या ना. बा. पिता दिलिप कुमार बली मां निर्मला ग्यारसी बेवा सुरेन्द्रदास, राजकुमार दिलिग वल्द सुरेश जाति चमार सा. देह भूमि स्वामी	538/2	0.340	0.110
		545/1	0.284	0.240
		517/3	1.052	0.180
		546/2	0.040	0.040
11	संजय, बबलु, मुन्ना वल्द रामराव सीता बेवा रामराव शंकरराव वल्द गंगाराम सा.देह भूमि स्वामी	538/3	0.505	0.100
12	देवीदास वल्द हरेन्दु सकुन पिता हरेन्दु पता निवासी ग्राम नरखेड़ भूमि स्वामी	545/2	0.040	0.020
		546/1	0.332	0.332

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
13	निलकंठ, नारायण दौलत वल्द गजानंद मंजा लिजा पिता गजानंद सा. नरखेड़	514	1.392	1.125
		549/1	0.242	0.242
		549/2	1.055	1.055
14	राजकुमार वल्द चतुर. रहमत बेवा चातूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	550/1	2.979	0.290
15	जसिया जौ. कारु राजेश वल्द कारु पता सा.इकलहरा भूमि स्वामी	550/2	1.214	0.680
16	किरण बाई जौ. रामदयाल जाति मेहरा पता निवासी मुलताई भूमि स्वामी	557/2	1.214	0.180
17	नारायण वल्द भोपात	558	2.274	0.280
18	मंगली बेवा डोमा महादेव भारत उमेश वल्द डोमा फगनी शांता पिता डोमा रामप्रसाद हरिदास वल्द कैला कमला लिला भागरती उर्मिला सुनिता पिता कैला प्रमिला बेवा कृष्णा याशिका बेवा कृष्णा कमला बेवा मधु कन्हैया वल्द मधु लक्ष्मी पिता मधु जाति मेहरा पता निवासी ग्राम	559	2.861	1.030
19	निलकंठ वल्द मारोती पता सा. नरखेड़ा	561/1	0.173	0.080
20	सुमन पिता कूसना पता नि. सा.देह भूमि स्वामी	561/2	0.173	0.080
21	मारोती वल्द कूसना पता नि. सा.देह भूमि स्वामी	561/3	0.173	0.080
22	बाबू वल्द कूसना लोहार पता नि. सा. नरखेड़ भूमि स्वामी	512	0.591	0.350
		561/4	0.173	0.090
23	शांता पिता कूसना पता नि.सा. नरखेड़ भूमि स्वामी	561/5	0.174	0.080

24	बुंदा बेवा आनंदराव सजयकुमार ना.बा. आनंदराव, बुंदा बेवा आनंदराव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	561/6	0.174	0.090
25	श्यामू कचरू वल्द घुस्या मनी पिता घुस्या सा. नरखेड़ भूमि स्वामी	507	1.717	0.580
26	रामचंद्र वल्द नत्थ्या पता सा.देह भूमि स्वामी	549/3	1.325	1.325
27	महादेव वल्द चिंधू सा. देह भूमि स्वामी	498	1.112	0.370
28	बंदीलाल वल्द विठोबा कथिा बेवा चंदुलाल रामप्यारी पिता नंदलाल महगी पिता विठोबा दामोदर रामू गुलाब वल्द रामराव पता सा.देह भूमि स्वामी	495	0.429	0.130
		494	0.308	0.308
		497	2.525	0.600
29	गन्ने बेवा फागु रागभाउ लखन वल्द फागू जाति मेहरा सा. मंगानो कला	499	3.291	0.510
30	काफीला जौ. अशोक वन गोसाई पता सा. तिलकवाड मुलताई	491/1	1.441	1.441
		491/2	1.440	0.120
31	साजूराम, बाजेराव, बाजीलाल गेंदराव वल्द तुकाराम, चंपा पिता तुकाराम पता सा.देह भूमि स्वामी	515/1.	0.907	0.710
		548	0.210	0.210
32	लालमन वल्द तेजी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	513	0.478	0.320
योग			39.862	15.752

1- चूंकि अम्भोरी लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 40 अ-82-वर्ष-2017-18-मौजा घाटबिरोली-4210.

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2		3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	घाटबिरोली	38.813	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	घाटबिरोली लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा है.
1	2	3	4	5
1	गुलाबराव, सुभाश पिता भगवान जाति कुबी पता निवासी ग्राम सेमरया पांडरी भूमिस्वामी	2/2	0.111	0.111
		12/1	0.475	0.475
2	विक्रम, आकाश व० देवीराम, वर्षा पिता देवीराम, इंद्रा पिता देवीराम, देवेन्द्र व० श्यामू, शकुन सुगरनीया, ललीता, मीना पिता श्यामू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	3	0.526	0.526
		8	2.347	2.347
3	नान्हया व० कली पता सा० देह	4	0.534	0.534
		9	0.283	0.283
		16/1	1.970	1.970
4	शांता व० टूकडू जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	5/1	2.024	1.874
		10	0.182	0.182

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
5	मधु व० जन्या पता सा० सेमरया पांढरी भूमि स्वामी	5/2	0.809	0.709
6	टून्या व० दिन्या पता सा.देह भूमिस्वामी भू. राजस्व बिलमुक्ता	5/3	1.214	1.050
7	बलवंतराव साहेबराव प्रभाबाई व० मंचितराव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व	6	0.243	0.243
8	राधेलाल अरविन्द मनोज महेश व० देवीराम सुनीता सुनंदा पिता देवीराम कमला बे० देवीराम चन्हार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व	7	0.324	0.324
9	ग्यानदास एकनाथ व० राजाराम अंजनी गया पिता राजाराम राजेन्द्र रेवा, संजू व० पंजाबराव रेणुका बे० पंजाबराव सुमन सुनन्दा पिता पंजाबराव पता सा० सेमरया पांढरी भूमि स्वामी भू राजस्व	17	2.833	1.240
10	मालती पिता गुजोबा राजेन्द्र सुरेश व० नथू कमला ललीता पिता नथू बाया बेवा नथू पता सा० देह भूमि स्वामी	34	0.348	0.100
11	साहेबराव रामराव व० राजाराम बिलसो पिता राजाराम पता सा० देह भूमि स्वामी भू राजस्वत बिलतुक्ता ४.०८	35	0.324	0.070
12	मोविन्दराव व० गिरधारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व २.४१	36	1.538	0.340
13	उदेराम नामदेव रामभाऊ व० अजाबराव पता सा० देह भूमि स्वामी	157	1.433	0.640
14	भीमराव सुदेश संतोष व० गुलाबराव जाति कुन्बी निवासी ग्राम सेमरया पाढरी भूमि स्वामी	158	0.809	0.809
15	उदेभान सुधाकर रामभाऊ नामदेव हरिभाऊ व० अजाबराव पता सा० देह भूमि स्वामी भू० राजस्व बिलमुक्ता १७.०	159	0.680	0.680
		160	0.692	0.692
16	विठ्ठलराव व० झब्बू भागू पिता झब्बू भोजराव रामभाऊ व० अनंदराव , कला पिता अनंदराव पता सा० देह भूमिस्वामी	161	0.101	0.101
		180	0.170	0.170
17	पंजाबराव व. पता सा० देह भूमिस्वामी भूराजस्व	162	0.142	0.142

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
18	सायत्री बे० लोटन पता सा०देह भूमि स्वामी	163	0.113	0.113
19	लक्ष्मण रामजी व० दाजिबा पता सा०देह० भूमि स्वामी	164	0.154	0.154
		186	0.328	0.328
20	हरिभाऊ व० अजाबराव पता सा०देह भूमि स्वामी	156	0.142	0.100
		38	0.648	0.100
21	यूनू जौ० अजाबराव पता सा०देह० भूमि स्वामी	154	0.882	0.152
22	सूर्यभान उदयभान सुधाकर नामदेव हरिभाऊ रामभाऊ व० अजाबराव येनूबाई बे०अजाबराव पता सा०देह० भूमि स्वामी राजस्व २.७५	165	2.610	2.320
23	काशीनाथ शान्ता द्वारका व० मारोती सुगंती पिता मारोती पता सा०देह भूमि स्वामी	166	0.040	0.040
24	बलवंतराव संदीप व० सन्तोषराव मीरा बे० संतोषराव आशा मनीषा पिता संतोषराव पता पता सा०देह भूमि स्वामी	168	0.283	0.283
25	गुलाबराव व० मुकिन्दा बातू व० सांभा कला बाया उर्फ पारवती पिता संभा अम्बू व० मुकिन्दा पता सा० देह भूमिस्वामी	169/1	0.141	0.141
26	शिवराम व० नत्थू पूर्णा त्रेवा नत्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	169/2	0.052	0.052
27	मखनी बेवा बापू विठ्ठलराव नामदेव व० बापू आशाबाई पिता बापू परसराम सिरि हरी व० नब्बू , गंगी , जमना, कांता पिता नब्बू जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	170	0.121	0.121
28	निम्बा व० घुस्या पता सा०देह० भूमि स्वामी	171	0.121	0.121
29	काशीनाथ शान्ता द्वारका व० मारोती सुगंती पिता मारोती पता सा०देह भूमि स्वामी लंगडा मारोती उमराव व० आत्मा लंगू सरू जौ० दिव्या पता सा०देह भूमि स्वामी	172	0.101	0.101
30	रामराव शेषराव बाबूराव सददू चंद्रकला अनिता रामबाई पिता सददू बाया सकु जया पिता किसनू भूमिस्वामी	173	0.113	0.113

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
31	पारवती बेवा पंजाबराव प्रभाकर जगदीश मुधकर व० पंजाबराव कुनबी पता सा०देह भूमिस्वामी शंकरराव सदाशिव व० भीमराव दमडी बे० भीमराव कैलाश सुनिल धीरेन्द्र व० अजाबराव मरोज व० आनंदराव कल्पना सुषमा पिता आनंदराव मंजुला बे० आनंदराव कमला पिता लोटन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलन्ता ६.१४	174	0.223	0.223
		184	0.174	0.174
		207	0.445	0.445
		214	0.930	0.900
32	विजय सुशीला वच्छला व० उकण्डया यमोना बे० उकण्णया मौनाबाई बे० गणपती शांता सुमन पिता गणपती अनंत व० श्रीराम रमा पिता श्रीराम पता सा०देह भूमि भू० राजस्व बिलमुक्ता	176	0.304	0.304
		182	0.113	0.113
		210	0.704	0.704
		211	0.219	0.219
33	कला इन्द्रा पिता श्यामराव पता सा० देह भू राजस्व बिलमुक्ता ८.१२	177/1	0.235	0.235
		209	0.202	0.202
34	जगन्नाथ व० मक्खू जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	221/1	0.316	0.316
35	सम्पत व० रामजी पता सा० देह भूमिस्वामी	220	0.794	0.714
36	पंजाबराव व० देववा जाति कुन्बी पता सा० देह भूमि स्वामी	219/1	0.628	0.628
37	कृष्णराव व० राजबा पता सा०देह भूमि स्वामी भू-राजस्व भूमि स्वामी	219/2	0.627	0.427
38	मनोहर व० भैय्या मैना पिता भैय्या पता सा० देह भूमि स्वामी भू० राजस्व ०.५०	233/1	0.734	0.100
39	महेन्द्र व० उमराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	175/2	0.084	0.084
		213/1	0.353	0.353
40	सावित्री बे० मारोती संजीत व० सुखदेव जाति कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी	213/2	0.153	0.153
		175/3	0.168	0.168
41	अमृतराव भाउराव सुभाष बुधराव व० बापूराव सुमित्रा मंजुला पिता बापूराव जाति कुन्बी पता सा० देह भूमि स्वामी	177/2	0.129	0.129
		212	0.247	0.247
42	राजू व० बापूराव लक्ष्मी बे० बापूराव रत्ना सुशला निर्मला पंचफूला पिता बापूराव पता सा०देह भूमि स्वामी भू राजस्व ३.४१	208	2.359	1.370

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
43	उत्तमराव व० उमराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	175/1	0.084	0.084
44	द्वारका जौ० सेवाराम रमेश व० सेवाराम पता सा० देह भूमिस्वामी	205	0.850	0.390
45	अतुल प्रफुल व० आनंदराव पता सा० देह भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 9.9५	179	0.166	0.166
		188	0.101	0.101
46	भाउराव नथू व० भाकरू पता सा० देह भूमि स्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता	181	0.380	0.300
		187	0.211	0.101
47	भाउराव व० भाकरू पता सा० देह भूमि स्वामी	183	0.174	0.174
		185	0.142	0.142
48	राजेन्द्र शान्ता मान्ता सकू सिन्धू सुशीला द्वाराका व० सैबा राधा बे० सैबा पता सा० सेमरया पांडरी भूमिस्वामी	189	2.772	2.432
		57	3.278	0.278
49	भूरा गेदा निम्बा व० लक्ष्मण बरलू व० मिटदू भीमराव सुदेश संतोषराव व० गुलाबराव सुभाष रमेश व० गढीराम सुनिता संगीता पिता गढीराम नीलकंठ मोहन व० गणपत जाति कुन्बी पता सा० सेमरया पांडरी भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.9५	190	4.047	3.487
50	अतुल व० आनंदराव जाति कुन्बी पता सा० देह भूमि स्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता ३.००	193/1	0.304	0.304
		193/2	0.454	0.454
51	वामन सुरेन्द्र कुमार व० गुलाबराव आनंदा बे० गुलाबराव जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू - राजस्व बिलमुक्ता ३.८०	193/3	0.240	0.040
52	वामन व० अम्बू जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	169/3	0.034	0.034
53	गुलाब व० भगवान जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	12/2	0.476	0.476
54	हरिभाउ हनुमतराव विजय यादोराव व० यशवंतराव उर्फ गोपीराम जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/1	0.941	0.941
55	कमला जौ० देवीराम चम्हार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	16/2	0.405	0.250

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
56	राजगुरु व० मक्कू जाति कुंबी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	221/2	0.200	0.200
57	यशवंत व० मक्कू जाति कुंबी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	221/3	0.200	0.200
58	विट्ठल दौलत व० भाउराव , संध्या वंदना गीता पिता भाउराव सरस्वती बेवा भाउराव जाति कुंबी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233/2	0.735	0.100
59	भीमराव भाउराव सुभाष बुधराव व० बापूराव सुमित्रा मंजुला पिता बापूराव जाति कुंबी पता सा देह भूमि स्वामी	204/2	0.451	0.100
योग			52.748	38.813

1- घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अन्तर्गत समाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 41 अ-82-वर्ष-2017-18-सेमरिया पांडरी-4211.

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	सेमरिया पांडरी	35.259	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	घाटबिरोली लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	दौलत वल्द चैतराम सा.देह भूमि स्वामी	605/1	0.765	0.765
		605/3	0.764	0.764
2	दौलत, संदीप वल्द चैतराम सा.देह भूमि स्वामी	605/2	0.765	0.765
3	बलवंत वल्द संपतराव कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	605/4	0.765	0.765
		667/3	0.380	0.380
		671/3	0.142	0.142
4	दौलत, संपतराव, मीला बेवा गणपत, राम, श्याम संदीप वल्द गणपत रामचंद मेहपत वल्द चैतराम सा.देह भूमि स्वामी	604	3.601	3.601
5	सीताराम वल्द पारन्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	596/2	0.440	0.350
		603/1	0.282	0.282
		603/8	0.162	0.162

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
6	माधो वल्द शिवराम, रेखा बेवा श्यामराव अर्चना, कंचना विजिया पिता श्यामराव रानु नेहा पायल ना.बा.पिता श्यामराव वली मां रेखा राजू रमेश वल्द तुलसीराम जानकी गुन्ता लंकी पिता तुलसीराम कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	596/1	0.434	0.434
		603/2	0.365	0.305
		603/4	0.400	0.170
		603/6	0.400	0.400
		603/7	0.167	0.162
		603/9	0.474	0.474
7	हरिराम वल्द पारन्या सा.देह भूमि स्वामी	603/3	0.365	0.200
		603/5	0.992	0.992
8	सावित्री बेवा गणपती, सरेश सुभाष पिता गणपती निर्मला कांता मालता पिता गणपती कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	595	2.108	1.580
9	सत्यभामा जौ. हनुमंतराव कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	608/1	2.000	2.000
10	हनुमंतराव वल्द यशवतराव सा. देह भूमि स्वामी	608/2	0.651	0.260
11	राजेन्द्र वल्द सेवा सा. देह भूमि स्वामी	650	0.546	0.120
		661	1.518	1.518
12	अनुसया बेवा पंजाबराव साहेबराव वल्द पंजाबराव गीता बेवा प्रयागरान नवीन वर्ष कल्यानी ना.बा. पिता प्रयागराव वली मां गीता सा.देह भूमि स्वामी	646	0.368	0.368
		649	0.510	0.510
		662	1.805	1.805

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
13	ज्ञानराव, एकनाथ पिता राजेराम, अंजनाबाई गयाबाई पिता राजेराम सा.देह भूमि स्वामी रेणुका बेवा पंजाबराव राजेन्द्र रेवाशंकर संजय वल्द पंजाबराव सुमन, सुनंदा पिता पंजाबराव सा.देह भूमि स्वामी	647	1.339	1.339
14	सरूबाई बेवा संतोषराव संजय चन्द्रहास वल्द संतोषराव, आशा साधना योजना भारती पिता संतोषराव सा.देह भूमि स्वामी	668/1	0.680	0.680
15	राजेन्द्र, संजय, रेवाशंकर वल्द पंजाबराव पवनकुमार वल्द ऐनाथ सुनिता बेवा दिनेश कला बेवा एकनाथ कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी	668/2	0.607	0.607
		667/2	0.202	0.202
16	चतुरंगराव, कृष्णराव वल्द भगवंतराव, कलाबाई पिता भगवंतराव सा.देह भूमिस्वामी ज्ञानराव एकनाथ वल्द राजेराम गया अंजनी पिता राजेराम संजय रेवाशंकर राजेन्द्र वल्द पंजाबराव सुमन सुनंदा पिता पंजाबराव रेणुका बेवा पंजाबराव कलाबाई पिता भगवंतराव सा.देह	666	1.132	1.132
17	शान्ता बेवा उमराव विद्याशंकर विट्ठल वल्द उमराव स्नेहलता पिता उमराव जैवंती पिता महादेव कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी	665	0.678	0.678
18	तापी बेवा गुड्डू कांता पिता गुड्डू जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	663/1	0.147	0.147

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
19	रुख्मी बेवा बाजी, गेंदा बेवा शंकर देवकी पिता शंकर सम्पत गणपत वल्द बाजी बाजो पिता बाजी पंवार सा.देह भूमि स्वामी	653	0.732	0.732
20	रमेश, पंजाबराव, सुरेश, नरसिंहा, रघुनाथ वल्द गुड्डू जाति कुन्बी सा. बरखेड़ भूमि स्वामी	654/3	0.438	0.438
		656/1	0.962	0.962
		656/3	0.124	0.124
		658/5	0.467	0.467
		659/1	1.011	1.011
21	गंगाधर दौलत, राजू, नत्थू शंकरराव वल्द देवराव, रेखा पिता देवराव, यमुना बेवा सम्पतरव, हनुमंत, बलवंत अनिल, प्रमाद वल्द सम्पतराव, लीला, शीला, रतनमाला पिता सम्पतराव, संजय, चंद्रहास वल्द संतोषराव, आशा, योजन, भूमिस्वामी भारती साधना, संतोषराव, बलवंत, सुधाकर वल्द आनंद, शांता बेवा आनंद द्वारका जैजो गुलाबराव साकुन, जिजे सरस्वती बेवा शेषराव सा.देह भूमि स्वामी	673	0.206	0.206
22	राजेन्द्र वल्द सोनबा, शांता मान्ता सकु, गुरु, द्वाराका सिन्दू पिता सोनबा गणेश वल्द गनबा, भूमि स्वामी अंजिरा बेवा नारायण सुकदेव वासुदेव वल्द नारायण ललीता पिता नारायण लहजा बेवा गणबा पिखोली अजंजी पिता गनबा, काशीराम वल्द गनबा पता सा.देह भूमि स्वामी	651/1	1.412	0.580

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
23	भगवान वल्द उन्दरया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	654/2	0.267	0.267
		656/2	0.381	0.381
		656/4	0.200	0.200
		658/2	0.178	0.178
		658/3	0.237	0.237
		658/4	0.383	0.383
		658/6	0.148	0.148
		659/2	0.243	0.243
24	भगवान वल्द उन्दरया, किसना इसना, भेजराव वल्द केशोराव, सकु, कमला, बेबी मैना पिता केशोराव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	654/1	0.145	0.145
		658/1	0.477	0.477
25	सरस्वती बेवा शेषराव, रामकृष्णा, रामचन्द्र वल्द बेनी नत्थ्या, काशीनाथ वल्द रघुनाथ सरुबाई बेवा दौलत गंगाधर राजु नत्थु शंकरराव वल्द देवराव रेखा पिता देवराव हनुमंत प्रमोद बलवंत अनिल वल्द सम्पराव लीला, शीला, रत्नमाला पिता सम्पराव श्रीनाथ वल्द रघुनाथ सरुबाई बेवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	667/1	0.491	0.491
26	काशीनाथ वल्द रघुनाथ जाति कंबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	667/4	0.214	0.214
		661/1	0.526	0.526
27	हनुमंत, संपतराव जाति कुंबी पता निवासी भूमि स्वामी	671/1	0.280	0.180
28	प्रमोद वल्द संपतराव जाति कुंबी पता निवासी भूमि स्वामी	671/2	0.170	0.170
29	अनिल वल्द संपतराव जाति कुंबी पता निवासी भूमि स्वामी	671/4	0.217	0.217

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे
1	2	3	4	5
30	गंगाधर बल्द देवराव रेखा पिता देवराव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	672/3	0.203	0.203
31	राजेन्द्र बल्द देवराव रेखा पिता देवराव निवासी ग्राम भूमि स्वामी	559/4	0.234	0.234
		672/4	0.202	0.202
32	रंजना जौ देवीदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	592/2	0.769	0.230
33	बाया, जनका, सोनको पिता गोविन्दा शांता पिता तुकाराम नखोली, बेवा गोविन्दराव पंजाबरा सा.देह भूमि स्वामी	591/1	1.310	0.530
34	काशीनाथ बल्द रघुनाथ जाति कंबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	651/2	0.526	0.526
योग			39.405	35.259

1- चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 42 अ-82-वर्ष-2017-18-बरखेड़-4217.

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	बरखेड़	53.828	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	घाटबिरोली लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	महेश पिता शीवराम जाति किराड़ सा.देह भूमि स्वामी	564	0.263	0.263
		582/4	0.202	0.202
2	हेमराज, वल्द तुलसीराम सा. देह भूमि स्वामी	565	0.259	0.160
		584/2	0.374	0.150
3	मधु, शेषराव, हेमराज, धनराज वल्द हरिराम सुधा मैना पिता हरीराम, रहमत बेवा हरीराम,पता सा. देह भूमि स्वामी	585	1.060	0.240
		696	0.117	0.117
		692	0.283	0.283
		691	0.672	0.672
		689	0.769	0.559
		658	0.590	0.195
		659	0.024	0.024
4	रामचन्द्र वल्द केशो पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	586	0.154	0.154

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
5	खेमचन्द वल्द तुलसीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	584/1	0.373	0.110
6	बिहारी वल्द पुन्ज्या जाति पंवार पता सा.देह भूमि स्वामी	589/4	0.185	0.095
7	बिरज वल्द पून्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	589/3	0.185	0.100
8	छोटेलाल वल्द मयाराम जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी	589/2	0.389	0.090
9	गोरिलाल वल्द राधेलाल सा.देह भूमि स्वामी	589/1	0.369	0.070
		600	0.113	0.113
10	कुवरलाल वल्द बिरज पता सा. दह भूमि स्वामी	588/1	0.220	0.220
		627/1	0.222	0.222
		749/2	0.894	0.480
		724/1	0.112	0.112
		712	0.032	0.032
		588/2	0.135	0.050
		734	0.058	0.058
778	0.376	0.376		
11	नान्दू वल्द बाजी सा.देह भूमि स्वामी	588/2	0.220	0.200
12	पिरम वल्द टूटकू जाति नाई सा.देह भूमि स्वामी	626/1	0.186	0.186
		628/1	0.091	0.091
13	गंगाराम वल्द बिरज सा.देह भूमि स्वामी	627/2	0.223	0.223
		628/2	0.091	0.091
		629	0.210	0.210
		724/3	0.113	0.113
		734/3	0.057	0.057
		749/5	0.894	0.560
14	नत्थू वल्द टाटरू सा.देह भूमि स्वामी	642/1	0.360	0.360
		705/1	1.940	1.450
		722/1	0.200	0.200
15	सुधा बेवा भूसी गहना लंकी पिता भूसी जाति नाई सा.देह भूमि स्वामी	630	0.081	0.081
		632	0.222	0.222
		725	0.202	0.202

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
16	भुनिया जौ. चिन्ध्या सा.देह भूमि स्वामी	683/2	0.576	0.080
17	रेवजी वल्द बंशी पता निवासी भूमिस्वामी	680	0.218	0.090
18	देवानंद उर्फ डेपलया वल्द भारत पता सा.देह भूमि स्वामी	711	0.069	0.069
		717	0.096	0.096
19	किसन वल्द जैराम पारबती बेवा जैराम पता सा.दह भूमि स्वामी	685	0.809	0.809
20	दशरथ वल्द चिन्धू पता सा. देह भूमि स्वामी	682/1	0.556	0.060
		682/2	0.528	0.056
		687/1	0.041	0.041
		690/1	0.082	0.082
		693/1	0.120	0.120
		693/3	0.082	0.082
		695/1	0.012	0.012
21	बाया जौ. चिन्धु दशरथा वल्द चिन्धु सा.दह भूमि स्वामी	684/1	0.667	0.600
		698/1	0.028	0.028
		699/1	0.010	0.010
		700/3	1.932	1.932
22	चिन्धू वल्द तुली सा.दह भूमि स्वामी	683/1	0.577	0.120
		684/2	0.663	0.600
		698/2	0.025	0.025
		699/2	0.010	0.010
		700/2	1.084	0.220
23	हेमराज वल्द हरीराम सा.देह भूमि स्वामी	687/2	0.040	0.040
		690/2	1.252	1.252
		693/2	0.252	0.252
		695/2	0.012	0.012
		700/1	0.911	0.150

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
24	सुगन्त, नान्हीया पिता चैतराम, कस्तुरी पिता पन्ना, मुन्ना वल्द पन्ना, लखन, भिवजी पिता शंकर भूमि सपमी, शंकर, कली विमला, निर्मला पिता शंकर सावला बेवा शंकर पता सा.देह भूमि स्वामी श्रीराम, कुंवर, गंगाराम वल्द बिरज, सुमन पिता बाजी, सुमन लीला, भीमा पिता बिरज जानकी बेवा रमेश नंदकिशोर पंजाबराव भेजराज वल्द रमेश ताराबाई पिता रमेश, सुरेश पिता बाजी सकुन पिता बाजी पता निवांसी ग्राम भूमि स्वामी	724/2	0.188	0.188
		732/1	0.026	0.026
25	लिलावती जौ. अमृत सा.देह भूमि स्वामी	705/3	0.312	0.312
		747/2	0.142	0.142
		747/3	0.122	0.122
26	तापी बेवा भारत सतीसया पिता भारत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	705/2	0.196	0.196
27	पन्ना वल्द झापड्या जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी	706/1	0.496	0.496
		749/4	1.788	1.788
		721/2	0.009	0.009
		723/1	0.056	0.058
		734/3	0.240	0.240
28	सीमा जौ. आनंदराव सा.देह भूमि स्वामी	642/2	0.344	0.344
29	पन्ना वल्द शंकर सा.देह भूमि स्वामी	737/4	0.006	0.006
		743/3	0.056	0.056
		743/7	0.040	0.040
30	दिलीप उर्फ भदया वल्द अमृतलाल सा.देह भूमि स्वामी	706/2	0.247	0.247
		723/2	0.028	0.028
		732/2	0.146	0.146
		734/2	0.081	0.081
		749/10	0.596	0.396

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
31	उमेश वल्द अमृतलाल सा.देह भूमि स्वामी	704/1	0.810	0.810
		721/1	0.080	0.080
		749/1	0.596	0.596
32	लखन, भिवजी वल्द शंकर रामलाल बेवा शंकर कमला, जसोदा पिता शंकर सुगन्ती नान्हीया पिता चैतराम भूमिस्वामी कुवर गंगाराम वल्द बिरज रीराम सुरेश वल्द बाजी सकुन पिता बाजी शंकर सुगन्ती नान्हीया पिता चैतराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी जानकी बेवा रमेश नंदकिशोर पंजाबराव भोजराव वल्द रमेश ताराबाई पिता रमेश कस्तुरी पिता पन्ना मुन्ना पिता पन्ना पता सा.देह भूमि स्वामी	730	0.089	0.089
33	प्रवीण वल्द कालूराम जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी	629/2	0.202	0.202
		728/2	0.368	0.368
34	नारायण उर्फ ललीत वल्द कालूराम जाति पंवार	639/1	0.203	0.203
		728/1	0.367	0.367
35	दशरथ वल्द चिन्धू पता सा. देह भूमि स्वामी	703/2	0.809	0.809
36	सोमती वल्द कैला जाति पंवार भूमि स्वामी	709	0.053	0.053
37	धनराज वल्द गंगाराम सा.देह भूमि	710/2	0.064	0.064
		780/2	0.632	0.532
38	मुन्नी बेवा बाजी दशरथ वल्द बाजी धोगा, माहो कमला, शान्ति पिता बाजी जाति पंवार भूमि स्वामी	715	0.028	0.028
		716	0.105	0.105
		775/2	0.032	0.032
39	अनिल वल्द कुवरलाल सा.देह भूमि स्वामी	710/1	0.098	0.098
		718	0.020	0.020
		780/1	0.532	0.532

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
40	साबजी वल्द गोबरया सा.देह भूमि स्वामी	713	0.178	0.178
		719	0.129	0.129
		775/1	2.991	2.991
		740	0.045	0.045
41	तुलसा पति देवानन्द उर्फ डेपल्या जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी	703/1	0.624	0.624
		722/2	0.184	0.184
		779	0.660	0.660
42	नन्हिया पि० चैतराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	724/4	0.037	0.037
		732/3	0.005	0.005
		766/7	0.050	0.050
43	गेन्दा बे० चैतराम, दौलत सम्पत, महपत, रामपत व० चैतराम कमला गुन्ता पि० चैतराम मीरा बे० गणपत, राम, श्याम, संदीप व० गणपत संध्या पि० गणपत जाति पवार पता सा० देह भूमि स्वामी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	784/1	3.460	3.460
		694	0.036	0.036
44	जानकी बेवा रमेश, नंदकिशोर, पंजाबराव, भोजराव व० रमेश,ताराबाई पिता रमेश पता निवासी सा० देह	749/8	0.646	0.446
		749/3	0.133	0.133
45	राजकुमार, दिनेश व० श्रीराम मुन्नी, कमलेश बाई पिता श्रीराम जाति पवार पता सा०देह भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलगुक्ता ०.६४	766/1	0.253	0.253
46	सुरेश व० बाजी जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	749/6	0.133	0.133
		749/9	0.646	0.470
47	सुकाली बे० मंगरया पता सा० देह भूमि स्वामी	752/1	0.660	0.190

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
48	हुन्नीलाल व० टंटी जाति किराड सा०देह भूमि स्वामी	750/5	0.506	0.506
49	रुखमी बेवा बाजी गेंदा बेवा शंकर सतीश व० शंकर देवली पिता शंकर सम्पत गणपत व० बाजी बातो पिता बाजी जाति तेली भूमिस्वामी भू राजस्व ५.०	787	0.971	0.150
		785	0.717	0.717
50	सरस्वती बेवा श्यामराव कौलिका बेवा तिलकचंद कुसुम किसन प्रेमलाल जगन व० चिन्ध्या शिवरति बे०चिन्ध्या मुन्ना प्रेमचंद व० माणिक मीरा फूलवंती कोहली पिता माणिक सूरपति पता सा०देह भूमिस्वामी भू राजस्व बिलकुक्ता ३.०४	747/1	0.477	0.400
		747/4	0.392	0.392
		772/1	0.434	0.110
51	गंगाराम व० गोड पता सा० देह भूमि स्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता २.२५	746/1	0.486	0.486
52	जगदीश व० इनकलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू - राजस्व	745/2	0.240	0.240
53	छोटेलाव व० टंटी सा०देह ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व	750/6	0.507	0.400
54	रामजी इनकलाल व० पुन्या बाया साया पि० पुन्या मंगेश नंदराम कल्पना चंदा सोनु दीपा पि० नंदराम सकुन बे० नंदराम तारा बे० गुलाल विजय व० गुलाब मीरा कमला चिन्धू पिता गुलाब पता सा० देह भूमिस्वामी भू राजस्व १.६६	744/1	0.279	0.279
		744/2	0.203	0.203
55	फुलवन्ती पति मनोहर पता निवासी भूमि स्वामी	737/5	0.012	0.012
		743/9	0.141	0.141
		743/10	0.150	0.150
56	मनोहर व० शंकर राधा पिता शंकर पता निवासी भूमि स्वामी	737/3	0.012	0.012
		743/4	0.112	0.112
		743/8	0.080	0.080
57	गोरेलाल व० शंकर राधा पिता शंकर पता निवासी भूमि स्वामी	737/2	0.006	0.006
		743/1	0.046	0.046
		743/6	0.056	0.056

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
58	अरविन्द अनिल कलीराम व० छोटेलाल रेखा गौरी कसिया पिता छोटेलाल पता निवासी	737/1	0.013	0.013
		743/2	0.093	0.093
		743/5	0.150	0.150
59	विजय कुमार, ओमप्रकाश अरुणकुमार व० हरिभाउ पता सा० देह भूमिस्वामी	738	0.608	0.608
		742	0.971	0.971
		773	0.696	0.450
60	फुलचंद व० बाजी तुलसीया पिता बाजी पता सा० देह भूमिस्वामी	751/1	1.941	0.520
61	कालूराम व० डोमा पता सा० देह भूमिस्वामी	741	1.578	1.578
		751/2	1.940	0.480
		774	0.704	0.704
		776	0.125	0.125
62	बाजी व० गोबरया नत्थू व० लल्लू पता सा० देह भूमिस्वामी	781/1	0.134	0.134
63	शकुन्तला पति रामप्रसाद जाति पवार पता सा० देह भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता ०.२५	781/2	0.202	0.202
64	नान्होलाल बायजी व० कैला पता सा० देह पता सा० देह	781/3	0.202	0.202
		781/4	0.203	0.203
65	नत्थ्या व० बुद्धू माहो रामरती दुर्गा पि० बुद्धू पता सा० देह भूमिस्वामी भू राजस्व	782	0.607	0.607
66	गुलाबराव व० गेन्दूजी जाति नाई पता नि० ग्राम भूमि स्वामी	626/2	0.062	0.062
67	गोपाल व० गेन्दूजी जाति नाई पता नि० ग्राम भूमि स्वामी	626/3	0.062	0.062
68	संतोष व० गेन्दूजी जाति नाई पता नि० ग्राम भूमि स्वामी	626/4	0.062	0.062
69	कौशलया पिता रामचंद्र	590/1	0.162	0.060

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
70	लंका बेवा रामचंद्र भगवत देवराव व० रामचंद्र.	590/2	0.162	0.060
71	ममता जौ० शंकर ललीता बे० धर्मराज तरुण अरुण ना०बा०पि० धर्मराज पता सा०राजेगांव भूमि स्वामी	567	0.283	0.110
72	दूर्गा उर्फ राधा पिता गणेश जाति किराड भूमि स्वामी	568	0.198	0.050
73	रामकृष्ण व० भूरा रामकला सुनिता पिता भूरा सा० देह	750/7	0.510	0.290
74	दुलीचंद व० नाथूराम सा०देह भूमि स्वामी	746/2	0.485	0.485
		748/2	0.158	0.158
75	सुबे दुर्गा निर्मला आशा पिता टाटरू जाति पवार सा०देह भूमि स्वामी	745/1	0.242	0.242
76	हरिराम व० गणपत सा०देह भूमि स्वामी	765/1	0.407	0.200
77	फकीरचंद प्रेमलाल बलवंत हिराचंद पिता साहेबलाल रेखा रैना पिता साहेबलाल तापी बे० भारत सति जौ० परसराम सया जौ० रामकिशन डेपल्या उर्फ किसन व० विनोदी बिरजो बे० विनोदी नान्ही इन्द्रा पिता विनोदी नत्थू व० टाटरू सुबे दुर्गा अंजीरा मुन्नी पिता नत्थू पता सा० देह भूमिस्वामी	795/1	15.416	2.020
78	दौलत व० चैतराम पता सा०देह भूमि स्वामी (कृषि भिन्न आशय)	784/2	0.012	0.012
79	राजेश व० अम्रतलाल पता सा०देह भूमि स्वामी	749/11	0.596	0.400

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
80	कुंदन जौ. नत्थ्या पता सांखम्बारा भूमि स्वामी	783	0.648	0.648
81	अम्रतलाल व० झापडया पता सांवेह भूमि स्वामी	643/1	0.172	0.080
82	सुधा पिता पन्ना पता सांवेह भूमि स्वामी	704/2	0.809	0.700
83	हेमराज व० भूरा रामकला सुनिता पिता भूरा पता सांवेह भूमि स्वामी	750/8	0.515	0.415
महायोग :-			82.204	53.828

1- चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 की कार्यवाही पृथक से प्रचलित की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 42 अ-82-वर्ष-2017-18-मोजा निम्बोटी-4476.

बैतूल, दिनांक 9/10-अप्रैल-2018

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल/	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	नम्बोटी	82.351	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	घाटबिरोली लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	अंजना पिता भारत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व शा. 3/3	9/7	0.050	0.050
		9/12	0.082	0.082
		9/19	0.050	0.050
		12/1	0.119	0.119
		52/3	0.115	0.115
2	बोदरी व० छुट्टन पता सा० सावंगा भूमि स्वामी भू राजस्व शा. ३/४	9/8	0.036	0.036
3	मेथा पिता छुट्टन पता सा० सावंगा भूमिस्वामी	9/10	0.036	0.036
		9/13	0.082	0.082
		9/18	0.050	0.050
		12/4	0.110	0.110
		52/4	0.190	0.190
		80/9	0.276	0.180

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
4	सुधा जौ० सुरजू पता निवासी ग्राम सावंगा भूमिस्वामी भू राजस्व शा० ३/२	9/11	0.082	0.082
		9/16	0.130	0.130
		12/2	0.090	0.090
		52/5	0.200	0.200
		80/6	0.181	0.131
		80/10	0.091	0.030
5	संतोष व० भकरया जाति पवार पता निवासी ग्राम सावंगा पता निवासी ग्राम सावंगा भूमिस्वामी भू राजस्व शा० ३/४	9/14	0.082	0.082
		9/17	0.060	0.060
		12/3	0.090	0.090
		52/2	0.155	0.155
		80/7	0.218	0.218
6	मधु व० दौलत जाति पवार पता सा० जाम भूमिस्वामी	10/1	0.913	0.913
		11/1	0.305	0.305
		29/1	0.214	0.214
		31/1	0.421	0.421
		76/6	0.405	0.405
		76/7	0.663	0.663
7	माखनलाल दीपक संतोष मनोज व० सिरी दुर्गा रजनी पिता सिरी नान्ही बेवा सिरी जाति पवार पता निवासी ग्राम सावंगा भूमिस्वामी भू-राजस्व	10/2	0.357	0.357
8	मुन्नी बेवा कैलाश सुधिर शुभम व० कैलाश वर्षा पिता कैलाश पवार पता निवासी ग्राम सावंगा भूमिस्वामी भू-राजस्व	10/3	1.000	0.360
		10/4	0.100	0.100
		10/5	0.100	0.100
		11/3	0.100	0.100
		56/2	0.350	0.350
		31/4	0.600	0.600
9	गणपति व० जैराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व	10/6	0.700	0.700
		10/7	0.150	0.150
		10/8	0.700	0.700
10	मुकेश व० नारायण कमला जौ० पूनाजी पता सा० देह भूमि स्वामी	10/9	0.710	0.710
11	रमेश नान्हो व० बाजी कचरा रामरती सुधा पिता बाजी सोना बेवा मौजीलाल कला पिता बाजी राजेन्द्र व० साहेबलाल जाति पवार भूमिस्वामी किसना विनोदी दत्त गुंडु	11/2	0.041	0.041

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
12	नत्थू व० बाबू इडोबा सम्पत पन्जू संतोष व० बाला पूर्णा बेवा बाला माधोराव गणपति व० इसना पता निवासी ग्राम सावंगा भूमिस्वामी	14/1	0.715	0.030
13	गुन्ताबाई जौ०अकुशराव पता सा० सावंगा भूमिस्वामी भू०रा०शा० 9/2	14/2	0.143	0.143
		16/2	0.298	0.298
14	कमला बाई बेवा गणपति राजेश संजय व० गणपति पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	16/1	0.213	0.213
		17/4	0.210	0.210
15	सम्पत फंजावराव व० बाला पूर्णा बेवा बाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी कुसुम बेवा विट्ठलराव विजय अजय वरुण पिता विट्ठलराव कमला बेवा संतोषराव कमला बेवा संतोषराव, दीपक पंकजनिलेश पिता संतोषराव, पुंजा	16/4	0.214	0.214
		17/1	0.213	0.213
		17/3	0.210	0.210
16	माधोराव व० इसना पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	16/5	0.214	0.214
		17/5	0.223	0.223
17	सरस्वती बेवा यादोराव सरू द्वारका पुत्री अम्बू राजू योगेश अर्जुन व० यादोराव निर्मला अनुराधा पि० यादोराव पता सा० सावंगा भूमिस्वामी भू रा०शा० 9/2	17/2	0.424	0.424
18	सरस्वती बेवा गढीराम रमेश सुभाष व० गढीराम सुनिता संगीता पिता गढीराम नीलकंठ साहेबराव, उमराव व० गणपत भौ, गुंता पिता गणपत पता निवासी ग्राम पांढरी भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता	18	0.668	0.668
19	भूरो व० गेन्दा कौसी पिता गेन्दा, भीमराव, सुरेश, संतोषराव व० गुलाबराव चन्द्रभागा बेवा गुलाबराव बल्लू व० मिटठू जनाबाई मना पिता लक्ष्मण भाउराव वातू व० निम्बा दुमलाबाई बेवा निम्बा पता निवासी ग्राम पांढरी भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता	19	0.332	0.232
20	नारायण गणेश व० गणवा पिखोजी अंजिरा पिता गणवा पता सा० पांढरी भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता ७.६०	20	0.388	0.040
21	शिवशंकर विश्वनाथ व० नारायण नत्थीबाई आशाबाई पिता नारायण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व 8.92	25	4.815	0.730
22	अनिता बेवा मुन्ना उर्फ चन्द्रभान आशा उर्फ सोनू पिता मुन्ना उर्फ चन्द्रभान रानू पिता मुन्ना उर्फ चन्द्रभान पता सा०देह भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 2.50	26/2	1.622	0.530

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
23	शांता बेवा उमराव विटठलराव विधाशंकर व० उमराव स्नेहलता पिता उमराव सेवती पिता महादेव जाति कुंबी सा०सेमरया पांडरी	26/3	0.300	0.090
24	सूरत व० मयराम जाति पवार पता सा० जाम भूमिस्वामी	10/10	0.913	0.913
		27/1	0.179	0.179
		29/2	0.114	0.114
		11/4	0.306	0.306
		31/6	0.421	0.421
		67/5	0.405	0.405
25	शीलाबाई जौ० सुरेश जाति पवार सा० सावंगा भूमिस्वामी	27/2	0.210	0.210
		31/3	0.380	0.380
		76/2	0.404	0.404
26	सम्पत व० विरजू सा० सावंगा भूमिस्वामी	28	1.181	1.181
27	रेवती धुडिया पि० सिताराम पता सा० सावंगा भूमिस्वामी आनंदराव प्रेमलाल व० दुई उर्फ बालकराम जमना बेवा दुई उर्फ बालकराम शान्ता पिता दुई उर्फ बालकराम जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता ०.७५	31/2	0.448	0.448
28	संपत गणपत व० बाजी बातो पिता बाजी सतीष व० शंकर देवकी पिता शंकर गेंदाबाई बेवा शंकर पिता ठूकडया काशी बेवा ठूकडया पता सा० बरखेड भूमिस्वामी भू राजस्व २.२५	39	0.526	0.526
		41	0.425	0.425
29	नान्हू श्रीराम व० उकडया पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व ०.५०	32/2	1.214	1.214
30	उकडया पिता घासीराम पता नि० ग्राम भूमिस्वामी सा० सावंगा भूमिस्वामी भू राजस्व २.१३	33/1	0.837	0.837
		33/3	0.630	0.630
		33/5	0.340	0.340
		37/2	0.414	0.414
		38	0.445	0.445
		55/3	0.217	0.217
31	शांता बे० उमराव विटठलराव विधाशंकर व० उमराव स्नेहलता पिता उमराव सेवती पिता महादेव पता नि०ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व १.३१	34	0.425	0.425
		36	0.890	0.890

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
32	रामजी व० लोटन पता निवासी ग्राम सावंगा भूमिस्वामी	9/24	0.400	0.400
		43/1	0.020	0.020
		46/2	0.154	0.154
		48/1	0.145	0.145
		52/6	0.255	0.255
		53/2	0.164	0.164
		55/1	0.352	0.352
33	सूरज व० लोटन पता निवासी ग्राम सावंगा भूमिस्वामी	9/20	0.175	0.175
		9/23	0.145	0.145
		43/2	0.020	0.020
		46/1	0.154	0.154
		52/1	0.304	0.304
		53/1	0.160	0.160
34	कला शांता पिता गुड्डू रमेश सुरेश डोमा उर्फ पंजाबराव व० गुड्डू सावित्री बेवा गुड्डू सुभाष गुलाब वल्ल भगवान सुनिता बाली पिता भगवान अनुसया बेवा भगवान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	42/1	0.117	0.117
		45	0.235	0.235
		51	0.340	0.340
35	अशोक, राजेन्द्र व० साहेबलाल अहिल्या पिता साहेबलाल जाति पवार पता सा० सावंगा भूमिस्वामी भू०रा०शा० ५	47	0.299	0.299
		49	0.049	0.049
		54	0.433	0.433
		10/11	0.913	0.913
		31/5	0.421	0.421
36	कला बेवा अन्धू चैपू बेवा चैतराम कारी जसमा पिता अन्धू कमला मैना कुसमा पिता चैतराम जाति पवार साकिन सावंगा भूमि स्वामी	9/15	0.115	0.115
		9/25	0.210	0.210
		42/2	0.037	0.037
		55/2	0.084	0.084
37	मधु व० दैलत सुरत व० मयाराम, सितो व० मौजी, कमला जौ० बाजी जिया बेवा सावजी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	56/1	0.367	0.367
38	बाजेराव पिता भूराजी पता सा० घाटबिरोली	57/1	0.962	0.962
39	लोधू दीकाराम व० काल्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	58	1.668	1.668
		60	0.251	0.251
		64	1.465	1.465
40	दुकडया व० ढोडया तापी बेवा कोल्या सीता बे० मौजी सैंगो बे० बाडिया मधु किसन तुकरा व० बिरबल, रैसूल, कांती पिता बिरबल दुकडया व० ढोडया, गुड्डू अदरू नत्थू व० मन्नु, लक्ष्मण व० ढोडया करु व० दैलत, रामचंद्र व० देवू, लंगडी दशरी शकुन बकु मिल्हा पिता देवू कौशा बे० फुंदन पारन्या इमरत व० तेजीलाल पता नि० ग्राम भूमिस्वामी मनीराम कलिराम व० कुन्दन जैयवन्ती भागवती फूलमन पिता कुन्दन पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	65/2	1.000	1.000

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
41	तापी बेवा कोल्या सीता बे० मौजी सेंगो बे० घाडिया मधु किसन तुका व० बिरबल, रैसूल, कांती पिता बिरबल टुकडया व० डोडया, गुडडू अद्दू नत्थू व० मन्नु, लक्ष्मण व० डोडया वीलत वल्द मल्या रामचंद्र व० टेदू, लंगडी दशरी शकुन बकु मिल्हा पिता टेदू कौशा बे० फुन्दन पारन्या इमरत व० तेजीलाल पता नि० ग्राम भूमिस्वामी मनीराम कलिराम व० फुन्दन जैयवन्ती भागवन्ती फूलमन पिता फुन्दन पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	61/1	0.930	0.930
		65/1	6.695	6.695
42	रामकिशन पिता लोधु पता नि० ग्राम सावंगा भूमिस्वामी	59/1	0.296	0.296
		63/1	0.965	0.965
43	भूरा व० गेन्दा कौसी पिता गेन्दा, भीमराव, सुरेश, संतोषराव व० गुलाबराव सेवन्ती पिता महादेव भाउराव बापू व० निम्बा गंगा सुमीत्रा पिता निम्बा सुगली बेवा निम्बा शीवशंकर विश्वनाथ व० नारायण नत्थी आगा पिता नारायणविटठलराव विधाशंकर व० उमराव शांता बे० उमराव स्नेहलता पिता उमराव सा.देह भूमिस्वामी	69	5.160	2.960
44	मारोती व० धना पता निवासी ग्राम पांढरी भूमिस्वामी	71/3	0.259	0.259
45	गोकुल व० मौजी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	71/5	0.140	0.140
		76/4	0.140	0.140
		76/5	0.420	0.420
46	मंशाराम धंसाराम परसराम नरसिंगराव व० ओझा कौशलया सुमित्रा पिता ओझा बुलकी बेवा ओढा	74/1	1.703	1.703
		77/2	1.445	0.200
47	रेखा बेवा साहेबराव स्वपनिल मयूर कुणाल पिता साहेबराव कुंबी भूमिस्वामी	74/2	0.340	0.080
48	भगवान मारोती व० यादोराव कमता विमला गमला पिता यादोराव जाति कुंबी सा० पांढरी भूमिस्वामी	71/4	0.259	0.259
		67/3	2.875	2.875
49	गेन्दराव व० डुकरिया जाति गौड पता नि० ग्राम भूमिस्वामी	74/6	0.750	0.750
50	पुन्नी चुन्नी व० मैलू मथुरा चतुरा पिता मैजू जाति गौड पता नि० ग्राम भूमिस्वामी	74/5	1.540	1.540
		77/3	2.023	0.820
51	आनंदराव व० डुकरिया पता निवासी	74/7	0.750	0.750
52	सुखदेव व० प्यारेलाल जाति पवार सा० देह	59/2	0.295	0.295
		63/2	0.962	0.470
53	रामभाउ व० राजाराम पता नि० ग्राम घाट बिरोली	15/6	0.290	0.290
		15/7	0.210	0.210
		15/9	0.130	0.130
54	भाउराव व० राजेराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	15/5	0.250	0.250
		15/8	0.120	0.120

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
55	सीरी , नान्हू व० उकडया सा० देह भूमिस्वामी	57/2	1.226	1.226
		57/3	0.260	0.260
56	बुल्ले बेवा झुम्मक नागोराव देवराव जागोराव व० झुम्मक शांता कुसुम कश्मीरा बाली पिता झुम्मक जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	74/4	1.570	1.020
		78/1	0.850	0.850
		77/5	0.286	0.286
57	शिवशंकर विश्वनाथ व० नारायण, आशा बाई, नत्थी बाई पिता नारायण जाति कुंबी निवासी सेमरया पांडरी	71/6	0.405	0.405
58	मोहनलाल विपतराम व० गरजन तुलस बाई बेवा रतनलाल एकनाथ शीवनाथ पिता रतनलाल लता पिता रतनलाल जाति गौली सा० देह भूमिस्वामी	67/4	1.821	1.821
59	किसना व० जयराम जाति कुंबी सा० सेमरया पांडरी	26/4	1.400	0.400
60	यशवंतराव व० माणिकराव जाति कुंबी सा० सेमरया पांडरी	26/5	0.300	0.300
61	विठ्ठलराव विद्याशंकर व० उमराव सा० सेमरया पांडरी	33/2	1.415	1.415
		33/4	0.505	0.505
		37/1	0.565	0.565
62	किसन विनोदी व० गुण्डू जाति पवार ग्राम चंदोरा खुर्द	61/2	0.300	0.300
		65/3	0.505	0.505
		65/4	0.740	0.740
		65/5	0.165	0.165
63	मुकेश महेश व० सुखराम गुलस बेवा सुखराम रघुनाथ पिता मोहन सा० देह	80/3	0.809	0.250
64	रामकली जौ रामदासजाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता	75/4	1.180	0.860
65	महादेव व० पुनु धन्नी बेवा पुनु सिता पिता पुनु जाति गोंड कवीता बेवा नेहरू रोहित वैशाली ना० बा० पिता नेहरू वलिमां कवीता जाति गोंड सा० देह भूमिस्वामी	80/13	1.300	0.100

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
66	मैजू डुकरिया व० गोमजी पुनु दमडू शिवराम सुखराम व० दशरथा गिरजा पिता दशरथा सगन बेवा दशरथा फुलवंती बेवा गिरधारी गुलाब, अशोक, रमेश व० गिरधारी, माहो पिता गिरधारी झुम्मक व० सोमजी सालक व० दमडया गुलाब व० चैतराम कमल गैना कुसुम पिता चैतराम चैपू बेवा चैतराम कला बेवा अंधू अंधू जसमा कारी पिता अंधू रामजी सूरजू व० लोटन रिसूल व० लोटन लक्ष्मणराव रंगलाल व० देवसू सरस्वती पिता देवसू जनी बेवा देवसू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	80/1	3.322	1.100
67	हरी व० भद्रया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	80/2	1.607	0.120
68	वसन्तराव व० नंदराम पूर्णा बे० कोल्या मारोतराव नान्हू कैलाश व० जैराम ध्रुव रामप्यारी व० जैराम किसना व० नानक जैराम मुन्ना व० मौजी गोविन्दा हेमन्त दिनेश व० बाजेराव गेंदा फुंदा उमा इन्द्रा पिता बाजेराव पूर्णा मुन्नी बेवा कैलाश वर्षा पिता कैलाश संगीता पिता शीवशंकर प्रियंका पिता शीवशंकर सौरभ चेतन ना०बा० व० शीवशंकर वलीमा संगीता उर्फ बायजी बेवा बाजेराव सुधीर सुमन व० कैलाश लहराम छोटे व० साबाजी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी	76/1	5.292	5.292
69	बसन्तराव बाजेराव व० नन्दराम पूर्ण बेवा नन्दराम नन्दया जमनी पिता मौजी मारोतीराव नान्हू कैलाश व० जैराम चैती रामप्यारी पिता जैराम किसना व० नानक जैराम व०छोटे साबाजी साहेबलाल दिन्या व० लून्गा अशोक राजेन्द्र व० साहेबलाल जाति पवारं किसना विनोदी व० गुंडु जाति पवारं पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	67/1	0.619	0.619
70	संपत गणपत व० बाजी बातो पिता बाजी सतीष व० शंकर देवकी पिता शंकर गेंदाबाई बेवा शंकर पिता टूकडया काशी बेवा टूकडया सुभाश गुलाब घनश्याम व० भगवान सुनिता बाली पिता भगवान अनुसया बेवा भगवान भूमिस्वामी	32/1	1.923	1.923
71	नान्हू व० जैराम जाति पवारं साकिन सावंगा भूमिस्वामी	76/8	0.680	0.680

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
72	बसन्तराव बाजेराव व० नन्दराम पूर्ण बेवा नन्दराम नन्दया जमनी पिता मौजी मारोतीराव नान्हू कैलाश व० जैराम चैती रामप्यारी पिता जैराम किसना व० नानक जैराम व०छोटे साबाजी साहेबलाल दिन्या व० लूणा अशोक राजेन्द्र व० साहेबलाल जाति पवार किसना विनोदी व० गुंडु जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	71/1	0.120	0.120
योग			111.82	82.351

1- घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 44 अ-82-2017-18-मौजा-ब्राह्मणवाड़ा-4477.

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है; भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०मी)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	आमला	ब्राह्मणवाड़ा	1.100	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय (पूरक)

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	आल्हा, लखन वल्द देवजी सरस्वती अम्बा, सुमित्रा पिता देवाजी सा.देह भूमि स्वामी	322/1	0.141	0.056
2	नान्ही पति बाबुलाल जाति पवार सा. चन्दोराखुर्द	322/2	0.709	0.056
3	मनीष वल्द नन्दलाल कायस्थ सा. तिरपती नगर महाराष्ट्र भूमि स्वामी	323/1	0.482	0.046
4	धुडिया उर्फ साहेबलाल वल्द खुर्याल जाति पवार सा.देह भूमि स्वामी	323/2	0.481	0.046
5	हेमराज वल्द रावजी, सुन्दर शांता नन्दिनी दुर्गा पिता रावजी पूर्णा पिता रावजी पता सा.देह भूमि स्वामी	213	1.643	0.325
6	विजय, विनोद वल्द अमीलाल, अनिता ममता पिता अमीलाल	214	1.327	0.116
7	भीमराव वल्द श्यामराव जाति पवार सा.देह भूमि स्वामी	209/1	1.689	0.118
8	अर्जुन पिता श्यामराव सा.देह भूमि स्वामी	209/2	1.690	0.119
9	अशोक वल्द आशाराम सा. देह भूमि स्वामी	208/1	1.160	0.109
10	मधु वल्द आशाराम सा. देह भूमि स्वामी	208/3	1.160	0.109
योग			10.482	1.100

1- चूंकि काठी लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 45 अ-82-2017-18-4480.

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	घाटपिपरिया	5.552	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	काठी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	फागु, राघो वल्द शिवजी, सुरेश वल्द राघो नान्हु, रामकिशोर वल्द रोन्या भूरी, घुड़न पिता रोन्या सा. देह	762/3	0.184	0.072
2	शिवपाल वल्द श्यामराव, इमरती, मखनी, हीरा पिता श्यामराव, लंकी पिता धुड़ल्या सा.देह	761/1	0.101	0.101
		761/3	0.334	0.090
3	मंगरया, बाबूलाल वल्द पन्ना पंवार सा.देह	762/1	1.154	0.795
4	पन्ना वल्द इठोबा, बाया बेवा इठोबा पंवार सा.देह भूमि	762/2	0.121	0.121
		758	1.173	0.573
5	दौलत वल्द धुड़ल्या, बटनी पिता धुड़ल्या सा.देह	761/2	0.589	0.345
6	सुरेश वल्द राघो पंवार सा. देह भूमिस्वामी	762/6	0.217	0.090
7	लखन वल्द सावन्या सा. देह भूमिस्वामी	762/4	0.217	0.090

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
8	भभूतराम वल्द देवराव सा.देह भूमिस्वामी	818/4	0.040	0.030
9	मनाराम, मोहन, झनक वल्द धनजी, मोल्हा बेवा धनजी, लक्ष्मी तपसी, नौसी पिता धनजी, सुरेन्द्र नरेन्द्र वल्द सोजर मंजू पिता सोजर सा. देह	818/6	1.031	0.031
10	अमरूत वल्द देवराव पंवार सा. देह	818/11	0.081	0.081
11	बाबू वल्द भावजी, कमलिया, काशी पिता भावजी, रामचरण, राजेश, सुभाष वल्द मधु रामकली, गुडिया पिता मधु सा. देह	818/2	0.243	0.128
		818/7	2.264	0.370
		818/13	0.587	0.120
12	रावजी वल्द किसन सा.देह भूमिस्वामी	818/3	0.263	0.080
		818/12	0.809	0.323
13	जुगरू वल्द बिरज सुलको पिता बिरज, सा.देह	818/1	0.202	0.202
		818/5	0.040	0.010
14	हरि, हेमराज, मनोहर वल्द डोमा सा.देह	818/10	0.076	0.026
15	भागरती जौजे शिवपाल सा.देह भूमिस्वामी	851/2	0.045	0.033
16	शिवजी, तुकाराम वल्द अमरसिंह महेरा, रमेशकुमार, वल्द छोटेलाल, तेली, बलराम, पप्पू मनिराम वल्द रामदास बिरमती, ओझे पिता रामदास गनराज, मुन्ना हेमराज वल्द शंकर इन्द्रा, अंजनी पिता शंकर सा.देह	848	0.514	0.514
17	जसवंत वल्द शंकरसिंह रामकिसन धारा वल्द माधो रामप्यारी कुसुमवती पिता माधो सा. देह	847/2	0.212	0.212
		850/2	0.166	0.166
18	सुशीला जौजे रामलाल पंवार सा.देह	849	0.299	0.299
		850/6	0.150	0.150

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
19	कुंजीलाल रावजी व. ढोल मोधु शंकर व. रोन्धा चेती बे. रोन्धा रूखमी उजमी जमया पिता रोन्धा सा. दुनावा सोजन व. पन्ना दोलत व. माधों पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	851/1	0.226	0.080
20	रामकिशन, धारा वल्द माधो, रामप्यारी, कुसुमवती पिता माधो जसवंत वल्द शंकरसिंह महेरा सा.देह	847/1	0.424	0.220
		850/1	0.631	0.200
	कुल योग		12.393	5.552

1- चूंकि काठी लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 46 अ-82-2017-18-4471.

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013.) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	दुनाई	14.050	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	काठी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	हीरा जौ. भीवजी पंवार	20/1	0.569	0.104
2	फगन्या, मनोहर, दिनेश, गणेश, वल्द सावजी कमल पिता सावजी जानकी बेवा सावजी	20/2	0.568	0.564
3	रामा व. कलीराम पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	281/1	0.288	0.288
4	नान्हूलाल व. भिकारी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	281/2	0.739	0.276
		284/1	0.152	0.152
		284/2	0.071	0.071
5	किरण व. प्रकाश शितल पिता प्रकाश जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	281/3	0.118	0.118
5	रामा गणपति शिवशंकर व. कलीराम जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	281/4	0.117	0.117
		285	0.263	0.263
		287/1	0.093	0.093

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
7	राम, गणपति, शिवशंकर वल्द कली पैकी बेवा कली पंवार जाति पंवार	290	2.792	2.000
		292	0.906	0.906
8	शिवराम व. भिकारी पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	281/5	0.622	0.542
9	राम प्रसाद व. भिकारी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	281/11	0.131	0.131
		281/12	0.081	0.081
10	रेवाजी व डोमा जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	289/2	0.061	0.061
		289/5	0.944	0.640
11	रतनलाल व. शिवलाल जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	289/4	1.000	0.672
12	पैकीबाई जौ. कली जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	291	0.571	0.571
13	आनन्दराव व. भावजी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	293/1	0.714	0.360
		298/10	0.186	0.186
		305/1	0.270	0.270
14	पांची बे. विहारी मधु विपत व. बिहारी सकूल बे. मानिकराव अशोक अनिल पप्पू गब्बर व. मानिकराव संतोषी पिता मानिकराव सारजी माहो मीरा मुन्नी पिता बिहारी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	305/4	0.242	0.100
		307/1	0.121	0.121
15	गर्जुन व. कैला रैसूल बेवा बिरलू कारु दशया व. बिरजू डोमन कोंगन लक्ष्मी जस्मी कुस्मी देवकी पिता बिरजू जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	308	0.336	0.336
		310	0.858	0.45
16	सिरी व. रावजी शंकर व. दमड़या जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	300/1	0.232	0.232

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
17	शंकर दमड़या सिसी सिरपत गणपत दलपत व. रावजी उर्मिला कमला परवत देवना पिता रावजी मुनिया पिता भूमि स्वामी	300/2	0.657	0.202
		306/2	0.127	0.127
18	झुनिया पिता काशीराम जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	306/1	0.043	0.043
19	बायाबाई जौ. हिराजी पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	17/1	0.333	0.283
20	कन्हैया व. भोलू जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	18/10	0.770	0.121
		18/15	0.224	0.168
21	पुष्पलता बे. पुनाजी प्रितेश व. पुनाजी दिक्षा पिता पुनाजी देवाजी गनेश व. शंकरलाल जाति पंवार	18/2	0.470	0.470
		280/2	0.419	0.083
		282	0.271	0.271
22	कंलाबाई जौ. कन्हैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	18/3	0.910	0.400
23	बंशीलाल व. भीलू जाति पंवार	18/9	0.121	0.121
		17/2	0.333	0.200
		280/6	0.221	0.041
24	शंकर व. भोलू जाति पंवार	18/8	0.121	0.121
		280/5	0.012	0.012

25	नाही पिता इतोबा जाति पंवार	18/4	0.202	0.202
		18/5	0.202	0.202
		18/12	0.130	0.130
		18/13	0.130	0.130
26	साहेबलाल व. भीलू जाति पंवार	18/7	0.303	0.203
		280/1	0.310	0.050
27	रंजनी जौ. देवाजी जाति पंवार	18/11	0.121	0.121
		18/16	0.121	0.121
28	नान्हू व. लल्लू जाति पंवार	305/2	0.120	0.120
29	नन्हेलाल व. भीलू जाति पंवार	18/14	0.081	0.081
30	जियालाल व. अर्जून बायजा बे अर्जून शांती मगी जैना पिता अर्जून जाति पंवार	305/3	0.230	0.073
		295/4	0.224	0.224
		309/1	0.406	0.025
कुल योग			20.657	14.050

1- चूंकि काठी लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 47 अ-82-2017-18-काठी-4479.

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	आमला	काठी	11.291	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	काठी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	पंजाबराव वल्द राधेलाल भोयर सा. देह भूमि स्वामी	228/4	0.347	0.080
		231/2	0.210	0.210
		232/2	0.093	0.093
2	कचरा बेवा सुंदरलाल, बाबूलाल, साहबलाल, दयाल, लयराम वल्द सुंदरलाल, सुनिता, कमला पिता सुंदरलाल, केकई बेवा दयाराम वली मां मां केकई, रोशनी ना. बा. पिता दयाल वली मां केकई सा. देह	243/3	0.142	0.142
		243/4	0.562	0.562
		243/6	0.323	0.223
3	कनल पिता भगन कल्लू व. घुड़न दनाजी मनाजी गनाजी व. कुन्दन सीता चम्पा सुनिता पिता कुन्दन माहो बेवा कुन्दन जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	243/1	0.142	0.142
		243/7	0.363	0.263

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
4	किसनजी, बाबूराव व. बाजी, मुन्ना पिता बाजी रमेश वल्द शिवराम, नान्ही, मुन्नी, परमिला पिता शिवराम, भड़त्या व. गेंदलाल, श्यामराव व. तेजी, मानिक, दिनु, सुभाष, दिनेश वल्द बाला, लता, गीता, सविता पिता बाला, सुखदेव, लल्लू वल्द अमरूत, ललिता पिता अमरूत, तुरसी बेवा बाला, नान्ही पिता राधेलाल पंवार सा.देह	228/3	0.766	0.766
		231/1	0.211	0.211
5	रूख्माबाई जौ. श्यामराव पंवार सा. देह	232/1	0.093	0.093
		233	0.393	0.393
		234	0.162	0.162
6	शिवशंकर वल्द दशरया सा. देह भूमिस्वामि	237/3	0.639	0.249
7	चेनी जौ. मदनलाल सा.देह भूमिस्वामी	237/4	0.182	0.182
8	घुड़िया व. दुमरू जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	238/1	0.267	0.267
		240	0.316	0.316
9	चैत्या वल्द सीताराम दस्सर व. सीताराम पंवार सा.देह भूमिस्वामी	238/2	0.267	0.267
		240/1	0.316	0.316
		544/1	0.220	0.220
10	कैलाश वल्द चैत्या कमला वल्द चैत्या पंवार सा. देह भूमिस्वामी	240/2	0.081	0.081
		544/2	1.108	1.108
11	प्रेमलाल, रेवजी वल्द कमला पिता चैत्या पंवार सा. देह	239/1	0.338	0.338

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
12	बाया बेवा हिराजी, नान्ही, नन्हिया पिता हिराजी, मनोज, उमेश व. बाबूलाल ममता पिता बाबुलाल नान्ही बेवा बाबुलाल, सुरेश, सुरेन्द्र मोनू रमेश वल्द ओझा, सोनू सुकू ना.बा.व. ओझा वली मां देवकी, लता पिता ओझा जुगनी, देवकी बेवा ओझा पंवार सा. देह भूमिस्वामी	241	0.615	0.615
		242	1.141	1.141
13	मुन्नी जौ. कैलाश पंवार सा. देह भूमि स्वामी	243/2	0.263	0.160
14	मनोहर वल्द घुडिया सा.दह भूमि स्वामी	545/2	0.234	0.234
15	मदन, शिवशंकर, शिवपाल व. दसरया, जुगना, उर्मिला, जानकी पिता दसरया, प्रहलाद, कैलाश प्रकाश, दयानंद व बिहारी, अनिता पिता बिहारी, सा. देह भूमि स्वामी	243/5	0.565	0.365
16	चेनी जौ. मदनलाल सा.देह भूमिस्वामी	249/4	0.502	0.302

17	मोहनलाल, मदनलाल, इमरत वल्द रेवजी पता सा.देह भूमि स्वामी मोहनलाल व. नंदलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	249/2	0.847	0.190
		251	0.190	0.100
18	गणू व. छोटै पता सा. देह भूमि स्वामी	252	0.340	0.340
		253	0.182	0.100
19	रेवजी वल्द लहया सा. देह भूमि स्वामी	254/1	0.930	0.150
20	मोहनलाल, मदनलाल, इमरत वल्द रेवजी सा.देह	254/2	2.133	0.910
कुल योग			15.483	11.291

1- चूंकि काठी लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 48 अ-82-2017-18-मौजा-ब्राह्मणवाड़ा-4478.

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	आमला	ब्राह्मणवाड़ा	22.087	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित घरको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	भादू व. छित्तु संगोनी ओमवती सोमवती पिता छित्तु सुकिया बे. साबु सुरेश गुन्ता प्रेमा मुन्नी पिता साबु विजय प्रमोद व. अम्मीलाल अनिता ममता पिता अम्मीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी हसली मनोती धनोती पिता मानसिंग दिवरलाल गुल्लू व. बिसराम हिरा देवना तमुना पिता बिसराम सुमली बे. हंसा पम्बुसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पुरनी रेखा रविना पिता हंसा विकास आकाश व. नारायण जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी दिनेश प्रेम व. शिवलाल दिपीका पिता शिवलाल भूमि स्वामी	319	0.664	0.484
		324	0.833	0.833
		325	0.154	0.154

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
2	यशवंत व. दौलतराव जाति कुन्बी पता सा. बोरदेही भूमि स्वामी	334/2	0.648	0.248
3	मोहनलाल रतनलाल हरीलाल व. बिरज अनिता सविता पिता बिरज पता सा. देह भूमि स्वामी	338	0.433	0.433
		339	0.660	0.660
		341	0.559	0.559
		343	3.533	2.633
		344	2.829	0.300
4	नैपाल व. फुलसिंग बटनी बे. फुलसिंग मैना बेवा सुन्दरलाल पता सा. देह भूमि स्वामी दिनेश शिवकांत संतोष व. सुन्दरलाल रेखा उर्फ बुरी पिता सुन्दरलाल जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	342	3.112	2.512
5	मुन्ना बेवा झुलन धांधु अनिल सतीष व. झुलनकंला भोली इमला पिता झुलन कारसिंग मुन्नालाल व. भोंदू रक्खा बे. भोंदू सुनिता पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अनिता सरिता पिता भोंदू सुखराम व. सुकलू गोधा राधा तानी रामप्यारी पिता खुडलू समलो बे. पुन्नू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी चेपा किशोरीलाल व. पुन्नू रामकली पिता फुन्दू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	349	2.266	2.266
		355	1.408	0.550
6	हनपत व. धना पता सा. देह भूमिस्वामी	350	1.789	1.789
		352	0.283	0.283
		356	5.585	0.880
7	गणेश घुड़न व. पन्ना कमला ईमला कपूरा द्वारका पिता पन्ना जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	351/2	0.364	0.364
8	कलसिया जौ. सुखराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	354	0.384	0.384

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
9	आल्हा लखन व. देवाजी अम्बा सुमिता पिता देवाजी बलराम गौतम व. भभूत सुलाचना इन्दिरा पिता भभूत आनन्दराव व. केशो माहो सकुन पिता केशो कमला पिता श्यामलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	359	2.104	2.104
10	चिरोजी पुरन बाबुलाल व. श्यामलाल तुरसी परसादो पिता श्यामलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	523/1	0.405	0.285
11	राजेन्द्र सिंह व. चन्द्रचुड़ सिंह जाति राजपूत पता सा. देह भूमिस्वामी	523/3	1.619	0.622
12	बलीराम युवराज व. रामाकंला कलस पिता रामा भगदू व. गिरधारी सुखदेव शंकर व. तुन्नू जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	360	0.077	0.077
13	गुन्ता, रामप्यारी, निर्मला, सुधा, प्रेमलता, सुनिता, मिरू, झामो पिता किशन राजकुमार, दिनेश वल्द श्रीराम, मुन्नी कमलेश पिता श्रीराम पंवार सा. बरई	317	0.656	0.446
14	शिवलाल वल्द ढोंडू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	316/14	0.227	0.227
15	धुड़िया उर्फ साहेबलाल व. खुशयाल जाति पंवार पता सा. देह. भूमि स्वामी	323/2	0.481	0.330
		361/2	0.418	0.200
		362/2	0.805	0.805

16	मनीष व. नन्दलाल कायस्थ पता सा. तिरुपति नगर महाराष्ट्र भूमि स्वामी	323/1	0.482	0.382
17	आल्हा व. देवाजी जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी	322/1	0.141	0.050
		521/1	0.021	0.021
18	नान्ही जौ. बाबुलाल जाति पंवार पता सा. चन्दोराखुर्द भूमि स्वामी	322/2	0.709	0.200
		359/2	0.500	0.500
		521/2	0.100	0.100
19	अनिल, मुकेश वल्द साहेबलाल पंवार	362/1	0.809	0.406
कुल योग			35.058	22.087

1- चूंकि ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 9 अ-82-2017-18-4472.

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	मुचगोहान	11-446	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक-2 बैतूल	चोरनी-मोरनी जलाशय हेतु

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	संतोष सन्जु सम्पत व. मुन्नालाल जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी	106/1	0.164	0.060
		103/2	1.416	0.146
2	मंगू बीरालाल जाति गोंड पता सा.देह भूमि स्वामी	106/2	0.200	0.160
		103/7	0.324	0.324
3	भोन्दू व. दल्लू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व	91/2	0.053	0.026
		93/1	0.214	0.145
		93/3	0.460	0.311
4	भोजू व. दल्लू जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी भू-राजस्व	91/1	0.052	0.026
		93/2	0.214	0.145
		93/4	0.460	0.428
5	छतरसिंग बल्द रायजू जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी भू-राजस्व	101/1	0.202	0.202
		101/10	0.700	0.243
6	रत्नी रत्नारजना पुत्री रायजू जंगला व. रंगलाल, रामेश्वर, रामापुत्री विसन जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व	101/2	0.809	0.609

7	रतन व. रायजू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व	101/3	0.202	0.202
8	छतन बल्द रायजू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व	101/4	0.203	0.203
9	सुरजू बल्द रायजू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	101/6	0.202	0.202
		101/8	0.889	0.889
10	रन्नू बे. मदन, चुन्नीलाल, मुन्ना, मुन्नीलाल बल्द मदन सुखवंती पुत्री मदन जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी भू-राजस्व	102/15	0.211	0.094
		102/5	0.324	0.040
11	गेन्दलाल बल्द जिन्दू जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी भू राजस्व	200/1	0.048	0.048
		200/2	0.053	0.053
		102/16	0.186	0.060
		102/6	0.081	0.081
		102/2	1.214	0.050
12	मंगली बे. भैयालाल दामू बल्द भैयालाल फागू बे. देलू मुकचन्द सुगदा, सिलमा कम्मरभा व. देलू जाति गोंड पता सा.दिवानचारसी भूमिस्वामी भू-राजस्व	96	0.194	0.194
		98	3.197	1.011
		100	0.364	0.264
13	पूजा व. मदन ना.बा. बली पिता मदन व. जौहरी जाति गोंड पता सा.सोनाघाटी भूमिस्वामी भू-राजस्व	99/1	0.926	0.194
14	जगो जौ. रामप्रसाद जाति गोंड पता निवासी नायक चारसी भूमिस्वामी भू-राजस्व	99/2	1.851	0.930
15	मंगू बेवा झिंगू हिरदे, सिल्लू बल्द, झिंगू सरस्वती, टूबा प्रेमती पिता झिंगू मिंजू व. नान्हरामा रामलाल बल्द सायबू जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	103/5	0.457	0.457
		103/6	0.462	0.462
16	झिंगू शंकर मुन्नी व. नन्दा मिथलो बे. नन्दा जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	102/7	0.073	0.073
		102/17	0.657	0.120
		102/10	0.357	0.357
17	चिक्कू बल्द जिन्दू जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	102/18	0.648	0.040
		102/8	0.081	0.081
		102/11	0.081	0.081
18	रमला पुत्री हीरालाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	103/8	0.320	0.320
		103/17	0.181	0.181
		103/20	0.143	0.143

19	सम्मो जौ. मंगू जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी भू-राजस्व	105/1	0.919	0.250
20	सोनी बेवा गेन्दसिंग, पारवती पुत्री गेन्दसिंग, गेंदलाल, पवन, चिक्कू बल्द जिन्दू झिंगू शंकर, मुन्नी, रवि बल्द नन्दा, मिड़ते वे. नन्दा जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी	102/9	0.389	0.348
		102/12	0.226	0.100
21	रामा, रामलाल बल्द सायबू, मिंजू बल्द नान्हू, मौली, कोहली, गौरी, नान्ही पिता सायबू मंगो बे. जंगू हिरदे, सिल्लू बल्द जंगू भूमिस्वामी सरवन्ती टूब्बा प्रेमति पिता जंगू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	103/9	0.121	0.121
		103/10	0.122	0.122
		103/11	0.222	0.222
22	सिंगो व. हीरालाल जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी	103/15	0.101	0.101
		103/19	0.143	0.143
23	ढिमरे व. हीरालाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व	103/16	0.283	0.283
		103/18	0.101	0.101
महायोग:-			21-256	11.446

- 1- चूंकि चोरनी- मोरनी लघू(स्टोरेज) जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 11 अ-82-2017-18-4473.

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	नायक चारसी	13-916	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक-2 बैतूल	चोरनी-मोरनी जलाशय हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हे० में	अर्जित भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	मदारी बल्द मलजी जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी भू-राजस्व	1	4.419	2.149
		26	3.749	0.137
2	दामू बल्द भैयालाल फागू बे. दैयलू मुलचन्द बल्द दयलू जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी	2/1	3.014	0.485
3	सुनील, राकेश बल्द बालकिशन शर्मा जाति ब्राम्हण पता निवासी गांधी वार्ड बैतूल भू०स्वा०	5/2	3.400	0.963
4	कल्लू बल्द मुन्नी जाति ब्राम्हण पता सा. कोलगांव भूमिस्वामी	11/1	2.670	2.670
		36/1	0.809	0.809
5	जगदीश बल्द चुन्नीलाल, प्रमिला, विमला पिता चुन्नीलाल पवन, आकाश बल्द रविप्रसाद जाति ब्राम्हण पता निवासी कोलगांव	11/2	0.809	0.364
		36/2	0.214	0.214
6	काशीप्रसाद, नर्मदाप्रसाद, सरस्वती, दुर्गा, शशी पुत्री गयाप्रसाद ताप्तिप्रसाद बल्द गयाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता सा. कोलगांव भूमि स्वामी भू-राजस्व	11/3	4.875	1.132
		36/3	0.397	0.397
7	जयराम बल्द गुजाबराव जाति कुन्बी पता सा. कोलगांव भूमिस्वामी	12/6	0.874	0.145
8	भीमराव, भाउराव बल्द विनायकराव जाति मराठा पता सा. कोलगांव भूमिस्वामी	17/2	2.006	0.040

9	अनिता पिता दिनकरराव जाति मराठा पता सा. भूमिस्वामी	56/1	4.300	0.202
10	निशा पिता दिनकरराव जाति मराठा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	56/2	4.300	0.203
11	कला. वे. मौजीलाल, खुशरतन, जुगल बल्द मौजीलाल जाति नाई पता सा. कोलगाव भूमिस्वामी	37	1.619	0.140
12	रजन बल्द मल्ली जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	35/5	0.482	0.093
13	गंजन बल्द मल्ली गोंड जाति गोंड पता ग्राम निवासी भूमिस्वामी	35/4	0.482	0.081
14	फगना, नोखेलाल, जग्गू, संजू, अर्जून बल्द मगरसिंह रंजना बल्द वे. मगरसिंह नरमदी कला, शांता पिता मगरसिंह जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	35/3	0.964	0.121
15	चिंधू बल्द पुरन जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	35/2	0.483	0.068
16	ढोडी, जीमों, मुन्नी, गुनी पिता मोहना, भूता, रामलाल सुखनंदन बल्द गेंदलाल, गीता, रीता पिता गेंदलाल जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	35/1	0.483	0.072
17	सुकड़ी जौ रिदा मालिया बे.सोमलाल चिंधी जौ. बालचंद बिंदी जौ. बलीराम विदिया जौ. रंगू जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी	32/1	3.332	0.081
18	चिंधी जौ. बालचंद बिंदी जौ. बलीराम बिंदिया जौ. रंगू जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	32/2	3.332	0.331
19	सददू बल्द पांडू, झीटों, गुन्ना पिता पांडू जाति गोंड पता सा. मुचगोहान भूमिस्वामी	24	1.676	1.676
20	कुंवरलाल, गोरेलाल ब. श्यामलाल जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	23/2	1.604	0.510
21	दशरथ बल्द राधेलाल जाति मेहरा पता सा. सेवाखातेदार ग्राम नौकर भू-राजस्व	22/2	2.300	0.833
महायोग:-			52.593	13.916

1- चूंकि चोरनी- मोरनी लघू(स्टोरेज) जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 10 अ-82-2017-18-4474.

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	चुरनी	1-654	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक-2 बैतूल	चोरनी-मोरनी जलाशय हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

सं०क्र०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	दिन्धू लूट, हरिराम बल्द डोन्डू ढिमरे पुत्री डोन्डू फगनी समिया बल्द जुगन जाति गोंड पता:- सा. देह भूमिस्वामी भू-राजस्व	178	0.170	0.170
2	टारजन बल्द जुगन जाति गोंड पता:- सा. देह भूमिस्वामी	179	0.247	0.065
3	कुण्डल बल्द फिरतू जाति गोंड पता:- सा.देह भूमिस्वामी	173/1	0.809	0.226
4	मंगलू बल्द फिरतू जाति गोंड पता:- सा.देह भूमिस्वामी भू-राजस्व	173/2	1.287	0.518
5	रामजी बल्द भोन्डू जाति गोंड पता:- सा. मुचगोहान भूमिस्वामी भू-राजस्व	173/3	0.354	0.175
6	कुजीलाल बल्द भोन्डू जाति गोंड पता:- सा.मुचगोहान भूमिस्वामी	173/4	0.454	0.180
7	तुलाराम बल्द भोन्डू जाति गोंड पता:- निवासी ग्राम भूमिस्वामी	173/5	0.462	0.040
8	सुन्दरलाल, संती व. नजरसिंह रमौता मंगरू अमरसिंह बंसीलाल बल्द सूरतलाल जाति गोंड पता:- सा.देह भूमिस्वामी	175/18	1.619	0.280
	महायोग:-	-	5.402	1.654

1- चूंकि चोरनी- मोरनी लघु(स्टोरेज) जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 28 अ-82-2017-18-4475.

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	पौनी	3.719	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल	पारसडोह उद्वह सिंचाई परियोजना मध्यम सिंचाई

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना की निजी भूमि प्रभावित होने से				
क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	सेवाराम व० बारक्या ग्राम कोटवार सा.देह	158	1.882	1.882
2	सुरेश कुमार व० बाजेराव , कौतिका, कौसू सुशिला पिता बाजेराव मीरा बेवा पंढरी महेश नारायण, कमलनारायण व. पंढरी सरोज, उमा, सुषमा, रमा, समा पिता पंढरी जाति कुंबी सा.देह	174/1	0.086	0.086
		171/3	0.304	0.061
3	धनराज, मेघराज व० लक्ष्मण, चिंधी, इंद्रकला पिता लक्ष्मण जगदीश व. नेमीचंद जाति भोयर सा.देह	185/2	0.779	0.220

4	गया उर्फ गिरजा बेवा घुस्या, ऐनू कासू पिता घुस्या, उकंड्या व0 देवराव, मुकिन्दराव, महादेव व. राघव इमला पिता राघव पंजाबराव व. शिवराम निवासी ग्राम गौना	161	8.749	0.480
		175	2.934	0.840
5	लक्ष्मण पिता भैया भागरती पति माधो पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	148	0.668	0.150
	योग	7	15.402	3.719

- 1- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 2- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 3- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 21 मार्च 2018

क्र. 1179-भू-अर्जन-2017-18-कले. प्र. क्र.-13-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में घेगांव बैराज योजना अन्तर्गत, ग्राम घेगांव, तहसील वरला, जिला बड़वानी की निजी भूमि की आवश्यकता होने से वर्णित भूमि जिसका कृषकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची—1

भूमि का वर्णन—

जिला—बड़वानी

तहसील—वरला

ग्राम—घेगांव

प्रभावित रकबा—सिंचित 0.545 हेक्टेयर, असिंचित 0.048 हेक्टेयर कुल रकबा—0.593 हेक्टेयर.

स. क्रमांक	ग्राम का नाम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर में व कुल रकबा	परिसम्पत्तियों का विवरण	
			निजी परिसम्पत्तियों	शासकीय परिसम्पत्तियों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	घेगांव	0.593	करंजा-33 पलास-34 साजड-20 टेमरू-02 नीम-01 बेलपत्र-01 सागवन-29 ओक (फाफडा)-01 बेर-01 महुआ-01 सीताफल-03	निरंक

अनुसूची—2

अ. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा		कुल	अर्जित परिसम्पत्तियों
				सिंचित	असिंचित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	निर्मलकुमार पिता मांगीलाल जैन निवासी-बलवाड़ी.	104/3 106	0.566 0.445	0.405 0.140	- -	0.405 0.140	करंजा-33 पलास-34 साजड-20 टेमरू-02 नीम-01 बेलपत्र-01 सागवन-29 ओक (फाफडा)-01 बेर-01 महुआ-01 सीताफल-03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	राजेन्द्र, सुशील, सुनिल, प्रदीप मनोजकुमार पिता इन्द्रबहादुर, रामजीबाई बेवा इन्द्रबहादुर कायस्थ निवासी-बलवाडी.	104/2	2.460	-	0.048	0.048	निरंक
		योग . . .	-	3.471	0.545	0.048	0.593

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैं—घेगॉव बैराज योजना हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय जिला बड़वानी, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, बड़वानी एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) संधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 मार्च 2018

पत्र क्र. 94-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	माड़ो (दादर)	1.311	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.(भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा (म. प्र.).	अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.

- (2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 95-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	अल्हवाकला	0.331	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा (म. प्र.).	अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.

- (2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 96-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) रीवा	(2) हनुमना	(3) माड़ौ (पांचौ)	(4) 0.372	(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा (म. प्र.).	(6) अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 97-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) रीवा	(2) हनुमना	(3) अल्हवाखुर्द	(4) 1.074	(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा (म. प्र.).	(6) अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 98-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) रीवा	(2) हनुमना	(3) फुलझारिया	(4) 0.942	(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा (म. प्र.).	(6) अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 99-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) रीवा	(2) हनुमना	(3) लासा	(4) 2.718	(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.(भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा (म. प्र.).	(6) अल्हवा से लासा पहुँच मार्ग के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 19 अप्रैल 2018

पत्र क्र. 142-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) रीवा	(2) गुढ़	(3) रामनगर पहाड़	(4) 0.860	(5) जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी रीवा, (म. प्र.).	(6) रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना गुढ़ की यूनिट 02 की 33 किलोवाट आंतरिक संप्रेषण लाईन एवं सड़क निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ एवं जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 31 मार्च 2018

पत्र क्र. 716-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	बहेरा-350	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 10 के नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 718-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	धुचियारी-150	1.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 10 के नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 720-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	बेला-394	2.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 722-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मदरी-440	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 724-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	सिसवा-546	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	डगडगपुर वितरक के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 726-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के बेला वितरक के माइनर नं. 28 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण जिला				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाधेलान	झण्ड	0.800	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना (म. प्र.)	बेला वितरक के माइनर नं. 28 के नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 728-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	ताला	6.000	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बेला वितरक के माइनर क्र. 4, 5 एवं 6 के नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 730-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक के माइनर क्र. 4 नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	कोतर	3.500	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.)	बेला वितरक के माइनर क्र. 4, के नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 732-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के बेला वितरक के नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	रूहिया	6.500	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 जिला सतना, म. प्र.	बेला वितरक के नहर निर्माण हेतु.

पत्र क्र. 734-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर के बेला वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बेला	10.500	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, जिला सतना, (म. प्र.).	बेला वितरक के नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्र. 25-2018-एलए.—महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन, द्वारा पत्र क्रमांक-एनटीपीसी-2018-8228, दिनांक 05-03-2018 द्वारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा, डालची में स्थापित की जा रही (660x2) मेगावाट की वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ निर्माण हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ) धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं डॉ. एम.के. अग्रवाल, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

अ. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	टप्पा-मांधाता तहसील-पुनासा.	11	खेड़ी बुजुर्ग	0.813	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ निर्माण हेतु.
योग . .					0.813	

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 25-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	टप्पा-मांधाता तहसील पुनासा.	खेड़ी बुजुर्ग	0.813	महाप्रबंधक (परियोजना) एनटीपीसी, खरगोन.	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल्वे पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत. ग्राम—खेड़ी बुजुर्ग की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
42/1, 42/7, 73/1, 42/3, 16/1, 40/1, 41/1	0.813
	योग . . 0.813

नोट.—(1) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा एवं महाप्रबंधक, परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 10 अप्रैल 2018

क्र. 1798-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील- लखनादौन रा.नि.म.- लखनादौन.	बाँदरा प.ह.नं.-99	40.17	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सिवनी, जिला सिवनी.	बांदरा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सिवनी जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.

क्र. 1799-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील- लखनादौन रा.नि.मं.- लखनादौन.	गुदर्रा प.ह.नं.-99	0.92	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी.	बांदरा जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.

क्र. 1800-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील- लखनादौन रा.नि.मं.- लखनादौन.	सेलुआ प.ह.नं.-99	16.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी.	बांदरा जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सिवनी, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.

क्र. 1802-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील- लखनादौन रा.नि.मं.- लखनादौन.	भैसनवाही प.ह.नं.-99	1.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी.	बांदरा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.

क्र. 1803-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील- लखनादौन रा.नि.मं.- लखनादौन.	बाम्हनवाड़ा प.ह.नं.-110	1.98	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी.	बांदरा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.

क्र. 1804-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील- लखनादौन रा.नि.मं.- लखनादौन.	बरेला प.ह.नं.-99	22.74	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी.	बांदरा जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 26 मार्च 2018

प्र. क्र. 10-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—जखारा
(घ) क्षेत्रफल—0.346 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1684/1मिन 2	0.115
1689/2	0.015
1684/1 मिन 1	0.036
1689/1	0.019
1684/1 मिन 1	0.131
1689/3	0.030

योग . . . 0.346

- (2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/1 आर मायनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 7 अप्रैल 2018

प्र. क्र. 11-अ-82-18-19-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—पारसेन
(घ) क्षेत्रफल—0.071 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3287/1 मिन 4	0.025
699/2	0.046

योग . . . 0.071

- (2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्र.-भू-अर्जन-43(अ-82)2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—		57/2	0.540
(क) जिला—डिण्डौरी		213	0.470
(ख) तहसील—डिण्डौरी		51	2.000
(ग) ग्राम—जाडासुरंग माल, प.ह.नं. 222, रा.नि.मं.-बम्हनी.		52	2.000
(घ) लगभग क्षेत्रफल—95.016 हेक्टेयर,		53	2.000
खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु	193	1.430
	प्रस्तावित रकबा	172	0.230
	(हे. में)	176	0.400
(1)	(2)	185	0.440
211/1	0.240	244	0.230
211/2	0.240	175	0.280
206	0.370	243	0.230
207	0.400	74/1	0.620
190	0.400	67	0.228
208	0.430	224	0.245
231/1	0.140	68	0.214
201	0.390	225	0.325
356	0.180	60	0.160
238	0.710	65	0.000
192	0.320	234	1.320
198	0.410	171	0.230
182/1	0.150	177	0.300
203/1	0.300	178	0.000
241	0.850	248	0.130
180	0.300	347	0.200
226/3	0.280	253	0.380
226/5	0.280	57/1	0.540
218	0.990	228	0.580
203/2	0.300	216/2	0.530
220	0.400	227/2	0.000
221	0.590	212	1.100
197	1.410	223	0.760
173	0.250	229	0.320
245	0.320	202	2.690
187	1.570	184	1.190
74/2	0.250	247	1.190
304/2	0.212	170	1.240
470/2	0.012	191	0.530
573/2	0.028	204	5.220
724/3	0.178	254	0.890
724/4	0.114	183	0.950
58	0.130	217	1.610
57/3	0.540	236	1.160

(1)	(2)
237	1.260
249	0.790
66	0.000
181	0.710
195	1.260
219	1.200
210	4.680
348	0.400
239	2.950
242	0.470
56	3.280
216	1.060
216/1	0.530
227/1	0.000
335	0.000
निजी भूमि . .	<u>67.376</u>
शासकीय . .	<u>27.64</u>
योग . .	<u>95.016</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डिण्डौर मध्यम परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौर कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 9 अप्रैल 2018

प्र. क्र. 548-रीडर-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुशी

(ग) ग्राम का नाम—अमलाबावड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.442 हेक्टर.

खसरा अर्जन का क्षेत्रफल
नम्बर (हे. में)

(1) (2)

8/1 0.442

योग . . 0.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—सरदार सरोवर परियोजना हेतु पुनर्बासाहट में भूमि आने के कारण.

(3) भूमि के नक्शे का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुशी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न. घा. वि. प्रा. मान जोबट संभाग कुशी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना कुशी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 9 अप्रैल 2018

प्र. क्र. 013-अ-82-वर्ष-2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समाप्ति में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—भापतपुर कुर्मियान, प.ह.नं. 004
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.736 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			
849	0.040	निजी भूमि	787/1/5	0.040	निजी भूमि
850/4	0.200	निजी भूमि	787/1/6	0.040	निजी भूमि
850/5	0.220	निजी भूमि	787/1/7	0.060	निजी भूमि
855	0.460	निजी भूमि	787/1/8	0.040	निजी भूमि
883/2	0.350	निजी भूमि	787/2/1	0.280	निजी भूमि
856	0.005	निजी भूमि	787/2/2	0.060	निजी भूमि
862/2	0.004	निजी भूमि	787/2/3	0.030	निजी भूमि
863/1	0.170	निजी भूमि	787/2/4	0.020	निजी भूमि
883/1	0.570	निजी भूमि	787/2/5	0.060	निजी भूमि
863/2	0.460	निजी भूमि	787/2/6	0.020	निजी भूमि
864	0.290	निजी भूमि	787/2/7	0.030	निजी भूमि
868	0.216	निजी भूमि	788	0.154	निजी भूमि
883/3	0.150	निजी भूमि	176	0.716	निजी भूमि
1483/881	0.206	निजी भूमि	790/1	0.742	निजी भूमि
880	0.040	निजी भूमि	790/2	0.030	निजी भूमि
879/1	0.206	निजी भूमि	790/3	0.030	निजी भूमि
879/2	0.280	निजी भूमि	790/4	0.030	निजी भूमि
878/1	0.130	निजी भूमि	177	0.055	निजी भूमि
878/2	0.080	निजी भूमि	175	0.712	निजी भूमि
870	0.030	निजी भूमि	178	0.112	निजी भूमि
869	0.150	निजी भूमि	174	0.410	निजी भूमि
875	0.905	निजी भूमि	117	0.257	निजी भूमि
873/2	0.185	निजी भूमि	118	0.296	निजी भूमि
828/1	0.100	निजी भूमि	162/1/1/क	0.356	निजी भूमि
828/2	0.100	निजी भूमि	162/2	0.080	निजी भूमि
827	0.490	निजी भूमि	162/3	0.080	निजी भूमि
805	0.630	निजी भूमि	162/1/2	0.010	निजी भूमि
802	0.030	निजी भूमि	162/1/3	0.010	निजी भूमि
810/1	0.990	निजी भूमि	162/1/4	0.040	निजी भूमि
810/2/1	0.390	निजी भूमि	162/1/5	0.010	निजी भूमि
810/2/2	0.060	निजी भूमि	162/1/6	0.030	निजी भूमि
804/1	0.510	निजी भूमि	162/1/7	0.010	निजी भूमि
804/2	0.570	निजी भूमि	162/1/8	0.020	निजी भूमि
787/1/1	0.154	निजी भूमि	162/1/9	0.010	निजी भूमि
787/1/2	0.020	निजी भूमि	162/1/10	0.030	निजी भूमि
787/1/3	0.030	निजी भूमि	162/1/11	0.010	निजी भूमि
787/1/4	0.060	निजी भूमि	162/1/12	0.020	निजी भूमि
			162/1/13	0.020	निजी भूमि
			162/1/14	0.010	निजी भूमि
			162/1/15	0.010	निजी भूमि
			162/1/16	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.724 हेक्टेयर.		
			खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
162/1/17	0.020	निजी भूमि	51/1/2	0.050	निजी भूमि
162/1/18	0.030	निजी भूमि	51/1/3	0.050	निजी भूमि
162/1/20	0.030	निजी भूमि	51/1/5	0.050	निजी भूमि
162/1/19/2	0.010	निजी भूमि	51/1/7	0.050	निजी भूमि
162/1/1/ख	0.020	निजी भूमि	51/1/9	0.050	निजी भूमि
162/1/1/ग	0.010	निजी भूमि	51/2	0.100	निजी भूमि
162/1/1/घ	0.010	निजी भूमि	52/1/ख/1/1/1	0.390	निजी भूमि
171	0.040	निजी भूमि	97/1	0.042	निजी भूमि
172	0.095	निजी भूमि	97/2	0.060	निजी भूमि
कुल अर्जित रकबा :	<u>14.736</u>		97/3	0.060	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.			52/1/ख/1/1/2	0.010	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.			52/1/ख/1/2	0.020	निजी भूमि
			52/1/ख/1/3	0.020	निजी भूमि
			52/1/ख/1/4	0.020	निजी भूमि
			52/1/ख/2	0.030	निजी भूमि
			51/1/ख/3	0.030	निजी भूमि
			52/2/क/1/1	0.230	निजी भूमि
			52/2/क/1/2	0.100	निजी भूमि
			52/2/क/2	0.040	निजी भूमि
			52/2/क/3	0.020	निजी भूमि
			52/2/ख	0.060	निजी भूमि
			53	0.100	निजी भूमि
			49/1/1/1/1	0.130	निजी भूमि
			48	0.130	निजी भूमि
			46/1	0.040	निजी भूमि
			49/1/1/1/2	0.020	निजी भूमि
			49/1/1/1/3	0.020	निजी भूमि
			49/1/1/2	0.010	निजी भूमि
			49/1/2	0.010	निजी भूमि
			49/1/3	0.010	निजी भूमि
			49/1/4	0.010	निजी भूमि
			49/2/1/1	0.290	निजी भूमि
			46/2	0.090	निजी भूमि
			49/2/1/2	0.010	निजी भूमि
			49/2/1/3	0.020	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			49/2/1/4	0.020	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			49/2/1/5	0.020	निजी भूमि
(ख) तहसील—अजयगढ़					
(ग) ग्राम—सबदुआ, प.ह.नं. 011					

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
49/2/2	0.010	निजी भूमि	717/4/2	0.040	निजी भूमि
49/2/3	0.020	निजी भूमि	717/4/3	0.040	निजी भूमि
49/2/4	0.020	निजी भूमि	717/5	0.100	निजी भूमि
49/2/5	0.010	निजी भूमि	717/6	0.020	निजी भूमि
49/2/6	0.020	निजी भूमि	714	0.018	निजी भूमि
49/2/7	0.020	निजी भूमि	716	0.520	निजी भूमि
49/2/8	0.010	निजी भूमि	715/1/2	0.060	निजी भूमि
49/2/9	0.010	निजी भूमि	715/1/3	0.060	निजी भूमि
49/2/10	0.020	निजी भूमि	715/2	0.120	निजी भूमि
49/2/11	0.020	निजी भूमि	715/3	0.120	निजी भूमि
49/2/12	0.020	निजी भूमि	711	0.013	निजी भूमि
49/2/13	0.010	निजी भूमि	709/1/1	0.220	निजी भूमि
50/1	0.240	निजी भूमि	709/1/2	0.020	निजी भूमि
50/2	0.030	निजी भूमि	709/1/3	0.020	निजी भूमि
42/1	0.070	निजी भूमि	709/1/4	0.020	निजी भूमि
42/2	0.060	निजी भूमि	709/2/1	0.240	निजी भूमि
42/3	0.060	निजी भूमि	709/2/2	0.010	निजी भूमि
41/1/क/1	0.800	निजी भूमि	709/2/3	0.010	निजी भूमि
41/1/क/2	0.060	निजी भूमि	709/2/4	0.010	निजी भूमि
41/1/क/3	0.060	निजी भूमि	709/2/5	0.010	निजी भूमि
41/1/क/4	0.030	निजी भूमि	709/3	0.280	निजी भूमि
41/1/ख	0.060	निजी भूमि	694	0.184	निजी भूमि
41/3	0.040	निजी भूमि	696/1	0.140	निजी भूमि
22	0.600	निजी भूमि	697	0.260	निजी भूमि
453	0.340	निजी भूमि	698	0.150	निजी भूमि
719	0.031	निजी भूमि	700	0.110	निजी भूमि
724	0.004	निजी भूमि	718	0.020	निजी भूमि
720/1	0.236	निजी भूमि	695/1	0.136	निजी भूमि
720/2	0.060	निजी भूमि	695/2	0.040	निजी भूमि
720/3	0.060	निजी भूमि	695/3	0.040	निजी भूमि
720/4	0.060	निजी भूमि	696/2	0.020	निजी भूमि
720/5	0.060	निजी भूमि	696/3	0.020	निजी भूमि
720/1235	0.460	निजी भूमि	696/4	0.020	निजी भूमि
721	0.135	निजी भूमि	699/1	0.040	निजी भूमि
717/3/ख	0.010	निजी भूमि	699/2	0.040	निजी भूमि
717/3/ग	0.010	निजी भूमि	699/3	0.040	निजी भूमि
717/2/क	0.290	निजी भूमि	699/4	0.040	निजी भूमि
717/2/ख	0.100	निजी भूमि	699/5	0.050	निजी भूमि
717/1	0.750	निजी भूमि	703	0.090	निजी भूमि
717/4/1	0.030	निजी भूमि	702	0.030	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
701	0.380	निजी भूमि	134	0.180	निजी भूमि
1233/700/1/1	0.120	निजी भूमि	135/1	0.810	निजी भूमि
1233/700/1/2	0.010	निजी भूमि	135/2	0.040	निजी भूमि
1233/700/1/3	0.010	निजी भूमि	1232/716/2/ख	0.010	निजी भूमि
1233/700/1/4	0.010	निजी भूमि	454/1	0.080	निजी भूमि
1233/700/2	0.030	निजी भूमि	454/2	0.400	निजी भूमि
78	0.040	निजी भूमि	454/4/क	0.180	निजी भूमि
91	1.658	निजी भूमि	454/4/ग	0.060	निजी भूमि
92/1222	0.192	निजी भूमि	454/4/ख	0.060	निजी भूमि
92	0.210	निजी भूमि	454/4/घ	0.060	निजी भूमि
94	0.359	निजी भूमि	454/4/ङ	0.060	निजी भूमि
95	0.050	निजी भूमि	454/4/च	0.060	निजी भूमि
96	0.308	निजी भूमि	1232/716/1/च	0.010	निजी भूमि
98	0.036	निजी भूमि	1232/716/1/ङ	0.010	निजी भूमि
93/1	0.400	निजी भूमि	1232/716/1/घ	0.010	निजी भूमि
93/2/क/1	0.100	निजी भूमि	1232/716/1/ग	0.010	निजी भूमि
93/2/क/2	0.040	निजी भूमि	1232/716/1/ख	0.010	निजी भूमि
93/2/क/3	0.040	निजी भूमि	1232/716/1/क/8	0.010	निजी भूमि
93/2/ख/1	0.010	निजी भूमि	1232/716/1/क/7	0.010	निजी भूमि
93/2/ख/2	0.030	निजी भूमि	1232/716/1/क/6	0.010	निजी भूमि
93/2/ग	0.040	निजी भूमि	1232/716/1/क/5	0.010	निजी भूमि
93/2/घ	0.040	निजी भूमि	1232/716/1/क/4	0.010	निजी भूमि
90	0.303	निजी भूमि	1232/716/1/क/3	0.010	निजी भूमि
81/1	0.062	निजी भूमि	1232/716/1/क/2	0.010	निजी भूमि
81/2	0.050	निजी भूमि	1232/716/1/क/1/1	0.010	निजी भूमि
80	0.066	निजी भूमि	1232/716/1/क/1/3	0.010	निजी भूमि
104/1	0.020	निजी भूमि	1232/716/2/क/2	0.010	निजी भूमि
105/1/क	0.490	निजी भूमि	1232/716/2/क/1/6	0.010	निजी भूमि
104/2	0.021	निजी भूमि	1232/716/2/क/1/5	0.010	निजी भूमि
105/2/क	0.300	निजी भूमि	1232/716/2/क/1/4	0.010	निजी भूमि
103/2	0.300	निजी भूमि	1232/716/2/क/1/3	0.010	निजी भूमि
105/2/ख	0.020	निजी भूमि	1232/716/2/क/1/2	0.010	निजी भूमि
105/1/ख	0.020	निजी भूमि	1232/716/2/क/1/1/च	0.010	निजी भूमि
105/1/ग	0.020	निजी भूमि	1232/716/2/क/1/1/ङ	0.010	निजी भूमि
132/1	0.650	निजी भूमि	1232/716/2/क/1/1/घ	0.010	निजी भूमि
132/6	0.070	निजी भूमि	1232/716/2/क/1/1/ग	0.010	निजी भूमि
132/2	0.070	निजी भूमि	1232/716/2/क/1/1/ख	0.010	निजी भूमि
132/3	0.070	निजी भूमि	1232/716/2/क/1/1/क/	0.010	निजी भूमि
132/4	0.070	निजी भूमि	1/1/1/1		
132/5	0.070	निजी भूमि	1232/716/3/ङ	0.020	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
1232/716/3/घ	0.020	निजी भूमि
1232/716/3/ग/3	0.020	निजी भूमि
1232/716/3/ग	0.020	निजी भूमि
1232/716/3/ख/2	0.020	निजी भूमि
1232/716/3/ख	0.020	निजी भूमि
1232/716/3/क/1/2	0.010	निजी भूमि
1232/716/3/क/1/1/2	0.010	निजी भूमि
1232/716/4/ङ	0.020	निजी भूमि
1232/716/4/घ	0.020	निजी भूमि
1232/716/4/ग	0.020	निजी भूमि
1232/716/4/ख	0.020	निजी भूमि
1232/716/4/क/2	0.020	निजी भूमि
1232/716/4/क/1/3	0.010	निजी भूमि
1232/716/4/क/1/2	0.010	निजी भूमि
1232/716/4/क/1/1/2	0.020	निजी भूमि
451/1	0.080	निजी भूमि
451/2	0.060	निजी भूमि
451/3	0.060	निजी भूमि
451/4	0.060	निजी भूमि
451/5	0.210	निजी भूमि
451/6	0.100	निजी भूमि
451/7	0.010	निजी भूमि
451/8	0.010	निजी भूमि
451/9	0.010	निजी भूमि
451/10	0.010	निजी भूमि
451/11	0.010	निजी भूमि
451/12	0.010	निजी भूमि
कुल अर्जित रकबा :	20.724	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 017-अ-82-वर्ष-2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता

नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—मझगाँव, प.ह.नं. 015
(घ) क्षेत्रफल—29.930 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
718	0.720	निजी भूमि
719	0.060	निजी भूमि
710/1	0.450	निजी भूमि
710/2	0.460	निजी भूमि
708/1	0.010	निजी भूमि
708/2	0.230	निजी भूमि
708/3	0.350	निजी भूमि
707/1	0.450	निजी भूमि
707/2/क	0.130	निजी भूमि
707/2/ख	0.130	निजी भूमि
707/2/ग	0.130	निजी भूमि
707/3	0.440	निजी भूमि
707/4	0.220	निजी भूमि
707/5	0.400	निजी भूमि
712/1	0.140	निजी भूमि
712/2	0.130	निजी भूमि
712/3	0.130	निजी भूमि
713/1/क/1	0.040	निजी भूमि
713/1/ख	0.030	निजी भूमि
713/1/ग	0.030	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
697/1	0.400	निजी भूमि	572	0.010	निजी भूमि
697/2	0.400	निजी भूमि	570	0.180	निजी भूमि
695	0.090	निजी भूमि	571/1	0.050	निजी भूमि
647	0.260	निजी भूमि	569/1	1.170	निजी भूमि
645/4	0.060	निजी भूमि	569/2/क	0.170	निजी भूमि
650	0.850	निजी भूमि	569/2/ग	0.940	निजी भूमि
652/1/क/1/1	0.250	निजी भूमि	553/1	1.920	निजी भूमि
652/1/क/1/2	0.060	निजी भूमि	553/2	0.080	निजी भूमि
652/2/क/1/1	0.420	निजी भूमि	552	0.440	निजी भूमि
652/2/क/1/2	0.060	निजी भूमि	546/1	0.100	निजी भूमि
652/2/क/2	0.060	निजी भूमि	546/2	0.020	निजी भूमि
652/2/ख/1	0.020	निजी भूमि	546/3	0.130	निजी भूमि
652/2/ख/2	0.040	निजी भूमि	546/4	0.060	निजी भूमि
652/2/ख/3	0.040	निजी भूमि	546/5	0.280	निजी भूमि
652/2/ख/4	0.060	निजी भूमि	546/6	0.220	निजी भूमि
652/2/ख/5	0.050	निजी भूमि	546/7	0.220	निजी भूमि
652/2/ख/6	0.050	निजी भूमि	546/8	0.440	निजी भूमि
652/2/ख/7	0.050	निजी भूमि	546/9	0.220	निजी भूमि
652/2/ख/8	0.050	निजी भूमि	889	0.160	निजी भूमि
654/1	0.200	निजी भूमि	888/1	0.030	निजी भूमि
654/2/क	0.830	निजी भूमि	887/1	0.010	निजी भूमि
654/2/ख	0.020	निजी भूमि	890/1	0.570	निजी भूमि
662/1/क	0.310	निजी भूमि	890/2	0.580	निजी भूमि
662/2	0.320	निजी भूमि	891/1	0.050	निजी भूमि
655/1	0.140	निजी भूमि	527/1	0.080	निजी भूमि
655/2	0.140	निजी भूमि	528	0.040	निजी भूमि
656/2	0.820	निजी भूमि	529/1	0.010	निजी भूमि
686/1	0.160	निजी भूमि	529/2	0.010	निजी भूमि
686/2	0.170	निजी भूमि	529/3	0.010	निजी भूमि
686/3	0.170	निजी भूमि	525/1	0.010	निजी भूमि
687/1	0.530	निजी भूमि	525/2	0.020	निजी भूमि
578/1093	0.950	निजी भूमि	525/3	0.020	निजी भूमि
578	0.310	निजी भूमि	530/1	0.090	निजी भूमि
574/2	1.030	निजी भूमि	530/2	0.090	निजी भूमि
574/3	0.010	निजी भूमि	530/3	0.080	निजी भूमि
574/4/1	0.730	निजी भूमि	531	0.010	निजी भूमि
574/4/2	0.060	निजी भूमि	524	0.0650	निजी भूमि
574/4/3	0.060	निजी भूमि	526/1/क/1	0.010	निजी भूमि
574/4/4	0.060	निजी भूमि	526/1/क/2	0.010	निजी भूमि
574/5	0.140	निजी भूमि	526/1/क/3	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
526/1/ख/1	0.140	निजी भूमि
526/1/ख/2	0.130	निजी भूमि
526/1/ख/3	0.110	निजी भूमि
911/1/क/1/1	0.430	निजी भूमि
911/1/क/1/2	0.080	निजी भूमि
911/1/क/1/3	0.080	निजी भूमि
911/1/क/1/4	0.030	निजी भूमि
911/1/क/1/5	0.030	निजी भूमि
911/1/क/1/6	0.030	निजी भूमि
911/1/क/1/7	0.030	निजी भूमि
911/1/क/1/8	0.030	निजी भूमि
911/1/क/1/9	0.030	निजी भूमि
911/1/ख	0.130	निजी भूमि
911/2	0.450	निजी भूमि
911/3	0.300	निजी भूमि
520/1	0.020	निजी भूमि
912	0.060	निजी भूमि
913/1/1	0.080	निजी भूमि
913/1/2	0.060	निजी भूमि
913/1/3	0.060	निजी भूमि
913/2	0.720	निजी भूमि
519	2.000	निजी भूमि
920	0.010	निजी भूमि
538/2	0.580	निजी भूमि

कुल अर्जित रकबा : 29.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 018-अ-82-वर्ष-2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता

नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—कगरे का बारा, प.ह.नं. 016
(घ) क्षेत्रफल—12.952 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
531	0.063	निजी भूमि
532	1.124	निजी भूमि
533/1	0.060	निजी भूमि
536/1	0.056	निजी भूमि
536/2	0.050	निजी भूमि
533/2	0.060	निजी भूमि
534/2	0.035	निजी भूमि
551	0.014	निजी भूमि
549/2	0.200	निजी भूमि
550/1/क	0.660	निजी भूमि
550/1/ख	0.150	निजी भूमि
550/1/ग	0.100	निजी भूमि
550/1/घ	0.150	निजी भूमि
550/1/ङ	0.100	निजी भूमि
550/1/च	0.100	निजी भूमि
550/2	0.868	निजी भूमि
555/1/क/1	0.420	निजी भूमि
555/1/क/2	0.120	निजी भूमि
555/1/ङ	0.120	निजी भूमि
555/1/ख	0.060	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
555/1/ग	0.120	निजी भूमि	595/5	0.093	निजी भूमि
555/1/घ	0.060	निजी भूमि	592/2	0.052	निजी भूमि
555/2	0.900	निजी भूमि	586/2	0.110	निजी भूमि
555/3/क/1/1/1	0.240	निजी भूमि	587/2	0.290	निजी भूमि
555/3/क/1/1/2	0.060	निजी भूमि	588	1.610	निजी भूमि
555/3/क/1/2	0.300	निजी भूमि	589/1	0.068	निजी भूमि
555/3/क/1/3	0.300	निजी भूमि	587/1	0.120	निजी भूमि
555/3/क/2	0.020	निजी भूमि	587/3	0.054	निजी भूमि
555/3/क/3	0.020	निजी भूमि	585/1	0.062	निजी भूमि
555/3/क/4	0.020	निजी भूमि	585/2	0.062	निजी भूमि
555/3/ख	0.020	निजी भूमि	584/2	0.010	निजी भूमि
555/3/ग	0.020	निजी भूमि	584/1	0.015	निजी भूमि
555/3/घ	0.020	निजी भूमि			
590/1	0.204	निजी भूमि			
590/2	0.130	निजी भूमि			
591/1/क	0.048	निजी भूमि			
591/2	0.110	निजी भूमि			
591/1/ख	0.070	निजी भूमि			
591/1/ग	0.080	निजी भूमि			
591/1/घ	0.080	निजी भूमि			
591/1/ङ	0.070	निजी भूमि			
591/1/च	0.070	निजी भूमि			
591/1/छ	0.070	निजी भूमि			
591/1/ज	0.080	निजी भूमि			
591/1/झ	0.080	निजी भूमि			
591/1/ञ	0.070	निजी भूमि			
592/1/क	0.170	निजी भूमि			
594/1	0.010	निजी भूमि			
595/1	0.080	निजी भूमि			
592/1/ख	0.170	निजी भूमि			
594/2	0.010	निजी भूमि			
595/2	0.080	निजी भूमि			
592/1/ग	0.170	निजी भूमि			
593	1.414	निजी भूमि			
594/3	0.010	निजी भूमि			
595/3	0.070	निजी भूमि			
592/1/घ	0.170	निजी भूमि			
594/4	0.020	निजी भूमि			
595/4	0.070	निजी भूमि			
592/1/ङ	0.170	निजी भूमि			
594/5	0.020	निजी भूमि			

कुल अर्जित रकबा : 12.952

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 016-अ-82-वर्ष-2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—पड़रहा, प.ह.नं. 013
(घ) क्षेत्रफल—10.219 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
971/2	0.250	निजी भूमि
971/3/1	0.270	निजी भूमि
971/3/2	0.250	निजी भूमि
977/1	0.720	निजी भूमि
979/1	0.160	निजी भूमि
940/2	0.276	निजी भूमि
977/2	0.720	निजी भूमि
979/2	0.164	निजी भूमि
940/1	0.280	निजी भूमि
984/1	0.130	निजी भूमि
984/2	0.130	निजी भूमि
984/3	0.135	निजी भूमि
985/1/क	0.918	निजी भूमि
985/1/ख	0.918	निजी भूमि
985/2/क	1.356	निजी भूमि
985/2/ख	0.060	निजी भूमि
985/2/ग	0.060	निजी भूमि
985/2/घ	0.060	निजी भूमि
985/2/ङ	0.060	निजी भूमि
985/2/च	0.060	निजी भूमि
985/2/छ	0.060	निजी भूमि
985/2/ज	0.060	निजी भूमि
985/2/झ	0.060	निजी भूमि
985/3	1.837	निजी भूमि
1008	0.710	निजी भूमि
1009/2	0.074	निजी भूमि
1004	0.208	निजी भूमि
1006/1	0.060	निजी भूमि
1006/2	0.103	निजी भूमि
1009/1	0.070	निजी भूमि

कुल अर्जित रकबा : 10.219

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 015-अ-82-वर्ष-2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—डुंगरहो, प.ह.नं. 011
(घ) क्षेत्रफल—4.800 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
334/2	1.000	निजी भूमि
333/1	0.550	निजी भूमि
333/2	0.150	निजी भूमि
301	0.280	निजी भूमि
296	0.150	निजी भूमि
297	0.300	निजी भूमि
298	0.070	निजी भूमि
294	0.500	निजी भूमि
303	0.020	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
222/1/क	0.200	निजी भूमि
222/1/ख	0.080	निजी भूमि
222/1/ग	0.080	निजी भूमि
222/2	0.080	निजी भूमि
221	0.380	निजी भूमि
220/1	0.080	निजी भूमि
220/2	0.080	निजी भूमि
220/3	0.040	निजी भूमि
193	0.480	निजी भूमि
194	0.100	निजी भूमि
4/2	0.180	निजी भूमि

कुल अर्जित रकबा : 4.800

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
- (3)* भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 021-अ-82-वर्ष-2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—पन्ना

- (ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—माधौगंज, प.ह.नं. 019
(घ) क्षेत्रफल—1.128 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1/1/क शामिल नं. 1/3/9501	0.300	निजी भूमि
2	0.287	निजी भूमि
1/1/ख शामिल नं. 1/3/9502	0.541	निजी भूमि

कुल अर्जित रकबा : 1.128

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 020-अ-82-वर्ष-2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—बड़ीरूंध, प.ह.नं. 018
(घ) क्षेत्रफल—2.803 हेक्टेयर.

कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए
अपेक्षित है:—

अनुसूची

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
13/16/ख	0.250	निजी भूमि
13/11	0.260	निजी भूमि
13/27/क	0.255	निजी भूमि
13/26	0.500	निजी भूमि
13/27/ख	0.228	निजी भूमि
13/9/क/2	0.130	निजी भूमि
13/9/ख	0.200	निजी भूमि
13/13/क	0.120	निजी भूमि
13/7/क	0.300	निजी भूमि
13/13/ख	0.120	निजी भूमि
13/7/ख	0.300	निजी भूमि
22/2/ख	0.140	निजी भूमि

कुल अर्जित रकबा : 2.803

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 019-अ-82-वर्ष-2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—सिमराखुर्द, प.ह.नं. 017
(घ) क्षेत्रफल—3.993 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
16	0.010	निजी भूमि
14	0.438	निजी भूमि
13	0.360	निजी भूमि
12	0.364	निजी भूमि
11	0.204	निजी भूमि
10	0.536	निजी भूमि
9	0.468	निजी भूमि
8	0.409	निजी भूमि
5	0.010	निजी भूमि
6	0.070	निजी भूमि
28	0.108	निजी भूमि
38/3	0.096	निजी भूमि
41	0.170	निजी भूमि
40/229	0.388	निजी भूमि
43	0.170	निजी भूमि
7	0.192	निजी भूमि

कुल अर्जित रकबा : 3.993

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंडला, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्र. भू-अर्जन-65-(अ-82)-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6)के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंडला

(ख) तहसील—घुघरी

(ग) ग्राम—मांगा, प. ह. नं. 52

(घ) क्षेत्रफल—11.43 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

900

0.13

901

0.01

866

0.02

867

0.01

902

0.59

903

0.02

894

0.40

874

0.19

873

0.01

872

0.99

877/1

0.28

877/2

0.25

877/3

0.25

878

0.04

883

0.01

850

0.33

848

0.45

540

0.12

539

0.12

538

0.14

535

0.15

536

0.16

(1)

525

524

519

520/2

469

460

461

462

463

453

452/1

454

449

450

451

448

447

407

408

419

420

416/2

422

377

376

364

367

365

366

298

321

320

317

316/2

315

योग . . . 11.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हालोन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की

जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.	(1)	(2)
	468/3	0.06
	467/1	0.07
	467/2	0.22
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-2, मंडला में किया जा सकता है.	467/3	0.03
	467/4	0.03
	424/1	0.57
	422	0.20
क्र. भू-अर्जन-07-(अ-82)-2017-18-66.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6)के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	421/1	0.22
	398	0.27
	395	0.01
	397	0.47
	390/1	0.10
	390/2	0.10
	390/3	0.09
	390/4	0.10
	388	0.04
(1) भूमि का वर्णन—	389	0.09
(क) जिला—मंडला	385/1	0.19
(ख) तहसील—घुघरी	384/1	0.05
(ग) ग्राम—ददरगांव, प. ह. नं. 39	384/2	0.02
(घ) क्षेत्रफल—15.53 हेक्टर.	384/3	0.10
खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	384/4
(1)	(2)	381/1
505	0.30	381/2
507/504	0.04	381/3
503	0.28	382/1
502	0.11	382/2
500	0.05	382/3
496	0.56	371
521/500	0.03	367/1
498	0.42	367/2
495	0.06	369/1
490/1	0.17	369/2
490/2	0.06	160
490/3	0.17	161/1
490/4	0.05	161/2
518/490	0.19	169/1
485/2	0.30	159/1
485/3	0.24	159/2
469	0.43	159/3
468/1	0.05	129/1
468/2	0.17	129/2

(1)	(2)	क्र. भू-अर्जन-08-(अ-82)-2017-18-67.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6)के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
120	0.02	अनुसूची	
127	0.02	(1) भूमि का वर्णन—	
126	0.03	(क) जिला—मंडला	
107	0.38	(ख) तहसील—घुघरी	
97	0.53	(ग) ग्राम—बनेहरी, प. ह. नं. 48	
94	0.09	(घ) क्षेत्रफल—13.82 हेक्टर.	
93	0.35	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
6/1	0.48	(1)	(2)
6/2	0.04	517	0.15
91	0.27	519	0.01
9	0.21	509	0.33
90/1	0.24	508	0.26
90/2	0.17	507	0.29
90/4	0.15	503/1, 503/2, 503/3	0.54
88/1	0.04	502	0.23
86	0.47	501	0.16
84/1	0.10	500	0.12
84/2	0.10	497	0.17
77	0.14	496/2	0.24
78/1	0.10	481/1	0.11
78/2	0.09	481/2	0.12
76	0.39	481/3	0.08
85/2	0.01	479	0.12
74/2	0.11	477/1	0.08
74/3	0.13	477/2	0.13
70	0.33	478/1	0.05
68	0.14	478/2	0.05
66	0.01	478/3	0.05
51	0.26	478/4	0.05
158	0.01	465/1	0.09
	योग . . . 15.53	465/3	0.04
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हालोन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.	359/1	0.10
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.	359/2	0.10
(4)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-2, मंडला में किया जा सकता है.	359/3	0.10

(1)	(2)
359/4	0.09
221	0.17
226/1	0.11
226/2	0.11
226/3	0.09
229	0.52
230	0.11
232	0.19
233	0.03
213	0.17
214	0.01
211	0.42
206	0.14
207/1, 207/2	0.26
193	0.01
195	0.01
196	0.31
197	0.84
167/1	0.14
167/2	0.14
168	0.32
169	0.06
170	0.28
171	0.14
172	0.40
173	0.22
112	0.19
114	0.17
1637	0.13
115	0.58
116	0.02
103	0.45
66/1	0.06
66/2	0.07
66/3	0.06
66/4	0.06
67	0.09
68	0.21
70/2	0.01
60	0.66
61	0.04

(1)	(2)
62	0.08
15	0.24
16	0.10
19	0.05
20	0.02
17	0.02
18	0.06
10	0.02
9	0.15
5	0.10
6	0.12
7	0.10
8	0.11
24	0.24
25	0.52
26	0.03
योग . . .	
<u>13.82</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हालोन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-2, मंडला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-09-अ-82-2017-18-68.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6)के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—मंडला
- (ख) तहसील—घुघरी

- (ग) ग्राम—ग्वारा, प. ह. नं. 52
(घ) क्षेत्रफल—4.04 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
114/1	0.17
114/2	0.44
114/4	0.60
114/5	0.16
114/6	0.15
114/7	0.06
108	0.38
109/1	0.44
27	0.20
30/1	0.36
30/2	0.04
39	0.55
38	0.08
37	0.05
36	0.34
35/3	0.02
योग	4.04

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हालोल सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-2, मंडला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सूफिया फारूकी वली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 अप्रैल 2018

क्र. 4268-भू-अर्जन-2018.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—सौंसर
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-नंदेवानी, ब.नं.-210, प.ह.नं.-10, रा.नि.मं.-सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—07.021 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
293	01.109
391	0.630
293	0.938
389	01.125
376 में से	0.472
376 में से	0.380
283	01.552
391	0.815
363	आबादी भूमि पर स्थित मकान-24
371	आबादी भूमि पर स्थित मकान-29

योग . . . 07.021 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
परिसम्पत्तियां
तथा आबादी
भूमि पर स्थित
कुल मकान-
53

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोहगांव जलाशय के लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम नन्देवानी के टोले सीतापार एवं घोडकीढाना आबादी के मकान एवं वनाधिकार पट्टेधारियों की निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	(1) 2093 2094 2096/1 क	(2) 0.010 0.014 0.081
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	2096/1 ख 2096/2 2097/1 2110 2111/1	0.081 0.040 0.029 0.074 0.024
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	2111/2 2103/2 2105 2106 2927 2932/2 2933/2	0.024 0.035 0.133 0.096 0.147 0.136 0.016
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.	2952/1/क/1 2952/1/ख 2952/2 2954/1 2954/2 2955/2क 2955/2ख 2956 2957/1क 2641/1क 2641/1ख 2645 2660/1क 2660/1ख 2660/2 2666/1 2666/2 2666/3 2666/1 2666/2 2666/3	0.063 0.032 0.032 0.072 0.120 0.012 0.024 0.077 0.081 0.005 0.005 0.007 0.048 0.048 0.167 0.013 0.013 0.013 0.004 0.004 0.004
कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	2955/2क 2955/2ख 2956 2957/1क 2641/1क 2641/1ख 2645 2660/1क 2660/1ख 2660/2 2666/1 2666/2 2666/3 2666/1 2666/2 2666/3	0.012 0.024 0.077 0.081 0.005 0.005 0.007 0.048 0.048 0.167 0.013 0.013 0.013 0.004 0.004 0.004
सतना, दिनांक 23 अप्रैल 2018		
क्र. 817-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—सतना	2667/1	0.146
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान	2667/2	0.146
(ग) नगर/ग्राम—देवमऊ दलदल	2667/3	0.145
(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.003 हेक्टेयर.	2672/3	0.154
खसरा क्र.	2675	0.058
(1)	2676	0.293
2028	2977/3	0.152
2033	2678/3	0.130
2089	3078/1	0.074
2090		
2091		
2092/2		
अर्जित रकबा (हे. में)		
(2)		
0.024		
0.024		
0.010		
0.074		
0.053		
0.062		

(1)	(2)
3098/1क	0.112
3098/1ख	0.111
3139/1	0.057
3139/2	0.031
3140/1	0.056
3140/2	0.032
3146/2	0.168
3147/2	0.007
योग . . .	4.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की देवमऊ दलदल की सब-माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 24 अप्रैल 2018

पत्र क्र. 825-प्रका.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—मटियारी
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.190 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

64	0.190	-
योग . . .	0.190	-

(ब) शासकीय भूमि

-	निरंक
महायोग . . .	0.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योंथर उद्वहन योजना की माइनर नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 23 अप्रैल 2018

(संशोधित अधिसूचना)

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 33-अ-82-2016-17-2265.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 33-अ-82-2016-17-3219 शहडोल दिनांक 23 अगस्त, 2017 के द्वारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं अस्पताल उन्नयन कार्य हेतु जिला शहडोल, तहसील सोहागपुर, ग्राम कोटमा की भूमि खसरा क्रमांक 1552/2 रकबा 0.809 हेक्टर भूमि के अर्जन हेतु “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 पृष्ठ क्रमांक 5086 दिनांक 8-9-2017, समाचार-पत्र जबलपुर एक्सप्रेस, जबलपुर दिनांक 1-9-2017, दैनिक भारती शहडोल, दिनांक 7-9-2017 एवं समाचार-पत्र समय शहडोल दिनांक 2-9-2017 में किया गया था. प्रकाशित आराजी खसरा क्रमांक 1552/2 की बजाय खसरा क्रमांक 1552/1 की आवश्यकता होने से संशोधित अधिसूचना का प्रकाशन किया जा रहा है, जो निम्नानुसार है:—

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—सोहागपुर
(ग) ग्राम—कोटमा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.809 हेक्टर (भूमि एवं संपत्ति)

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1552/1	0.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं अस्पताल उन्नयन कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. शहडोल म. प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-01-13-2017-सात-शा-6-599.—

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2018

1. राज्य सरकार एतद द्वारा इस आदेश से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निम्नानुसार नवीन नगरीय तहसील के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करती है:-

क्र०	नगरीय निकाय श्रेणी (2011 की जनगणना अनुसार)	नगरीय निकाय का नाम	नगरीय निकाय-वार स्वीकृत नवीन नगरीय तहसीलों की संख्या
1	महानगरो में तहसील	इन्दौर	5
		भोपाल	5
		जबलपुर	3
		ग्वालियर	3
		उज्जैन	2
2	नगरीय निकाय जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम है, पर 1 तहसील	देवास, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा, मुरैना, भिंड, गुना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, विदिशा, छतरपुर, मंदसौर, दमोह, नीमच, होशंगाबाद, खरगोन, सीहोर, बैतूल, सिवनी, दतिया	1
	कुल निकाय - 30	कुल स्वीकृत तहसील - 43	

2. भविष्य में जनसंख्या वृद्धि होने पर उपरोक्त कंडिका - 1 में वर्णित मापदण्ड अनुसार नवीन नगरीय तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. सृजित की जाने वाली प्रत्येक नवीन तहसील के लिए निम्नानुसार पदों के सृजन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.	पद	प्रति तहसील संख्या
1	तहसीलदार (एक अतिरिक्त तहसीलदार सहित)	2
2	नायब तहसीलदार	1
3	सहायक ग्रेड-1	1
4	सहायक ग्रेड-2	2
5	सहायक ग्रेड-3	4
6	जमादार / दफ्तरी / बस्तावरदार	1
7	वाहन चालक	1
8	भृत्य	4
	कुल	16

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 4th April 2018

ORDER

No. C-1650-1-8-4-1956-Part-X.—In supersession of orders of my predecessor dated 25th April 1981 (Endt. No. 1-8-4-56- Pt. VII), dated 5th August 1993 (Endt. No. 1-8-4-56- Pt. VII) and dated 3rd August 2005 and in accordance with order of my predecessor dated 3rd February 1976 issued under proviso to the Notification No. 16-20-68-Judl.-III, dated November 28, 1968, issued by the President under Section 51(2) of the States Reorganisation Act, 1956 (36 of 1956) I hereby order that—

1. all cases instituted by or against any sitting or former High Court Judge of Madhya Pradesh or against Registrar General, Registrar, Additional Registrar, Deputy Registrar of this Court, relating to any matter.
2. all cases relating to selection or appointment of a Judicial Officer,
3. all cases instituted by or against a Judicial Officer or Ex Judicial Officer of Madhya Pradesh relating to his or her service,
4. all cases instituted by or against an employee of High Court or District Court relating to his or her service,

shall be heard in the Principal Seat at Jabalpur.
This order shall also apply to pending cases.

Sd/-
HEMANT GUPTA
Chief Justice,
4-4-2018

Jabalpur, the 5th April 2018

No. B-1907-III-6-6-84(OAW).—The Judges shown in the Column No. (3) of the Table below are hereby designated as Presiding Officers of the Court for trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for the Places shown in Column No. (2) of the said Table. This notification is being issued in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of the following, places:—

TABLE

S. No.	Place	Name of the Judge and designation
(1)	(2)	(3)
1.	Balaghat	Shri Vachaspati Mishra, I ASJ.

(1)	(2)	(3)
2.	Bhind	Ku. Sweta Goyal, VI ASJ
3.	Chhatarpur	Smt. Norin Nigam, IV ASJ
4.	Chhindwara	Shri Shashikant Verma, IV ASJ.
5.	Damoh	Shri Sandeep Shrivastava, IV ASJ.
6.	Dewas	Shri Vikas Bhatele, IV ASJ.
7.	Guna	Smt. Shashikanta Vaishya, II ASJ.
8.	Jabalpur	Shri Dharmendra Kumar Singh, XIV ASJ.
9.	Jabalpur'	Shri Rajendra Prasad Soni, X ASJ.
10.	Jhabua	Shri Sunil Malviya, II ASJ
11.	Khandwa	Smt. Deepali Sharma, I ASJ
12.	Morena	Shri Om Prakash Raghuvanshi, V ASJ.
13.	Raisen	Smt. Neelam Mishra, II ASJ
14.	Ratlam	Shri Tarun Singh, IV ASJ
15.	Rewa	Shri Dileep Gupta, VI ASJ
16.	Seoni	Smt. Indra Singh, I ASJ
17.	Shahdol	Shri Anuj Kumar Mittal, III, ASJ.
18.	Shajapur	Smt. Rama Jayant Mittal, II ASJ.
19.	Shivpuri	Shri Ram Pratap Mishra, IV ASJ.
20.	Singrauli	Smt. Kavita Deep Khare, I ASJ.
21.	Ujjain	Smt. Ashita Shrivastava, I ASJ
22.	Umaria	Shri Rajesh Kumar Tiwari, ASJ
23.	Vidisha	Shri Prashant Kumar, III, ASJ
24.	Mandleshwar	Smt. Arti Sharma, I ASJ.

Jabalpur, the 10th April 2018

No. C-1816-III-6-4-57.—The Court, presided over by Ku. Nidhi Modita Pinto, Judicial Magistrate First Class, Indore is hereby designated for CBI cases, established by the Government of Madhya Pradesh vide Notification No. F-1-5-96-XXI-B(1), dated 3rd March, 2011 for the areas comprising of the districts Indore, Bhopal, Raisen, Sehore, Dewas, Shajapur, Dhar, Khandwa, Rajgarh, Jhabua, Mandasaur, Neemuch, Ratlam, Ujjain, Mandleshwar, Gwalior, Bhind, Datia, Guna, Morena, Shivpuri, Vidisha, Barwani, Burhanpur, Ashok Nagar, Alirajpur, Sheopur and Harda for trial of cases relating to offences investigated by the Central Bureau of Investigation (CBI). This notification is being issued in supersession of all its earlier notifications in this regard.

The Headquarter of the Court shall be at Indore.

The Court, presided over by Shri Pravin Kumar Sinha, Judicial Magistrate First Class, Jabalpur is hereby designated for CBI cases, established by the Government of Madhya Pradesh Vide Notification No. F-1-5-96-XXI-B(1), dated 3rd March, 2011 for the areas comprising of the Districts Jabalpur, Katni, Balaghat, Betul, Chhindwara, Tikamgarh, Damoh, Hoshangabad, Chhatarpur, Narsinghpur, Rewa, Seoni, Mandla, Shahdol, Sidhi, Sagar, Satna, Panna, Dindori, Umariya, Anuppur and Singrauli for trial of cases relating to offences investigated by the Central Bureau of Investigation (CBI). This notification is being issued in supersession of all its earlier notifications in this regard.

The Headquarter of the Court shall be at Jabalpur.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
VIVEK SAXENA, O. S. D. (D. E.).

Jabalpur, the 11th April 2018

No. A-819-III-6-6-84.—The Court of Shri Ajay Shrivastava, IV ASJ, Vidisha is hereby designated for trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for Vidisha. This notification is being issued in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of Vidisha.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
VARUN PUNASE, O. S. D.

जबलपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्र. A-695-दो-2-58-2017.—श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 12 से 16 मार्च 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 मार्च 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-697-दो-2-26-2014.—श्री एस. के. तुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 19 से 22 मार्च 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2018

क्र. B-1966-दो-2-10-2017.—श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 2 फरवरी 2018 का एक दिन का पूर्व स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 2 से 9 फरवरी 2018 तक आठ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभय कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1971-दो-2-25-2012.—श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 24 मार्च 2018 का

एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1973-दो-2-25-2017.—श्री देवराज बोहरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 19 फरवरी से 1 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 से 4 मार्च 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री देवराज बोहरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवराज बोहरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1975-दो-2-74-2017.—श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 26 से 28 मार्च 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 मार्च 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1977-दो-2-15-2017.—श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर का दिनांक 8 से 24 मार्च 2018 तक, सत्रह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 17 से 24 मार्च 2018 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. C-1785-दो-2-100-2017.—श्री कीर्ति कुमार वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 19 से 23 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कीर्ति कुमार वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कीर्ति कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1790-दो-2-64-2016.—श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 27 फरवरी से 23 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पच्चीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2018

क्र. A-743-दो-2-88-2017.—श्री प्रकाश चंद्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा को दिनांक 19 से 24 फरवरी 2018 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश चंद्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रकाश चंद्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-745-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 12 से 16 मार्च 2018 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1803-दो-2-14-2014.—श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 19 से 21 मार्च 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1805-दो-2-56-2014.—श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 9 से 12 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार सिंघई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1808-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 8 से 16 मार्च 2018 तक नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 मार्च 2018 के सार्वजनिक लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्र. B-2008-दो-2-25-2015.—श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को दिनांक 14 से 16 फरवरी 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2011-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री के. के. त्रिपाठी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2018 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 155 दिवस (एक सौ पचपन दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एम. दुबे, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1. श्री के. के. त्रिपाठी, सेवानिवृत्त : 22-3-1986
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर
का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-3-2018
3. नियुक्ति दिनांक 22-3-1986 से : 00 वर्ष 11 माह
दिनांक 9-3-1987 तक 17 दिन.
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 31 वर्ष, 00 माह,
सेवानिवृत्ति दिनांक तक 21 दिन.
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित : निरंक
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : $31=15 \times 15=225$ दिन
अवधि हेतु समर्पण $1 \times 7=7$ दिन
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 232 दिन
समर्पण की पात्रता.
8. घटाईये:—सेवा के दौरान : 29 दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 203 दिन
अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2018

क्र. B-2096-दो-2-45-2015.—श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 से 28 अप्रैल 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (परीक्षा) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 16/17 अप्रैल 2018

क्र. C-1974-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 23 से 28 अप्रैल 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 अप्रैल 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, dated 13 April 2018

CORRIGENDUM

No. B-2102-III-6-6-84.—The High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby issues following Corrigendum in respect of its Notification No. B-1907, dated 5th April 2018:—

"In the table of said Notification at serial no. 20, column no. 3, the designation of Smt. Kavita Deep Khare be read as IInd ASJ instead of Ist ASJ".

VARUN PUNASE, OSD (DE).

जबलपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्र. C-1678-तीन-6-4-81-6.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981, (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी-1595, दिनांक 8 अप्रैल 2015, को जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर सत्र खण्ड से है, में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीश को नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. (02) में वर्णित तथा तत्स्थानी प्रविष्टियों के कॉलम नं. (03) में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कॉलम नं. (04) में वर्णित शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में)	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई.	शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री ऋतुराज सिंह चौहान, षष्ठम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ग्वालियर.	सेशन खण्ड ग्वालियर के अधीन पुलिस थाना घाटीगांव, मोहना, पुरानी छावनी, तिघरा, पनिहार, बेहट, बिजौली, भवरपुरा, महाराजपुरा, हस्तिनापुर, आरोनी और उटिला.	षष्ठम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय.

No. C-1678--III-6-4-81-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6 of Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (no. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, by making slight amendments in its previous Notification no. C/1595 dated 08 April 2015 hereby appoints the following Additional Sessions Judge, Specified in Column No. 2 of the schedule given below and for the related areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in Column No. 3 of the said schedule as Presiding Officer of the Special Court mentioned in Column No. 4 thereof, established by the State Government from the date of assumption of charges as Presiding Officer by him namely:—

SCHEDULE

No.	Name & designation of Presding Officer appointed as Special Judge	Areas for which he is proposed to be appointed as a Special Judge	Name of the Special Court established by the State Government.
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Shri Rituraj Singh Chouhan, VIth Additional Sessions Judge, Gwalior.	Police Station Ghatigaon, Mohana, Purani Chawni, Tigra, Panihar, Behat, Bijoli, Bhawarpura, Maharajapura, Hastinapur, Aroni and Utila under Sessions Divisions Gwalior.	VIth Additional Sessions Judge, Gwalior.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.).